आई.एस.एस.एन. 2230—7044 पुलिस विज्ञान

वर्ष - 31 अंक 126 जनवरी-मार्च, 2014

वर्ष - 31 अंक 126 जनवरी-मार्च, 2014

पुलिस विज्ञान

(त्रैमासिक पत्रिका)
जनवरी-मार्च, 2014

सलाहकार समिति

राजन गुप्ता
महानिदेशक

आर.के. किणि ए.
अपर महानिदेशक

निर्मल कौर
महानिरीक्षक (एस.पी.डी.)

सुनील कपूर
उप महानिरीक्षक (एस.पी.डी.)

संपादक : **दिवाकर शर्मा**

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो
ब्लाक-11, 3 एवं 4 मंजिल
सी.जी.ओ. कम्पलैक्स, लोदी रोड
नई दिल्ली-110003
011-24360371/115
011-24389615

संपादकीय

पुलिस विज्ञान त्रैमासिक पत्रिका का जनवरी-मार्च, 2014 का अंक पाठकों के समक्ष प्रस्तुत है। जैसा कि संपादक मंडल का यह प्रयास रहता है कि पत्रिका में पुलिस, न्यायालयिक विज्ञान व अन्य संबंधित विषयों की प्रामाणिक व प्रासंगिक जानकारी प्रदान की जाए। अतः अपराधों को सुलझाने में पुलिसकर्मियों द्वारा किस प्रकार की कार्य-प्रणाली अपनाई जाए, अपराधों से निपटने तथा अपराध होने की संभावनाओं से संबंधित कुछ ओजस्वी विचार तथा प्रैस की भूमिका पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों तथा समाज के कुछ प्रबुद्ध वर्ग द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं जो आम पुलिस-कर्मी के साथ सभी वर्ग के लिए उपयोगी होते हैं।

इस अंक में इस बार पुलिस-कर्मियों के लिए **वर्तमान परिप्रेक्ष्य में साम्प्रदायिक दंगे एवं पुलिस की भूमिका, कार्य सफलता—मानव प्रबंधन एवं मनोबल, अंधेरे में गुम अपराधों का पर्दाफाश करते हैं अंगुलछाप और हस्तलेख विज्ञान, अपराध पीड़ित के प्रति पुलिस का व्यवहार, आयु निर्धारण व अपराधी की पहचान में दांतों का महत्व, विवेचना के प्रभावशाली पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी की भूमिका, आतंकवाद और पुलिस की रणनीति—आतंकवाद से निपटने के निरोधी उपाय, बालशोषण और पुलिस की भूमिका, ग्रामीण महिलाओं का शोषण और पुलिस का दायित्व** से संबंधित लेख हैं। पत्रिका के सुधी पाठक पत्रिका को और अधिक सूचनाप्रद व उपयोगी बनाने में अपना सक्रिय सहयोग प्रदान कर सकते हैं। आशा है कि पत्रिका में सम्मिलित सभी लेख पाठकों को उपयोगी लगेंगे और वे अपने विचारों से संपादक मंडल को अवगत कराते रहेंगे। आपके विचारों का सहर्ष स्वागत है।

दिवाकर शर्मा
संपादक

वर्ष - 31 अंक 126 जनवरी-मार्च, 2014

समीक्षा समिति के सदस्य

प्रो. एम.जैड. खान, नई दिल्ली
श्री एस.वी.एम. त्रिपाठी, लखनऊ
प्रो. अरुणा भारद्वाज, नई दिल्ली
प्रो. जे.डी. शर्मा, सागर (म.प्र.)
प्रो. स्नेहलता टंडन, नई दिल्ली
डा. दीप्ति श्रीवास्तव, भोपाल
प्रो. वी.के. कपूर, जम्मू
डा. शैलेंद्र कुमार चतुर्वेदी, मेरठ
डा. अरविंद तिवारी, मुंबई
डा. उपनीत लल्ली, चंडीगढ़
श्री वी.वी. सरदाना, फरीदाबाद
श्री सुनील कुमार गुप्ता, नई दिल्ली

अनुक्रम

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सांप्रदायिक दंगे एवं पुलिस की भूमिका
• *डा. (श्रीमती) अनुपम शर्मा* ---------- *7*

कार्य सफलता-मानव प्रबंधन एवं मनोबल
• *डा. चंद्रप्रभा जैन* ---------- *10*

अंधेरे में गुम अपराधों का पर्दाफाश करते हैं अंगुलछाप और हस्तलेख विज्ञान
• *बृजबाला* ---------- *16*

अपराध पीड़ित के प्रति पुलिस का व्यवहार
• *डा. जनार्दन कुमार तिवारी* ---------- *21*

आयु निर्धारण व अपराधी की पहचान में दांतों का महत्व
• *अरुण कुमार पाठक* ---------- *28*

विवेचना के प्रभावशाली पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी की भूमिका
• *हाकिम राय* ---------- *32*

आतंकवाद और पुलिस की रणनीति—आतंकवाद से निपटने के निरोधी उपाय
• *एस.पी. सिंह* ---------- *40*

बालशोषण और पुलिस की भूमिका
• *प्रो. मृत्युंजय उपाध्याय* ---------- *46*

ग्रामीण महिलाओं का शोषण और पुलिस का दायित्व
• *डा. विमला उपाध्याय* ---------- *50*

'पुलिस विज्ञान' में प्रकाशित लेखों में लेखकों के विचार निजी हैं। इनसे पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की सहमति आवश्यक नहीं।

कवर डिजायन : राहुल कुमार

अक्षरांकन एवं पृष्ठ सज्जा : ओम प्रकाशन, डी-46, विवेक विहार (भूतल), दिल्ली-110095

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सांप्रदायिक दंगे एवं पुलिस की भूमिका

डा. (श्रीमती) अनुपम शर्मा
एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष
राजनीति विज्ञान एवं मानवाधिकार विभाग
आई.जी.एन.टी.यू. (केंद्रीय विश्वविद्यालय)
अमरकंटक, मध्य प्रदेश—484886

भारतीय समाज का यह दुर्भाग्य है कि जब-जब वह पिछले दंगों से उभरने की कोशिश करता है तब-तब वह अपने प्रयासों में असफल हो जाता है। पिछले घावों पर मरहम लग नहीं पाता और नए घाव उससे बड़े होकर सामने आ जाते हैं। हर बार के घाव इतने गहरे होते हैं कि समय का मरहम भी इनको भरने से घबरा जाता है। दंगे तो समाप्त हो जाते हैं परंतु इसके दर्द लोगों के दिलों पर पीढ़ियों तक दिखाई देते हैं। इन्हीं दंगों का ताजा उदाहरण है उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में अगस्त 2013 में हुए मुजफ्फरनगर सांप्रदायिक दंगे (27 अगस्त से 8 सितंबर, 2013 तक चले) जो यह दर्शाते हैं कि सांप्रदायिक दंगों की अवधि दंगों के दृष्टिकोण से काफी लंबी रही। यह सांप्रदायिक दंगे यह प्रश्न छोड़ते हैं कि जब दंगों की तीव्रता कम थी तब प्रशासन के द्वारा तुरंत रोकने हेतु कदम क्यों नहीं उठाए गए, यदि इन दंगों को रोकने हेतु तुरंत कदम उठाए गए होते तो दंगों में मरनेवालों की संख्या को कम किया जा सकता था तथा जान माल की हानि को भी रोका जा सकता था।

यह भी विचारणीय बिंदु है कि सांप्रदायिक दंगे आरंभ होने के बाद प्रशासनिक अधिकारियों जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक का एकसाथ तबादला किया गया। ऐसी परिस्थितियों में जब दंगे अपनी तीव्रता पर थे तो इन प्रशासनिक अधिकारियों के तबादलों पर प्रशासनिक प्रश्न चिह्न लगता है कि यदि इन प्रशासनिक अधिकारियों के कार्यों में कहीं भी लापरवाही थी तो विभागीय अधिकारियों एवं राजनीतिक नेतृत्व को सही मार्गदर्शन दिए जाने की आवश्यकता थी जिससे कि परिस्थितियों पर तुरंत नियंत्रण पाया जा सकता है। तबादले करना तथा नए अधिकारियों की नियुक्ति करना सैद्धांतिक दृष्टि से सही हो सकता है परंतु व्यावहारिक दृष्टि से यह उपयुक्त नहीं है।

किसी भी अधिकारी को नियुक्त किए गए क्षेत्र में उसकी सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं संस्कृतियों को समझने में समय लगता है। अधिकारी द्वारा लिए गए कोई भी निर्णय इन सभी परिस्थितियों से प्रभावित होते हैं विशेषतया दंगों के समय में जहां पर लोगों की मानसिकता को समझना नितांत कठिन होता है। ऐसी परिस्थितियों में नवनियुक्त अधिकारियों द्वारा लिए गए निर्णय कितने परिस्थितिगत होंगे इसका अनुमान या आंकलन करना नितांत कठिन कार्य होता है।

राष्ट्रीय मीडिया के समाचारों का विश्लेषण करें तो कुछ तथ्य उभरकर सामने आते हैं। जैसे कि पुलिस द्वारा जिन दंगाइयों को गिरफ्तार किया गया था उनको राजनीतिक दबाव के कारण छोड़ना पड़ा और अन्य लोगों को गिरफ्तार करना पड़ा। यह दबाव निश्चित रूप से आम जनता में सरकार एवं प्रशासन की कार्रवाई पर प्रश्न चिह्न लगाता है और साथ ही साथ पुलिस के मनोबल को भी हतोत्साहित करता है। पुलिस द्वारा उठाया गया कोई भी कदम उसे कब पीछे हटाने पडेंगे, पुलिस स्वयं भी नहीं जानती।

पुलिस थानों में वर्तमान में हथियारों की स्थिति संतोषजनक नहीं है। पहले तो हथियार आवश्यकता से कम हैं तथा दूसरी तरफ जो हथियार उपलब्ध हैं वे सभी चल नहीं पाते। ऐसा भी पुलिस अधिकारियों द्वारा अपने वक्तव्य में स्वीकार किया गया था। वर्तमान समय में

जब समाज में आम व्यक्ति भी कानूनी और गैर कानूनी तरीके से आधुनिक हथियार का अधिकार प्राप्त कर लेता है तो ऐसी परिस्थितियों में पुलिस के लिए इन हथियारों का सामना करना नितांत कठिन कार्य होता है। ऐसा ही मुजफ्फरनगर के सांप्रदायिक दंगों में हुआ। पुलिसकर्मी उपलब्ध हथियारों के सहारे सांप्रदायिक दंगों को नियंत्रित करने में असहाय महसूस कर रहे थे। असलाहों के साथ फोर्स की कमी भी निरंतर सामने आई। राष्ट्रीय अपराध एवं रिपोर्ट ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार भारत में विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में पुलिसकर्मियों की संख्या अनुमोदित से लगभग एक चौथाई कम है।

यही स्थिति सभी थानों में विभिन्न पदों पर दिखलाई देती है। पुलिसकर्मियों द्वारा दंगों के दौरान भी इस कमी को महसूस किया गया। यदि पुलिस बल पर्याप्त संख्या में है तो निश्चित रूप से स्थिति को कम समय में नियंत्रण में लाया जा सकता है। पुलिस विभाग में कम संख्या निश्चित रूप से उसकी कार्य प्रणाली को प्रभावित करती है।

संचार का पर्याप्त न होना भी पुलिस के लिए कठिनाई पैदा करता है। यही मुजफ्फरनगर दंगों के फैलने का एक प्रमुख कारण था। दंगों के दौरान पुलिस दंगों की सूचना एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं पहुंचा पाई जिसका लाभ दंगाइयों को मिला। पुलिस द्वारा सूचना अपने साथियों एवं अधिकारियों तक नहीं पहुंचाई जा सकी, जिससे पुलिसकर्मियों के मध्य दूरी बनी रही जिसके परिणामस्वरूप निर्णय लेने में देरी हुई। निर्णय देर से लेने के कारण स्थिति बिगड़ती रही और दंगे बढ़ते रहे। वहीं दूसरी ओर दंगाई सूचना का आदान-प्रदान तीव्र गति से करते रहे जिससे दंगा दिन-प्रतिदिन बढ़ता रहा। अफवाहों ने इस दंगे को और हवा दी, जिसका परिणाम जान-माल की हानि के द्वारा आंका जा सकता है।

दंगों में राजनीतिक एवं विभागीय हस्तक्षेप भी एक प्रमुख कारण रहा, जिसका परिणाम दंगों के दौरान परिलक्षित हुआ। राजनीतिक हस्तक्षेप की बात वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा स्वीकार की गई जिसका खुलासा एक राष्ट्रीय चैनल पर दिखाया गया था। यदि ये परिस्थितियां भविष्य में होती रहीं तो निश्चित रूप से पुलिस के लिए निष्पक्ष रूप से कार्य करना कठिन हो जाएगा और ऐसी स्थिति का लाभ दंगाइयों एवं अन्य असामाजिक तत्वों को मिलेगा। ऐसी विषम परिस्थितियों में विभागीय एवं राजनतिक नेतृत्व द्वारा उचित दिशा-निर्देश एवं मार्गदर्शन दिया जाना चाहिए जिससे पुलिसकर्मी कार्यों को ऊंचे मनोबल एवं कार्यकुशलता के साथ कर सकें और अपनी भूमिका के साथ न्याय कर सकें।

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सांप्रदायिक दंगों की समस्या केवल शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं रह गई है। यद्यपि पूर्व में भी इस प्रकार के दंगे ग्रामीण क्षेत्रों में हो चुके थे परंतु उनकी तीव्रता उतनी नहीं थी। मुजफ्फरनगर के दंगों ने ग्रामीण क्षेत्रों में भी सांप्रदायिक दंगों के भय को और बढ़ा दिया है। इन दंगों ने प्रशासन एवं सरकार के समक्ष नई चुनौती पेश की है कि ग्रामीण क्षेत्र भी वर्तमान समय में संवेदनशील हो रहे हैं और ये क्षेत्र नए क्षेत्रों के रूप में भी सामने आ सकते हैं अर्थात जहां पर सांप्रदायिक दंगों की कोई पृष्ठभूमि नहीं रही है। अब ऐसे स्थानों पर जहां विभिन्न संप्रदायों के लोगों की संख्या हो वहां पर अतिरिक्त सावधानी बरतने की अधिक आवश्यकता है जिससे इस स्थिति की पुनरावृत्ति न हो।

इन दंगों में एक विशेषता नई दिखलाई दी कि दंगों के बाद महा पंचायत के दौरान महिलाओं को आगे किया गया। महिलाओं को आगे करना प्रशासन के लिए चुनौती पेश करता है, क्योंकि प्रशासन के लिए महिलाओं को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त महिला पुलिसकर्मियों की आवश्यकता होती है। जबकि विभाग में महिला पुलिसकर्मियों की संख्या सीमित है। ऐसी परिस्थिति में यदि इस प्रकार की घटना की कोई संभावना हो तो महिला पुलिस बल की अतिरिक्त व्यवस्था की जाए जिससे ऐसी स्थिति में तुरंत नियंत्रण पाया जा सके।

पुलिस एवं जनता द्वारा मिलकर बनी हुई समितियों को तुरंत सक्रिय किए जाने की आवश्यकता है। सामान्यतया समितियों का गठन तो कर दिया जाता है परंतु उनको सक्रिय नहीं बनाया जाता। दंगों के पश्चात यह आवश्यकता बनकर उभरी है कि ऐसी परिस्थितियों में इन समितियों को तुरंत सक्रिय किया जाए जिससे कि वे सकारात्मक परिणाम दे सकें। राजनीतिक नेताओं को, चाहे वे किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित हों, सांप्रदायिक तनाव की स्थिति में, क्षेत्र में जाने पर तथा वहां पर भाषण देने पर प्रतिबंध होना चाहिए क्योंकि ये सभी सांप्रदायिक दंगों में घी डालने का काम करते हैं। यदि किसी राजनीतिक नेता द्वारा प्रतिबंध का उल्लंघन किया जाता है तो ऐसी स्थिति में सभी नेताओं के लिए समान नियम लागू किए जाएं। ये समाज में भेदभाव की भावना पैदा करते हैं और सांप्रदायिक भावना को और अधिक भड़काते हैं।

सांप्रदायिक दंगों के दौरान सरकार एवं पुलिस विभाग द्वारा जो भी स्थानांतरण किए जाएं उन्हें बहुत सोच-विचार के बाद किया जाना चाहिए। यद्यपि सैद्धांतिक रूप से स्थानांतरण विभाग व सरकार द्वारा कभी भी किया जा सकता है, परंतु दंगों के दौरान यह स्थिति पर सकारात्मक के साथ-साथ नकारात्मक प्रभाव भी डाल सकता है, क्योंकि नए अधिकारियों को सामाजिक पृष्ठभूमि को समझने में समय लगता है। सामाजिक पृष्ठभूमि दंगों को प्रभावित करती है तथा प्रशासकों को दंगा नियंत्रण करने में मदद करती है। यहां सामाजिक पृष्ठभूमि अधिकारियों के निर्णय लेने में सहायक होती है।

स्थानांतरण के संबंध में तीन पुलिसकर्मियों के केस में कोर्ट को स्टे का आदेश दिनांक 9.11.1993 देना पड़ा। दंगों के दौरान आनन-फानन में कई पुलिसकर्मियों एवं अधिकारियों के तबादले किए गए। कोर्ट ने स्थानांतरण के संबंध में राज्य सरकार से भी 15 दिनों के अंदर जवाब तलब किया। निर्णय चाहे किसी के भी पक्ष में आए परंतु स्टे आदेश ने यह तो सिद्ध कर दिया है कि सरकारों को स्थानांतरण करते समय सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि इस प्रकार के तबादले न केवल सरकार की छवि धूमिल करते हैं बल्कि अधिकारियों के मनोबल को भी गिराते हैं तथा उनको आगे बढ़कर कार्य करने से रोकते हैं। सांप्रदायिक दंगों की समस्या से निपटने के लिए उपाय, दंगा होने के बाद किए जाएं बजाए दंगा शुरू होने से पहले लिए जाएं। ऐसी स्थिति से बचना चाहिए और यदि इन पूर्व उपायों के पश्चात भी सांप्रदायिक दंगों की स्थिति हो तो तुरंत उपाय किए जाएं जिससे कि स्थिति को खराब होने से बचा जा सके। सांप्रदायिक दंगे माल-हानि के साथ-साथ लोगों की जान-हानि भी करते हैं। ये लोग समाज के लिए गिनती हो सकते हैं, पर एक परिवार के लिए वह बेटा, बेटी, पति, पत्नी या कोई अन्य, परंतु इससे बढ़कर वह परिवार का भरण पोषण ही करने वाला मुखिया भी हो सकता है। उसके जाने के बाद कितनी ही जिंदगियां बिखरकर टूट जाती हैं और कितने बच्चों का भविष्य अंधकार के गर्त में चला जाता है। सांप्रदायिक दंगों की भयावहता को गिनतियों या संख्याओं के रूप में न गिनकर मानवीयता के आधार पर देखना चाहिए तभी समाज में सांप्रदायिक दंगों को रोका जा सकता है। पुलिस प्रशासन समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है किंतु जनता के सहयोग के बिना वह भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। सांप्रदायिक दंगों को रोकने के लिए लोगों की मानसिकता में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। परिवर्तित मानसिकता ही दंगों को भड़कने से रोक सकती है। मानसिकता में परिवर्तन लाने के लिए संवेदनशीलता एक प्रमुख आधार के रूप में प्रयोग की जा सकती है। संवेदनशीलता अमानवीय व्यवहार को करने से रोक सकती है तथा समाज में सांप्रदायिक सद्भावना बनाने में सहायक सिद्ध हो सकती है। इस प्रकार के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रशासन एवं सरकारी स्तर पर प्रयास किए जाने चाहिए अर्थात प्रशासन को प्रभावी एवं सरकार को सक्रिय रूप से अपनी भूमिका का निर्वाह करना होगा।

कार्यसफलता—मानव प्रबंधन एवं मनोबल

डा. चंद्रप्रभा जैन
सहायक प्राध्यापक
जे.एन. पुलिस अकादमी, सागर (म.प्र.)

कार्य तो हम सभी करते हैं लेकिन हमारा लक्ष्य सिर्फ काम करना नहीं बल्कि अपने कार्य में अपेक्षित सफलता प्राप्त करना होता है। कार्य सफलता के लिए प्रबंधन आवश्यक है। प्रबंधन अर्थात मानव प्रबंधन एवं संसाधनों का प्रबंधन। प्रबंधन में सबसे महत्वपूर्ण है मानव प्रबंधन, क्योंकि मानव में ही वे जीवित शक्तियां विद्यमान होती हैं जो किसी भी कार्य के लिए आवश्यक होती हैं। कोई मशीन बहुत शक्तिशाली हो सकती है, उसकी उपयोगिता एवं कार्यक्षमता भी बहुत हो सकती है, लेकिन उन मशीन को बनाने वाला, उसे चलाने वाला एक मानव ही होता है। अतः प्रबंधन प्रक्रिया में मानव सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसका कारण मानव में समाहित या अंतर्निहित शक्तियां हैं, जैसे—चेतन शक्ति, बौद्धिक शक्ति, इच्छा शक्ति आदि। अपनी इन अंतर्निहित शक्तियों के आधार पर ही व्यक्ति अपने संसाधनों का अधिकतम उपयोग करता है।

संगठनात्मक कार्य सफलता के लिए प्रबंधन एवं उच्च मनोबल की आवश्यकता

1. यह माना जाता है कि कार्य के लिए व्यक्ति में इच्छा शक्ति का होना जरूरी है। इच्छा शक्ति के बिना व्यक्ति पूर्ण समर्पण से कार्य नहीं कर पाता है। उच्च मनोबल के लिए इच्छा शक्ति के साथ-साथ दृढ़ संकल्प शक्ति का होना भी नितान्त आवश्यक है। इच्छा मात्र से कार्यपूर्णता नहीं हो सकती। जिसका मनोबल गिरा हुआ होता है उसमें इच्छा शक्ति भी निम्न होती है। क्रिकेट में रन बल्ला नहीं बेट्समैन बनाता है। अतः कार्य सफलता के लिए उच्च मनोबल आवश्यक है।

2. किसी भी कार्य को करने वाला मानव होता है। मानव शक्तिशाली भी है लेकिन कार्य करने के लिए अन्य संसाधनों की उपलब्धता भी आवश्यक होती है। संसाधनों के अभाव में व्यक्ति चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाता। हमें हमारे कार्य, उद्देश्य एवं उपलब्ध संसाधनों के बीच सामंजस्य बनाना होता है। क्योंकि सामान्यतः कार्य की तुलना में संसाधन आवश्यकता से कम उपलब्ध होते हैं। अतः उपलब्ध संसाधनों में ही हमें अपने सभी कार्यों को करना होता है। यही संसाधन प्रबंधन है। प्रबंधन की क्षमता हमें सामंजस्य करने के योग्य बनाती है।

3. समय शक्ति, मानव शक्ति एवं अन्य संसाधन सीमित है, जबकि उद्देश्य, उत्तरदायित्व, समस्याएं एवं कार्य असीमित हैं। इसलिए प्रबंधन आवश्यक है, क्योंकि प्रबंधन का मतलब है कम से कम समय एवं संसाधनों में अधिक से अधिक निष्पादन करना।

4. साधनों की सीमितता न तो हमारे कार्यों को कम कर सकती है और न ही हम स्वयं को कार्यों से बचा सकते हैं। जैसे-जैसे समय आगे आता जाएगा समाज की अपेक्षाएं हमसे बढ़ती ही जाएंगी लेकिन उसकी तुलना में संसाधन नहीं बढ़ पाएंगे। अतः आज मानव प्रबंधन एव उच्च मनोबल बनाए रखने की नितांत आवश्यकता है।

5. भौतिक संसाधनों को तो किसी तरह बढ़ाने का प्रयास किया जा सकता है, उनका आवश्यकता से अधिक उपयोग करने का प्रयास किया जा सकता है लेकिन मानव शक्ति अर्थात हमारे कर्मचारियों को एकदम से बढ़ाया जाना संभव नहीं है और न ही उनसे सीमा से अधिक कार्य कराया जा सकता है। अतः कार्य विभाजन द्वारा मानव को प्रबंधित किया जाना अधिक उपयोगी होता है। इसलिए मानव प्रबंधन की आवश्यकता है।

प्रबंधन से तात्पर्य है सीमित संसाधनों का अधिकाधिक उद्देश्यों की उपलब्धता के लिए उपयोग करना। कार्य की अपेक्षानुसार ही उपयुक्त व्यक्ति को कार्य पर लगाना ही प्रबंधन है मानव संसाधन से तात्पर्य व्यक्तियों एवं कर्मचारियों की संख्या बढ़ जाना मात्र नहीं है, बल्कि योग्य व्यक्तियों की उपलब्धता है। असक्षम व्यक्ति कितने भी बढ़ते चले जाएं संगठनात्मक कार्य के लिए वह उतने उपयोगी नहीं होते हैं। इनसे हमारी कार्यक्षमता एवं प्रभावशीलता में वृद्धि नहीं हो पाती, क्योंकि उनमें वह योग्यता ही नहीं होती है जिसकी हमारे कार्य निष्पादन में आवश्यकता होती है और हम 'सही व्यक्ति सही कार्य पर' वाला सिद्धांत भी लागू नहीं कर पाते हैं।

प्रबंधन एवं पुलिस कार्य की प्रभावशीलता

प्रभावशीलता के लिए योग्यता के साथ-साथ व्यक्ति में कार्य के प्रति आकर्षण एवं रुचि का होना भी जरूरी है। आकर्षण एवं रुचि व्यक्ति की अपनी आवश्यकता एवं उस कार्य विशेष द्वारा उस आवश्यकताएं पूरी हों यह जरूरी नहीं है। समूह या संगठनात्मक कार्य में संस्था या समूह के लिए ही कार्य करना होता है। पुलिस का सारा कार्यसमूह कार्य है जो समाज के लिए किया जाता है। यहां पर व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत हितों को अलग से नहीं देखना चाहिए, बल्कि स्वयं को समाज का सदस्य मानते हुए समाज हित में ही कार्य करना चाहिए तथा समाज हित में ही अपना हित ढूंढ़ना चाहिए। ऐसे कार्यों में कई बार अरुचिकर एवं अनाकर्षक परिस्थितियों में भी कार्य करना होता है। अतः समूह कार्य की संपन्नता एवं प्रभावशीलता के लिए प्रबंधन को निम्नांकित कार्य करना आवश्यक होता है

1. **कर्मचारियों को अभिप्रेरित करना** : अर्थात कर्मचारियों को कार्य के लिए, मानसिक रूप से तत्पर बनाना तथा यह कार्य तत्परता उस समय तक बनाए रखना जब तक कि कार्य की सिद्धि न हो जाए। कार्य परिस्थितियां एवं कार्य के उद्देश्यों को इस तरह निर्धारित करना एवं कर्मचारियों के सामने प्रस्तुत करना कि वह कार्य उसे आकर्षित करे और उसके रुचि के क्षेत्र में आ जाए।

2. **कार्य की प्रभावशीलता बनाए रखना** : कार्य को आकर्षक बनाने, कर्मचारी की रुचि जाग्रत करने तथा व्यक्ति को अभिप्रेरित करके कार्य संपन्न करवाने के बाद भी प्रबंधक को यह ध्यान रखना जरूरी है कि कार्य प्रभावशीलता कम नहीं होनी चाहिए। क्योंकि कार्य की प्रभावशीलता ही कार्य की महत्ता को स्पष्ट करती है। साथ ही संतुष्टि स्तर को बढ़ाती है।

3. **उच्च मनोबल बनाना** : कार्य प्रभावशीलता एवं कार्य संतुष्टि के लिए कर्मचारियों का मनोबल उच्च होना चाहिए। गिरे एवं टूटे मन से किया गया कार्य की मात्रात्मक पूर्ति तो कर सकता है लेकिन गुणात्मक पूर्ति नहीं कर सकता। जबकि कार्य प्रभावशीलता के लिए कार्य गुणवत्ता कार्य मात्रा से अधिक आवश्यक होती है।

4. **कार्य के प्रति समर्पण एवं जवाबदारी की भावना** : कर्मचारी का मनोबल बढ़ाने में नेतृत्व एवं प्रबंधन दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि व्यक्ति की सारी क्षमता, योग्यता, रुचि, सफलता का स्तर, मानसिक क्षमता एवं मनोबल आदि सभी कुछ उसकी अपनी सोच पर निर्भर करता है। अतः कार्य प्रभावशीलता के लिए कार्य के प्रति लगाव का होना आवश्यक है। अन्यथा एक मशीन एवं मानव में कार्य की दृष्टि से कोई अंतर नहीं रह जाएगा।

5. **पारस्परिक विश्वास** : कर्मचारियों के मनोबल को ध्यान में रखते हुए ही प्रबंधन एवं नेतृत्व आदि तत्वों पर अधिक जोर दिया जा रहा है। प्रबंधन एवं प्रबंधक के प्रति कर्मचारी के मन में विश्वास होना चाहिए। यह विश्वास दोनों पक्षों के आपसी समन्वय से ही विकसित एवं स्थापित होना संभव हो पाता है। विश्वास कोई

जबरदस्ती थोपी गई बात नहीं है, यह व्यक्ति के अंदर की भावना है।

6. **व्यक्तिगतता को स्वीकार करना** : प्रबंधक, नेता या वरिष्ठ अधिकारी को प्रत्येक कर्मचारी की व्यक्तिगतता को स्वीकार करना एवं महत्व देना चाहिए। इससे कर्मचारियों में आत्म सम्मान एवं आत्म संतोष की भावना जाग्रत होती है। जब तक व्यक्ति आत्म संतुष्टि का अनुभव नहीं करेगा तब तक वह किसी भी कार्य में पूर्ण संलग्नता नहीं रख पाएगा।

प्रत्येक व्यक्ति के अपने अनुभव होते हैं और अपने अनुभवों के आधार पर ही उनका परसेप्शन निर्धारित होता है। किसी भी उद्देश्य के प्रति व्यक्ति का जैसा परसेप्शन होगा उसके प्रति उसका व्यवहार, अभिवृत्ति, कार्य करने का तरीका एवं सोच उसी तरह की होगी। यदि प्रबंधक अपनी टीम या समूह को अपने अनुसार बदलना चाहता है तो उसे सर्वप्रथम अपने कर्मचारियों को समझना होगा एवं उनके वास्तविक रूप में ही उन्हें स्वीकार करना होगा। तब फिर अपना उद्देश्य, अपनी नीतियां, अपना कार्य तरीका कर्मचारियों के सामने प्रस्तुत कर उसे स्वीकार करवाने का प्रयास किया जाना संभव हो सकेगा, क्योंकि कोई भी परिवर्तन जो फोर्स या दबाव द्वारा लाया जाएगा वह स्थिर नहीं होगा। बल के हटते ही परिवर्तन भी समाप्त होने की संभावना रहेगी। जो परिवर्तन स्वीकार करके सूझ-बूझ के साथ किया जाएगा उस पर कार्य करने के लिए व्यक्ति आंतरिक रूप से तैयार रहेगा। ऐसा परिवर्तन स्थायी भी रहेगा तथा उसकी प्रभावशीलता भी अधिक होगी।

क्षेत्र विस्तार एवं प्रभाव

कार्य की सफलता एवं प्रभावशीलता के लिए प्रबंधक या नेता को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि उनका कार्य क्षेत्र क्या है? उनका उद्देश्य क्या है? उनके कर्मचारी कौन हैं, उनकी योग्यता क्षमता कितनी है? तथा किस क्षेत्र से संबंधित हैं? साथ ही यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि उनके कार्यों का प्रभाव किन-किन लोगों एवं परिस्थितियों पर पड़ेगा एवं किस तरह का पड़ेगा? इन दोनों पक्षों पर ध्यान देना इसलिए आवश्यक होता है, क्योंकि इनमें विपरीतता का संबंध होता है। अर्थात यदि व्यक्ति का कार्यक्षेत्र बढ़ता है तो प्रभाव कम हो जाता है और यदि कार्यक्षेत्र कम होता है तो प्रभाव बढ़ जाता है।

स्वाभाविक है कि व्यक्ति जब अपना क्षेत्र अधिक विस्तृत करेगा तो समय का अभाव होगा जिससे व्यक्ति अपने कार्य पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे पाएगा जिससे प्रभावशीलता कम हो जाएगी। अतः प्रबंधक एवं कर्मचारी को अपना कार्य क्षेत्र निर्धारित करके दृढ़ता से काम करना चाहिए, क्योंकि इसका प्रभाव कर्मचारी के संतुष्टि स्तर एवं जन संबंध दोनों पर पड़ता है। अतः प्रबंधक को अपनी टीम या समूह का प्रभाव बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए।

चित्र से स्पष्ट है कि कार्यक्षेत्र एवं प्रभाव में विपरीत का संबंध है। कार्यक्षेत्र बढ़ने से प्रभाव कम हो जाता है। इसके संभावित कारण ये हो सकते हैं—

1. कार्यक्षेत्र की अधिकता होने से संसाधनों में

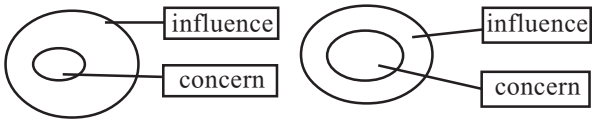

उस मात्रा में वृद्धि नहीं हो पाती है। अतः आवश्यकता से कम संसाधनों द्वारा ही कार्य पूरा करने का प्रयास किया जाता है जिससे सफलता का स्तर एवं प्रभाव दोनों ही कम हो जाते हैं।

2. कार्य तो अधिक हो जाते हैं लेकिन उन कार्यों को करने का समय सीमित ही रहता है। प्रत्येक कार्य को पर्याप्त समय न देकर जल्दबाजी में काम पूरा किया जाता है, जिससे कार्य की गुणवत्ता कम हो जाती है। अतः स्वाभाविक रूप से प्रभावशीलता कम हो जाती है।

3. एकसाथ कार्यक्षेत्र का विस्तार कर्मचारी की

एकाग्रता को भी कम करता है जिससे कार्य सफलता एवं गुणवत्ता दोनों ही प्रभावित हो सकती हैं तथा प्रभावशीलता कम हो जाती है।

4. प्रभावशीलता कम होने का एक कारण व्यक्ति की प्रतिकार प्रवृत्ति भी है। अतः प्रबंधक को रिएक्टिव प्रवृत्ति नहीं बल्कि प्रोएक्टिव एटीटयूट विकसित करना चाहिए। प्रोएक्टिव एटीट्यूट दूसरों को अधिक अभिप्रेरित करता है तथा व्यक्ति सोचने समझने के बाद सहानुभूतिपूर्वक अपनी प्रतिक्रियाएं देता है। इससे स्वमेव ही उसका प्रभाव बढ़ता है।

5. कार्य की अपेक्षानुसार योग्य कर्मियों का उपलब्ध न होना भी कार्य प्रभावशीलता को कम करता है।

पुलिस कार्य की प्रभावशीलता बढ़ाने में प्रबंधन का एक और तत्व मनोबल भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। इसलिए मनोबल पर चर्चा करना प्रासांगिक है।

समूह मनोबल

मनोबल वह तथ्य है जिससे समूह की एकता, संगठन, कार्य स्तर एवं सामूहिक भावना का ज्ञान होता है। उच्च मनोबल होने पर समूह के सदस्य समूह के प्रति, समूह के लक्ष्य एवं नेतृत्व के प्रति धनात्मक अभिवृत्ति रखते हैं। जिस तरह शक्ति के आधार पर स्थापित प्रबंधन एवं नियंत्रण अप्रभावी होता है उसी तरह भय एवं बाध्यता के आधार पर बढ़ाया गया समूह मनोबल भी अस्थाई होता है। निम्न स्तरीय मनोबल कर्मचारियों में असंतोष, भेदभाव, उदासीनता, समूह की समस्याओं से दूर भागना एवं नेतृत्व के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति आदि की मानसिकता बनाता है। सामूहिक मनोबल के प्रमुखतः दो पक्ष हैं—

1. मानसिक पक्ष
2. सामाजिक पक्ष

मानसिक पक्ष अर्थात व्यक्ति की वे प्रवृत्तियां जिनके द्वारा वह समूह या संगठन के नियमों एवं मानकों आदि को स्वतः स्वीकार करता है तथा इनके अनुसार ही अपना कार्य व्यवहार संपादित करता है।

सामाजिक पक्ष अर्थात व्यक्ति की सामूहिक भावना, एकता, संगठन आदि प्रवृत्तियां जिनसे व्यक्तियों के मध्य एकता एवं संगठन बना रहता है। यह तो स्पष्ट है कि उच्च मनोबल कार्य सफलता एवं प्रभावशीलता के लिए आवश्यक है लेकिन विचारणीय बात यह है कि मनोबल को उच्च कैसे रखा जाए? यदि निम्नांकित दो बातों पर ध्यान दिया जाए तो संभवतः कर्मचारियों का मनोबल उच्च स्तरीय बनाया जा सकता है—

1. सामूहिक व्यवस्था की प्रकृति
2. सामूहिक कार्यों में संतोष

जिस समूह की व्यवस्था जितनी उत्तम होगी या सदस्यों के अनुकूल होगी वह संगठन सदस्यों द्वारा उतना ही स्वीकार्य होगा तथा समूह के कार्यों में जितना अधिक संतोष कर्मचारियों को मिलेगा उनका मनोबल उतना ही उच्च होगा, क्योंकि स्वाभाविक रूप से प्रत्येक व्यक्ति सुख और संतोष ही चाहता है।

सामूहिक मनोबल के निर्धारक

1. मनोवैज्ञानिक निर्धारक
2. सामाजिक निर्धारक
3. आर्थिक निर्धारक
4. भौतिक निर्धारक

मनोवैज्ञानिक निर्धारकों के अंतर्गत निम्नांकित बातें आती हैं, जो मनोबल को उच्च बनाती हैं—

1. मनोवैज्ञानिक निर्धारक

(अ) निश्चित लक्ष्य : समूह व्यवस्थापन के लिए समूह के निश्चित लक्ष्य होने आवश्यक हैं। लक्ष्य निश्चित होने पर सभी सदस्य अपनी आकांक्षाएं एवं शक्तियां समूह लक्ष्यों की ओर केंद्रित कर देते हैं। इससे उनका सामूहिक मनोबल उच्च हो जाता है। यदि कोई

व्यक्ति अपना लक्ष्य निश्चित नहीं करता है तो वह उतनी उपलब्धियां भी अर्जित नहीं कर पाता है जितनी कि वह कर सकता है तथा निम्न उपलब्धि से धीरे-धीरे मनोबल भी गिरने लगता है।

(ब) लक्ष्य प्राप्ति की चेतना : यदि समूह का प्रत्येक सदस्य यह जानता हो कि समूह के कितने लक्ष्य उपलब्ध कर लिए गए हैं तथा कितने लक्ष्य उपलब्ध करने शेष हैं तो इससे बचे हुए लक्ष्यों को उपलब्ध करने के लिए कर्मचारियों में नया उत्साह जाग्रत हो जाता है तथा वह नई स्फूर्ति के साथ काम करते हैं। क्योंकि उपलब्ध लक्ष्य का ज्ञान उन्हें संतुष्टि प्रदान करता है तथा उनका मनोबल बढ़ाता है।

(स) आवश्यकताओं की संतुष्टि : समयानुसार आवश्यकताओं की संतुष्टि कर्मचारी के मनोबल को उच्च बनाती है। असंतुष्ट व्यक्ति का ध्यान काम पर न रहकर अपनी असंतुष्ट आवश्यकताओं पर ही लगा रहता है। इससे कार्य का स्तर एवं कार्य की मात्रा दोनों ही कम हो जाती है। मनोबल भी निम्न स्तर का हो जाता है जिससे कार्य सफलता दुष्प्रभावित होती है।

(द) नेता की सहनशीलता : सहनशीलता का गुण होने से नेता किसी भी प्रकार की समस्या का शांति एवं गंभीरता से समाधान ढूंढ़ता है। वह जटिलताओं में भी विचलित नहीं होता। साथ ही अपने कर्मचारियों की प्रशंसा भी करता है। इससे पारस्परिक मैत्री भावना विकसित होती है तथा मनोबल उच्च रहता है। समूह में नेता की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि समूह की सफलता नेता पर निर्भर करती है।

(प) लाभ एवं त्याग में समानता : यदि समूह के सदस्यों को यह अहसास होता है कि सभी को बराबर का लाभ हो रहा है तथा समूह हित में सभी को बराबर से त्याग भी करना होता है तो उनमें एकता की भावना बनी रहती है। कर्मचारी इस बात से निश्चिंत रहते हैं कि उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव या पक्षपात किया जा सकता है। वे सब एक दूसरे की मदद करते हुए काम करते हैं जिससे कार्य शीघ्रता से एवं गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाता है।

(फ) आकांक्षा स्तर : जिनका आकांक्षा स्तर उच्च होता है वे अधिक सक्रिय होते हैं तथा पूर्ण आशावादिता के साथ काम करते हैं। वे अपने आकांक्षा स्तर को पाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं लेकिन यह ध्यान रखना जरूरी है कि उनकी योग्यता क्षमता एवं आकांक्षा स्तर में बहुत अधिक अंतर न हो, अन्यथा कर्मचारी असफल हो सकते हैं। बार-बार की असफलता उनका मनोबल गिरा सकती है।

(भ) संलग्नता की भावना : एकसाथ मिलकर, संलग्न होकर काम करने से समूह भावना विकसित होती है जो समूह कार्य की सफलता के लिए आवश्यक है। संलग्नता अर्थात सदस्यों का आपस में जुड़ाव। सदस्यों की इच्छाओं, भावनाओं एवं प्रेरणाओं में समानता का होना। समानता सभी सदस्यों के कार्यों में एकरूपता लाती है। सदस्यों में टीम भावना का विकास करती है। टीम भावना कार्य की सफलता एवं प्रभावशीलता बढ़ाती है तथा मनोबल उच्च बनाती है।

2. सामाजिक निर्धारक

सुदृढ़ सामाजिक व्यवस्था, आदर्श एवं मूल्य सामूहिक मनोबल को उच्च बनाते हैं। इसीलिए इनमें एकरूपता रखना जरूरी है। सामाजिक मानक, मूल्य एवं आदर्श में एकरूपता रखनी चाहिए।

3. आर्थिक निर्धारक

आर्थिक संपन्नता व्यक्ति को बेरोजगारी, गरीबी आदि समस्याओं से दूर रखती है। लोग अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाते हैं तथा आत्म विकास में ही अपना पूरा ध्यान लगाते हैं। व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक विकास पर्याप्त हो पाता है तथा व्यक्ति अपने से अपेक्षित कार्यों को संपन्न करने में स्वयं को सक्षम महसूस करते हैं।

इससे उनका सफलता का स्तर बढ़ता है। साथ ही समूह की प्रभावशीलता भी बढ़ती है।

4. भौतिक कारण

यदि संगठन के पास पर्याप्त संसाधन होते हैं तो सदस्यों की कार्यक्षमता बढ़ सकती है, क्योंकि यह सच है कि संगठन में सर्वाधिक महत्व कर्मचारी अर्थात मानव का होता है लेकिन कार्य पूर्ति के लिए संसाधनों का होना नितांत आवश्यक होता है। यदि व्यक्ति को कार्य के उत्तरदायित्व, जवाबदारियां एवं अपेक्षाओं के अनुरूप संसाधन उपलब्ध हों तो कार्य पूर्ण गुणवत्ता से संपन्न किया जा सकता है। गुणवत्ता के साथ संपन्न कार्य कर्मचारी का मनोबल बढ़ाता है साथ ही इससे समूह की सफलता एवं प्रभावशीलता भी बढ़ती है।

इस तरह पुलिस कार्य की सफलता में प्रबंधन एवं मनोबल का सक्रिय प्रभाव पड़ता है। अतः प्रत्येक कर्मचारी को अपने प्रबंधक एवं उसके प्रबंधन के तरीके पर विश्वास करना ही चाहिए तथा प्रबंधक को भी अपने कर्मचारियों का ध्यान रखते हुए समूह उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्हें प्रेरित करना चाहिए। उनकी व्यक्तिगतता को स्वीकारना चाहिए तभी संगठन या समूह का कार्य अधिक सफलता पूर्वक संपन्न हो सकेगा तथा समूह की प्रभावशीलता में वृद्धि हो सकेगी।

अंधेरे में गुम अपराधों का पर्दाफाश करते हैं अंगुलछाप और हस्तलेख विज्ञान

बृजबाला
विवादित अभिलेख एवं अंगुलछाप विशेषज्ञ
विवादित अभिलेख एवं अंगुलछाप परीक्षण संस्थान
ई-107, शास्त्री नगर, मेरठ (उ.प्र.)

'धोखाधड़ी' इन दो शब्दों में भी न जाने कितनी ताकत है कि इनकी लपेट में आकर साफ-साफ और बेदाग निकल जाना तो असंभव नहीं है, फिर भी महाकठिन तो अवश्य ही है। जबकि एक तरफ साइबर स्पेस मानव जीवन के राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए एक वरदान सिद्ध हुआ है तो दूसरी तरफ इसमें थोड़ी सी भी चूक हो जाने पर यही वरदान एक बहुत बड़ा अभिशाप भी बन जाता है, क्योंकि मानव चाहे स्वयं कितना भी बुद्धिमान, सतर्क और होशियार हो, वह भय और लालच को त्याग दे, बुरे कार्यों से घृणा करे और सदा सतकर्मों में रुचि रखने वाला क्यों न हो। फिर भी अपने या पराए, उसे कभी न कभी, कहीं न कहीं धोखा देकर उसका कुछ न कुछ तो अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए अनिष्ट करेंगे ही। विशेषकर जबकि आज इस धोखाधड़ी के युग में उसकी सहायतार्थ वैज्ञानिक उपकरणों, इंटरनेट स्कैनर, ए.टी.एम.ए., मोबाइल बैंकिग, ऑन लाइन—संपर्क, क्रेडिट-डेबिट कार्ड इत्यादि उपलब्ध हैं।

ऐसे में पहचान चोरियों की अपनी किसी असावधानी के कारण कुछ न कुछ तो भूल-चूक होती है। यह तो हो सकती है। इस भूल का तुरंत लाभ उठाने के लिए भी हर समय, हर जगह शिकारी तैयार बैठे रहते हैं। जो कि पहचान चोरी के बल पर दूसरों के खून-पसीने की कमाई झट से निगल जाते हैं। आजकल अपराधी बहुमूल्य समान चोरी के साथ-साथ अपने शिकार की आई डी की भी चोरी करते हैं। फिर उसका प्रयोग अपराधकारित करने में भी करते हैं और उन्हें (मालिको को) इसका आभास भी नहीं होता। जब तक ऐसी चोरियों का संज्ञान होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। फिर ऐसे में कुछ भी हाथ नहीं आता। यदि आता भी है तो बहुत कम की समय बर्बादी, प्रतीक्षा और घोर मानसिक यातना के बाद।

जैसे बीत गया समय और बह गया पानी कभी वापस नहीं आ सकता। इसी प्रकार से गई धन संपत्ति लौट कर नहीं आती। व्यक्तिगत धोखाधड़ियों के अतिरिक्त अब तो कारपोरेट जगत में भी पहचान चोरी के विषाक्त कीटाणुओं ने बड़ी सुगमता से अतिक्रमण कर डाला है। यह तथ्य तो सन 2009 की शुरुआत में ही रामालिंगम राजू के सत्यम टेक्नोलोजिस्ट के इकबाले जुर्म और उसके इकबाले जुर्म ने कर लिया था।

अब समय आ गया है कि किसी भी कंपनी की पूंजी, संपत्तियों का ब्योरा, दौलत धन-संपदा ग्राहकी तथा उस कंपनी में कार्यरत नौकरों, कर्मचारियों की विश्वसनीयता, अनन्यता और गोपनीयता सुरक्षित भी है कि नई जांच लेनी चाहिए, क्योंकि यह जरूरी नहीं है कि आपकी संपत्ति, पूंजी का विवरण वैसा ही मिले जैसा कि वह है। अब इस तथ्य पर भी पुनः विचार करना होगा।

वास्तव में आज के युग की सबसे बड़ी त्रासदी ही है आई डी चोरी की, क्योंकि पहचान की चोरी किसी भी थोड़ी तकनीकि जानकारी शातिर और आपराधिक वृति के व्यक्ति की थोड़ी सी भी सूझबूझ और टेक्नोलोजी के ज्ञान द्वारा किसी भी व्यक्ति के गुप्त भेदों की जानकारी बड़ी आसानी से प्राप्त की जा सकती है। कल्पना कीजिए कि आपने अपने भविष्य के लिए बूंद-बूंद करके अपनी गाढ़े पसीने की कमाई का कुछ अंश भविष्य के लिए

जमा किया हो और दूसरी तरफ कोई अनजाना व्यक्ति चुपके से उस धन की चोरी (आपकी पहचान चोरी के माध्यम से उसके एक ही शातिर वार से पार कर ले जाए तो। दिल को कितना बड़ा। धक्का लगता है इसका अंदाजा तो वही लगा सकता है जिसके साथ ऐसी कोई घटना घटी हो। ऐसे चोर व्यक्ति समाज के लिए कोढ़ हैं जो अपने कुकर्म द्वारा पूरा का पूरा वातावरण ही दूषित और दुःख से बोझिल कर देते हैं।

दूसरी तरफ जब धोखे का पर्दा फाश होता है तो कानून उस अपराधी को दंडित करता है तथा समाज भी उसका तिरस्कार और बहिष्कार करता है। वह भी जीते जी मर जाता है। ऐसे में धोखाधड़ी के मामले दोनों सिरों पर ही दुःख और पीड़ा को जन्म देते हैं। ऐसे व्यक्ति पहचान की चोरी किसी व्यक्ति के टेलीफोन नंबर, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, टेलीफोन बैंकिंग, बैंक की पास बुक, चैक बुक चोरी करके उसके व्यक्तिगत डाटा का भेद लेकर अपने इंटरनेट के माध्यम से अपनी स्वार्थपूर्ति के लिए उस धन का आहरण कर लेते है। फिर मुक्त हाथों से लूट के उस पैसे को उड़ाते हैं। कभी-कभी तो राहजनी करके उस व्यक्ति का ए.टी.एम. कार्ड छीनकर उसका पासवर्ड उसी से पूछकर पैसा निकाल कर बाद में उसका मर्डर तक कर देते हैं।

उपरोक्त धोखेबाज व्यक्ति बड़ी आसानी से अपने लक्ष्य को पाने में सफल हो जाते हैं। इंटरनेट के जरिए दूसरों की पहचान चोरी के माध्यम से उनके भेदों को कैसे जाना जाता है। इसका साधन है कि आज अब एक ऐसा वायरस भी आसानी से उपलब्ध है जिसको विन 32/ रेमनेट के नाम से भी जाना जाता है। इस वायरस में खुद को छिपा लेने की अद्‌भुत क्षमता है। जिसके प्रति भारत के साइबर सुरक्षा अधिकारियों ने जनता को सचेत भी किया है कि उपभोक्ताओं को चाहिए कि वह (1) बिना भरोसे वाली साइटों पर कभी भी न जाएं। (2) बिना लाइसेंस और चोरी के साफ्टवेयरों का प्रयोग कभी भूलकर भी न करें। जाने अनजाने गलत साइटों पर जाने की छोटी सी भूल भी कभी-कभी उन्हें बड़ी भारी पड़ सकती है, क्योंकि ब्रेन-क्राइम आज के युग में जितनी तेजी से बढ़ रहे हैं उतने अन्य प्रकार के क्राइम नहीं। अपराधी भी इस क्षेत्र में वैज्ञानिकों से आगे ही आगे बढ़ते जा रहे हैं।

इन सब अपराधों का पर्दा फाश अगर कोई कर सकता है तो वह है हस्तलेख विज्ञान और अंगुलछाप विज्ञान। क्योंकि जब और जहां पर भी इस लूट की पूंजी का प्रयोग धोखेबाज व्यक्ति इन्वेस्ट करता है तो अवश्य ही उसमें उसे अपना फोटो व अपने हस्ताक्षर और लिखावट की सहायता तो लेनी ही होती है। बस उसी के आधार पर वह व्यक्ति पकड़ में आ जाता है। तब उस तक पहुंच कर अपराध को अपराधी से जोड़ा जा सकता हैऔर निरापद सत्य का भी पता लगाया जा सकता है। ऐसे में विश्वसनीय और ठोस साक्षी के आधार द्वारा व्यक्ति की समस्त क्रियाओं का आधार तो केवल मानव मस्तिष्क ही है।

(3) इस युग में ब्रेन-क्राइम सर्वोपरि कारित हो रहा है। देहली की हाल की ही एक क्राइम रिपोर्ट यह कहती है। कि व्हाइटकलर-क्राइम में 108% की वृद्धि हुई है जिसमें 71% व्हाइट-कालर-क्राइम बंदी बनाए गए थे। सन 2010 में जिसमें से 148% श्वेत-वसन अपराधी थे। पिछले वर्ष पकड़ में आए अपराधियों में जिनसे देहली पुलिस ने 4 या 5 करोड़ रूपये और हजारों मोबाइल फोन, तीन दर्जन यातायात की गाड़िया बरामद की हैं। इस सूची में वह अपराध भी शामिल हैं जिनमें नकली लाटरियों के टिकट, फर्जी नौकरियां, फर्जी मृत्यु के प्रमाण-पत्र, नियुक्ति पत्र, विदेशों में नौकरियों की नियुक्तियों के पत्र, ए.टी.एम. से धन निकालना, फर्जी जमीन जाएदाद के कागज और दस्तावेज बनाना, फर्जी वकालतनामे, हलफिया बयान फर्जी रजिस्ट्रियां, झूठे एजेंट, जमीन की खरीद व बिक्री के कागजात भी शामिल हैं।

(4) इसके अतिरिक्त पिछले एक दशक में स्वयं

अपनी गलत पहचान और अन्य लोगों की पहचान (इमपरडो-निफिकेशन) के बल पर ठगी द्वारा प्रतिष्ठित और ऊंची नौकरियों को पा लेने वालों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। जैसे पायलेट, मेडिकल डाक्टर, वकील, बैंक की नौकरियां, फौज व पुलिस विभाग की नियुक्तियां। ऐसे केसों में यदि प्रमाण पत्रों की छानबीन थंड पार्टी रेफरेंस चैक के माध्यम उनसे किए गए हस्ताक्षरों लेखों व अगुलछलों के आधार पर की जाए तो मामलों की सत्यता पर सीधा पहुंचा जा सकता है। निजी अनुभव के आधार पर यह पाया गया है कि ऐसे मामलों में गलत नियुक्तियों की संख्या में कहीं अधिक वृद्धि हुई है। इस प्रकार के धोखों में 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। Auto Bridge कहते हैं कि चाहे नौकरी पाने के लिए हो, चाहे साइबर क्राइम करने के लिए, पहचान की चोरी, टेली काम-फ्राड करने के लिए साइबर चोरों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। जिसने देश की अर्थ व्यवस्था और शांति को भंग कर दिया है।

(5) इस विषय में अजय तेहराय C.E.O. Autho Bridge व्यक्त कर रहे हैं—

उपरोक्त सब इसी लिए संभव हो रहा है, क्योंकि वर्तमान युग में समस्त कार्य व्यापार के आदान-प्रदान व ट्रांजेक्शन, कालेज, यूनिवर्सिटी व नौकरियों के आवेदन पत्र अब आनलाइन द्वारा कि, जा रहे हैं। श्रीमती अंजली डयूरेजा डाइरेक्टर ने कहा है कि ज्यादातर बौद्धिक स्तर पर नियुक्तियों के लिए जानकारियाँ सीधे आन लाइन संपर्क सूत्र द्वारा प्राप्त की जाती हैं जो कि सदैव सुरक्षित नहीं होतीं। विशेषकर आई. टी. इंडस्ट्रीज में।

(6) यह कि आन लाइन द्वारा किसी भी धोखे को अंजाम दे देना बच्चों का खेल मात्र है। जो अधिकतर अविश्वसनीय असत्य और गलत हो सकता है। अतएव आन-लाइन फार्म फिलिंग में असुरक्षा-असत्य की संभावना अधिक रहती है। ऐसे में थर्ड पार्टी रेफरेंस चैक को माध्यम बनाकर सत्य को जाना जा सकता है। जैसे कि मृत्यु प्रमाण-पत्र, स्कूल सर्टिफिकेट किसी भी स्कूल कालेज में जारी करने वाले सूत्रों से संपर्क किया जाना चाहिए। यह अनिवार्य और आवश्यक है। इसमें गलतियों की संभावना कम हो सकती है। परंतु व्यवहार में ऐसा नहीं किया जाता। केवल जब कहीं कोई संदेह पैदा करता है या उसकी शिकायत दर्ज कराता है तभी विभाग थर्ड पार्टी रेफरेंस चैक उक्त केस में करवाती है। व्यक्ति के अंगुल छाप के परीक्षण व मिलान कम्पैरिजन के बाद ही सत्य का पता लगाया जाता है। ऐसे मामलों को सुलझाने में एक प्रमुख बिंदू केवल यही है। अन्यथा ऐसे मामलों में बहुत बड़ा धोखा व भूल हो सकती है।

अभिलेख परीक्षण और अंगुलछाप विज्ञान के परीक्षण के बाद सत्यता को ठीक-ठीक जाँचा जा सकता है। आज ऑन लाइन फर्जी वाड़े भी कई प्रकार के हो गए हैं। चूंकि अब तो स्मार्ट फोन में इंटरनेट का प्रयोग भी कई लोग करने लगे हैं। अतएव बिना इंटरनेट व कम्प्यूटर के भी कई व्यक्ति आन-लाइन धोखों का शिकार हो सकते हैं। इसके निवारण के लिए उन्हें सलाह यह है कि वह अपने घर में भेदिया-किरायेदार न पालें। ऐसे धोखों से बचाव के लिए आवश्यक व आन-लाइन शॉपिंग बेहद सूझबूझ से की जानी चाहिए। यह देखा गया है कि पहचान चोरी के लिए पढ़े-लिखे भद्र दिखाई देने वाले लोग किसी के घर में किरायेदार बनकर बड़ी आसानी से गृह स्वामी का विश्वास जीतकर उसके पूरे भेद पा जाते हैं और बड़ी आसानी से उनके बैंक एकाउंट, पास बुक, चैक बुक, चुराकर फर्जी हस्ताक्षर बनाकर उनका पैसा चुराकर अपनी सम्पत्ति बनाते हैं और किसी को उनपर शक भी नहीं होता। परंतु खोजबीन करने पर उनके लेखों के सज्जन, भद्र चोर तक पहुंचना संभव हो पाया है। उसे फिर न्यायालय तक ले जाना भी संभव हुआ है।

(7) गाजियाबाद शास्त्रीनगर में एक अपर मिडिल क्लास दंपति ने किसी जानकार की सिफारिश पर एक युवा दंपति को बच्चे सहित अपने मकान के किरायेदार

रख लिया। दोनों पढ़े-लिखे। पत्नी डाक्टर व पति सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपने पांच वर्ष के पुत्र के साथ थोड़े समय में ही उन्होंने अपने सभ्य और शिष्ट व्यवहार से किरायेदार बनकर आए। मकान मालिक का विश्वास जीता। उन्हें अपना भरोसा दिलाया। इतना कि वह मकान मालिक उनके भरोसे अमेरिका में अपना घर छोड़कर अपने पुत्र के पास छः माह के लिए चले गए। लौटकर जब आए तो सबकुछ सामान्य था। परंतु बैंक से काल आई कि उनके क्रेडिट कार्ड के प्रयोग से तीन सोने के सिक्के खरीदे गए थे जिसका पैसा उन्हें देना है तथा उनकी पत्नी बाला त्यागी के खाते से सात लाख रूपये दो चैकों द्वारा निकाले गए थे। जब ज्ञात हुआ तो वे हैरान और परेशान हुए। यह कैसे हो सकता है? उस समय तो वह अमेरिका में थे। परंतु यह सत्य था हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की राय ली। शंका किरायेदार पर थी। उसमें लिखाई से वह लेख मिल गए। जो जाली चैकों पर लिखे थे दूसरा घर से जेवर भी गायब था। जिसका कोई सबूत नहीं मिल पाया, क्योंकि चोरी का माल उसके पास बरामद होना चाहिए था। वह नहीं हुआ। हस्त लेख विशेषज्ञ की राय से यह तो साबित हो ही गया कि चैक बुक बचत खाते पर बाला त्यागी के जाली हस्ताक्षर बनाकर निकाले गए थे। चुराया गया वह पैसा पंजाब नेशनल बैंक के गांव में जाली पहचान पत्र बनवाकर P.N.B. में खाता खोलकर जमा किया जिसकी जमीन खरीदी परंतु शक्ल व फोटो तो वही था। वह नहीं छुपा सका। हैंडराइटिंग व फोटो पहचान पत्र, झूठा पता व नाम देकर पंजाब नेशनल बैंक में जमा किया। जिसका मिलान खाता खोलने के फार्म के लेख द्वारा गाजियाबाद में पहले निकाले गए फर्जी चैकों की राईटिंग से किया। तो एक ही लेखक का लिखा पाया गया। हस्तलेख विशेषज्ञ की राय के बल पर उस आरोपी को थाना कविनगर में गिरफ्तार करके गाजियाबाद सी.जे.एम. के यहां मुकदमा दर्ज किया और पुनः आरोपी के नमूना लेख लेकर मिलान किया गया तो संदिग्ध लेखों व नमूना लेखों का जो एक ही व्यक्ति के पाये गए थे बेल पर छोड़ा गया फिर संदिग्ध लेखों की राय एक्सपर्ट से ली गई। उसने जुर्म स्वीकार किया कि वह पैसा लौटा देगा। इस प्रकार पहचान चोरी को हस्तलेख विज्ञान के प्रयोग से पूर्ण सफलता मिली। परंतु किश्तो में अदा कर देगा। इसलिए उसे क्षमा कर दिया जाए व मुकदमा वापस ले ले लिया जाए परंतु ऐसा संभव नहीं था।

(8) केस नं. दो मोबाइल बैंकिंग का जिसमें कहते है। "कर लो बैंक मुटठी में।" कितना महंगा व भारी पड़ सकता है कभी-कभी यह मि. रैना गाजियाबाद के केस में दिखाई पड़ा।

मि. रैना के मकान में एक युवक किरायेदार बनकर मकान मालिक की आई.डी. मोबाइल बैंकिंग द्वारा मोबाइल से उनके तीन लाख रूपये मोबाइल बैंकिंग से निकाल लिए यह कह कर कि मैं रैना ही बोल रही हूं पैसा दे दो। चैक बुक से चैक भी रैना के हस्ताक्षर जाली बनाकर बैंक से अस्सी हजार रूपये निकाले। उससे साबित हो गया कि उस किरायेदार ने उसका पैसा निकालकर दूसरे बैंक में डाल दिया था। इस प्रकार पकड़े जाने से पहले ही वह मकान छोड़कर दूसरा ऐसा ही घर तलाश लिया। अधिकतर सीनियर सिटीजन्स का, क्योंकि उन्ही को किसी युवा सहारे की जरूरत होती है। जिसमे ऐसे व्यक्ति उनकी आई.डी. चोरी करके अपना घर भरते हैं। परंतु कुछ देर के लिए। अंत में विनाश कहां तक गिनाएं इस प्रकार के विश्वासघात खूब हो रहे हैं। जिनका पता बहुत बाद में चलता है और उनका समाधान हस्तलेख और अंगुलछाप विज्ञान ही करते हैं। जब भी कहीं इस प्रकार की समस्या खड़ी होती है तो ऐसे धोखों की पहचान भी हो जाती है। साक्ष्य देते है आरोप विज्ञान जिससे उसे सलाखों के पीछे जाना ही पड़ता है।

(9) नोएडा की एक मोटर कम्पनी से भूतपूर्व गार्ड ने अपनी कम्पनी के मालिक के चार चैक ब्लैंक चोरी कर लिए। उन्हें उसने फोर्ज करके बैंक में भेजा।

दो चैक बाउंस हो गए तो दो की चोरी का खुलासा हुआ। मालिक के हस्ताक्षर चारों चैक से मिलाने पर पता चला कि वह चोरी चैक मालिक द्वारा हस्ताक्षरित नहीं थे। सिक्योरिटी गार्ड सचिन पांडे ने फर्जी आई.डी. व फर्जी राशन कार्ड दिखाकर बैंक ऑफ इंडिया में फर्जी नाम शिवकुमार के नाम से सैक्टर I नोएडा में एक खाता खुलवाया और अपने गांव भदोई जिला में उन्हें डालकर कैश करवा लिये। सचिन पांडे ने यह खाता शिवकुमार के नाम से अपना नकली ड्राइविंग लाइससें व राशन कार्ड दिखाकर देकर चैक कैश करा लिये। उन चैकों को नकली हस्ताक्षर होने के कारण बैंक ने वापस कर दिया। मोटर कंपनी को इस प्रकार थाना नोएडा सेक्टर I में धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ।

विशेषज्ञ की राय में उक्त चैकों पर नकली हस्ताक्षर मोटर कंपनी मालिक के न होकर पांडे द्वारा जालसाजी करके बनाए गए थे जिसमें उसका मिलान उसके स्वीकृत लेख से किया गया तो लेख उसी का पाया। दूसरी जांच में फर्जी खाते पर शिवकुमार के लेख से सचिन पांडे का लेख मिलाया गया तो एक ही व्यक्ति सचिन निकला। फोटो व लेख से सचिन और शिवकुमार के एक ही पाये गए।

धोखाधड़ी और चोरी का कार्य सुकर्म नहीं है, क्योंकि इसमें परपीड़ा निहित है। जिसकी चोरी होती है उसको कितनी पीड़ा पहुंची इसका अनुमान सुगमता से किया जा सकता है। तुलसीदास जी ने भी रामचरित मानस में लिखा है कि 'पर पीड़ा राम नहीं अधमाई।' ऐसे कार्यो से समाज का भी कोई कल्याणकारी कार्य नहीं होता है। ऐसे कर्म विकर्म हैं। इसकी सफलता में दिव्यानंद नहीं पैशाचिक आनंद प्राप्त होता है जो क्षणिक होता है। तथा पीड़ित की हाय के कारण पीड़ा पहुंचाने वाले व्यक्ति को अंततोगत्वा दु:ख ही मिलता है। चाहे कुछ देर से। अतएव धोखाधड़ी के भेदों को खोलने में हस्तलेख विज्ञान और अंगुलछाप विज्ञान का सहारा देकर अपराधी तक पहुंचा जा सकता है और पीड़ित को न्याय दिलाया जा सकता है, क्योंकि यह ठोस आधार देकर विज्ञान एक और सटीक साक्षी का काम करते हैं समय के साथ इनमें फेरबदल नहीं होती, न यह नष्ट होते हैं।

धोखों से बचने का एक ही उपाय है। सावधानी और लालच में न फंसना। अपने समस्त कार्यों को पूरी ईमानदारी, परिश्रम से करना सबकुछ होते हुए भी कुछ और भी मिल जाए तो क्या हर्ज है। ऐसी सोच वाले व्यक्ति लालच के जाल में फंसकर धोखाधड़ियों का शिकार बनते हैं। संसार में कुछ भी सुलभ नहीं है अकर्मण्य और आलसियों के लिए लालच ही तमाम गुनाहों की मां है। नेक और अच्छी कमाई ही सुख देने वाली होती है। जिसका फल हमेशा मीठा होता है।

निष्कर्ष—

मानव प्रकृति में समभाव का होना ज़रूरी है। किसी भी प्रकार की लालसा चाहे पैसे की, शक्ति की अथवा पराये धन को हड़पने की हो, हमेशा नुकसान देती है। इससे मुक्त होकर एक स्वामी की तरह श्रम और सही प्रकार से अर्जित किया धन इहलोक और परलोक दोनों को संवारता है। धोखेबाजों से बचने का एक ही उपाय है कि कभी उनके प्रलोभन के जाल में न फंसें। कोई भी व्यक्ति कभी कुछ मुफ्त नहीं देता। मुफ्त पाने वाले ही धोखा खाते हैं। वह पहले दाना डालते हैं फिर शिकार को फांसते हैं। सतर्क रहकर जीवन के सभी कार्य व्यापार किए जाने चाहिए। इससे सुख शांति व्यवस्था मिलती है।

अपराध पीड़ित के प्रति पुलिस का व्यवहार

डा. जनार्दन कुमार तिवारी
सहायक प्राध्यापक (विधि)
विधि संस्थान
जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर म.प्र.-474011

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में ही रह सकता है। कोई व्यक्ति ईश्वर या पशु हो सकता है पर मनुष्य नहीं यदि वह सामाजिक नहीं है। सामाजिक प्राणी होने के नाते मनुष्य की अनेक आवश्यकताएं हैं। आवश्यकताएं ही विवाद को जन्म देती हैं। प्रारंभिक काल में मनुष्य जंगली था। उस समय न उसकी कोई आवश्यकता थी और न कोई विवाद। सभ्यता के विकास के साथ मनुष्य की आवश्यकताएं बढीं और विवाद भी बढ़ा। सभ्यता के साथ-साथ विधि की भी आवश्यकता महसूस हुई, क्योंकि विधि संगठित सामाजिक जीवन को संभव बनाती है।

राज्य का कर्तव्य है कि अपने क्षेत्र में शांति व्यवस्था की स्थापना करना एवं अपने नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करना। सभ्यता के विकास के साथ-साथ मनुष्यों के व्यक्तिगत अधिकार तथा इन अधिकारों के संदर्भ में कर्तव्यों की विचारधारा का प्रादुर्भाव हुआ और अपराध करना किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध अपराध न मानकर सभ्यता के विरुद्ध अपराध माना जाने लगा। सभ्यता के विरुद्ध अपराध होने पर राज्य ने आपराधिक न्याय प्रणाली, अपराध, अपराधी एवं दंड के प्रावधानों तक सीमित हो गई। भारतीय न्याय प्रणाली में अपराध नियंत्रण हेतु भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता, पुलिस अधिनियम जैसे विधान मौजूदा हैं।

राज्य का मुख्य कर्तव्य है कि व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करना, उन्हें संरक्षण प्रदान करना एवं अपराधों की रोकथाम कर कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। अपराधों की रोकथाम के लिए अभियुक्त को गिरफ्तार करना उसके विरुद्ध मामले का विचारण कर उसे दंडित करना राज्य का कर्तव्य है। अपराधी व्यक्ति को गिरफ्तार करना तथा उसको दंडित करने में पुलिस सक्रिय भूमिका निभाती है। पुलिस का मुख्य कार्य अपराध कारित होने की सूचना मिलने पर घटनास्थल पर जाना और घटना से संबंधित साक्ष्यों और सबूतों को एकत्रित करना है।

भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली इस सिद्धांत पर आधारित है कि व्यक्ति को तब तक निर्दोष माना जाए जब तक कि उसका दोष साबित न हो जाए। इसे प्रतिपज्ञात्मक पद्धति कहा जाता है। इस पद्धति की मूल धारणा है कि सच्चाई तक पहुंचने का सर्वोत्तम तरीका यह है कि अभियोजन पक्ष तथा बचाव पक्ष को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अधिकार तथा उनके बीच प्रतिद्वंद्विता का होना। इसके ठीक विपरीत इन्क्वीसीटोरियल पद्धति में अभियुक्त को दोषी माना जाता है जब तक कि वह अपने को निर्दोष साबित न कर दे। इस प्रणाली में न्यायाधीश द्वारा स्वयं अन्वेषण किया जाता है। भारत में आपराधिक मामलों का निपटारा प्रतिपज्ञात्मक पद्धति से होता चला आ रहा है। यह प्रणाली उचित एवं न्यायसंगत है किंतु अपराध पीड़ित व्यक्ति की दृष्टि में अभियुक्त के लिए अधिक लाभदायक है।

अपराध से पीड़ित व्यक्ति से आशय ऐसे व्यक्ति से है जिसने व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से कष्ट सहन किए हैं। अपराध पीड़ित व्यक्ति वह है जिसको गैर कानूनी कृत्य के कारण शारीरिक भौतिक या नैतिक हानि पहुंचाई गई है।

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम 2008 की धारा 2(बक) में पीड़ित को परिभाषित किया गया है जिसके अनुसार, "पीड़ित से अभिप्रेत है वह व्यक्ति जिसे कोई नुकसान या क्षति उस कृत्य या लोप जिसके लिए अभियुक्त व्यक्ति को आरोपित किया गया है, के

कारण सहन किया है और अभिव्यक्ति पीड़ित में उसके संरक्षक या विधिक उत्तराधिकारी भी शामिल है।"

इस परिभाषा के अनुसार पीड़ित से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसने किसी के आपराधिक कार्य या लोप से क्षति सहन की है पीड़ित में पीड़ित व्यक्ति के संरक्षक एवं उसके उत्तराधिकारी भी सम्मिलित होते हैं अर्थात पीड़ित के बच्चे, पति या पत्नी, माता-पिता शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्रसंघ ने अपराध एवं शक्ति के दुरुपयोग से पीड़ित व्यक्ति के अधिकारों संबंधी घोषणा 1985 के मूल सिद्धांतों में अपराध से पीड़ित व्यक्ति में उन व्यक्तियों को भी सम्मिलित माना जाता है, जिन्हें कि अपराध करने वाले व्यक्ति की पहचान के बिना ही गलत रूप से निरोध में लेकर अभियांजित किया गया है और दंडित किया गया है।

इसी तरह जो व्यक्ति पीड़ित व्यक्ति की पीड़ा से दुख वहन किया हो अथवा जो पीड़ित व आश्रित हो तथा वह व्यक्ति जिसने पीड़ित व्यक्ति को हानि से बचाव करने के लिए प्रयत्न किया हो उन्हें भी पीड़ित व्यक्ति माना जाता है।

पीड़ित व्यक्ति की क्षति या नुकसानी राज्य अपनी क्षति और नुकसानी मानता है और पीड़ित व्यक्ति की तरफ से राज्य स्वयं ही न्याय प्राप्त करने के लिए कार्रवाई करता है। प्रत्येक आपराधिक कृत्य या लोप में तीन चीजें होती हैं—

1. अपराधी 2. अपराध 3. अपराध से पीड़ित व्यक्ति।

अपराध से पीड़ित व्यक्ति को निम्नलिखित प्रकार की क्षति या हानि कारित होती है—

1. भौतिक क्षति या हानि,
2. परिवार पर क्षति का प्रभाव,
3. आर्थिक नुकसान,
4. सामाजिक तनाव,
5. मनोवैज्ञानिक या मानसिक तनाव या उत्पीड़न

उपरोक्त क्षतियों के साथ साथ अपराध से पीड़ित व्यक्ति को निम्न से सामना करना पड़ता है।

1. पुलिस, 2. न्यायालय में विचारण व 3. समाज से।

पुलिस से सामना सबसे पहले अपराध से पीड़ित व्यक्ति का होता है। पुलिस का कार्य समाज में कानून व्यवस्था एवं शांति व्यावस्था बनाए रखने का है तथा समाज के लोगों की सुरक्षा करना। अपराधों का पता लगाना और उनको रोकना तथा समाज में कानून और व्यवस्था बनाए रखने वाली एजेंसी के रूप में कार्य करना पुलिस का बुनियादी काम है। पुलिस की यह भूमिका बदली नहीं है और न बदल सकती है। जिस ढंग से पुलिस द्वारा अपनी भूमिका पूरी की जानी है उसमें बदलाव की आवश्यकता है।

पुलिस कर्मचारी के व्यवहार और उसकी कार्यप्रणाली के बारे में आम जनता की राय बिल्कुल अच्छी नहीं है। पुलिस के प्रति अविश्वास और नापसंदगी की धारणा पाई जाती है। इसका मुख्य कारण कुछ इस प्रकार से है—

1. पुलिस अपना कार्य करते समय जनता के साथ अभद्रता से पेश आती है और क्रूर तरीके भी अपनाते है।

2. पुलिस का भ्रष्ट होना जिसके कारण पुलिस के प्रति जनता का विश्वास धीरे-धीरे समाप्त हो जाता है।

3. पुलिस का जनता की शिकायतों पर ध्यान नहीं देना इत्यादि।

पुलिस को जनता का विश्वास प्राप्त करने के लिए पुलिस का व्यवहार, सहानुभूतिपूर्ण और मानवीय होना चाहिए तथा बदलती हुई परिस्थितियों में उसे अपनी भूमिका का संपूर्ण और स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए।

फ्रेजर कमीशन ने 1902 में यह टिप्पणी की थी कि भारत में सामान्य पुलिस कर्मचारी ने अपने को शांत रखने, जनता के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करने, जनता के सामने अपने काम को यथासंभव प्रिय बनाने की दृष्टि से उचित उपाय करने की कमी पाई जाती है।

उपरोक्त टिप्पणी वर्तमान समय में कुछ हद तक सही तरह पाई जाती है।

अपराध कारित होने पर कोई भी व्यक्ति इसकी इत्तिला पुलिस को दे सकता है, मजिस्टेट को कार्रवाई करने के उद्देश्य से दे सकता है। यदि इत्तिला या सूचना पुलिस को दी गई है तो पुलिस उस अपराध का अन्वेषण करेगी। पुलिस तीन परिस्थितियों में अन्वेषण कर सकती है—जब उसे किसी संज्ञेय अपराध की इत्तिला मिली हो (धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता 1973), जब उसे किसी असंज्ञेय अपराध की इत्तिला मिली हो (धारा 155 दंड प्रक्रिया संहिता 1973), जब कोई आत्महत्या हुई हो या संदिग्ध अवस्था में किसी की मृत्यु हुई हो (धारा 171 दंड प्रक्रिया संहिता 1973)। संज्ञेय मामले में पुलिस बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के अन्वेषण कर सकती है तथा असंज्ञेय मामले में मजिस्ट्रेट की अनुमति आवश्यक है। असंज्ञेय मामले संज्ञेय मामले की अपेक्षा कम गंभीर प्रकृति के होते हैं इसलिए पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना मामले में अन्वेषण का कार्य प्रारंभ नही कर सकता।

पुलिस की अन्वेषण करने की स्थिति तो बाद की है। पहले अपराध कारित होने पर प्रथम सूचना दर्ज करने की स्थिति में पुलिस आनाकानी करती है। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं करती। इसके लिए पुलिस अधिकारी या पुलिस खुद ही जिम्मेदार है, क्योंकि पुलिस के ऊपर राजनीतिक तथा अधिकारियों का दबाव रहता है सूचना दर्ज करना पुलिस का कर्तव्य है लेकिन दबाव या पैसे के लालच में आकर वह सूचना दर्ज नहीं करती। पुलिस की इस प्रवृति को सुधारा होगा, क्योंकि वह जनता की सेवा करने के लिए है।

जब भी किसी पुलिस अधिकारी को अपराध कारित होने की सूचना मिलती है अन्वेषण का कार्य उसी क्षण प्रारंभ मान लिया जाता है। अन्वेषण की कार्रवाई से लेकर न्यायालय द्वारा अंतिम निर्णय होने तक पुलिस को तमाम तरह की सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। पुलिस अधिकारी बिना किसी सूचना के भी अन्वेषण कार्य प्रारंभ कर सकता है। अन्वेषण का प्रारंभ प्रथम इत्तिला से होता है। अपराध कारित होने के बाद अपराध से पीड़ित व्यक्ति या उसका हित रखनेवाला कोई भी व्यक्ति पुलिस को प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध करा सकता है। यदि पुलिस अधिकारी रिपोर्ट लिखने से मना कर दे या इंकार कर दे तो इसकी रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक को की जा सकती है और ऐसी दशा में पुलिस अधीक्षक स्वयं या वह अपने अधीनस्थ अधिकारी को अपराध का अन्वेषण करने के लिए नियुक्त कर सकता है।

महिला के विरुद्ध अपराध विशेषतया लैंगिक अपराध की इत्तिला नहीं की जाती है और पुलिस अधिकारी तो पुलिस थानों में अपराध को पंजीकृत भी नहीं करते हैं पंजीकरण करने के लिए पैसों की मांग करते हैं, लैंगिक अपराध के परिवाद को भद्दे तरीके से ग्रहण किया जाता है और उन पर अपेक्षित रूप से ध्यान नहीं दिया जाता है। अपराध की शिकार स्त्री के पुलिस द्वारा तमाम तरह से परेशान किया जाता है। लैंगिक अपराध की शिकार या पीड़ित स्त्री के लिए विचारण की कार्रवाई कष्टकारी और वेदनापूर्ण होती है। न्यायालय में साक्ष्य देने का अनुभव नकारात्मक तथा विनाशकारी होता है। पीड़िता स्त्री प्रायः यह कहती है कि लैंगिक अपराध की न्याय परीक्षा स्वयं अपराध से भी ज्यादा खतरनाक है। न्यायालय की कार्रवाई ने लैंगिक अपराध की शिकार स्त्री के मनोवैज्ञानिक तनाव और दबाव में ज्यादा वृद्धि की है जितना उसे स्वयं उस अपराध के परिणाम स्वरूप नहीं भोगना पड़ा है।

लैंगिक अपराध स्त्री के जीवन को हिलाकर रख देता है, उसके वैयक्तिक संबंधों पर प्रभाव पड़ता है और कभी न समाप्त होनेवाले भय को संचारित करता है और उसे विधिक कार्रवाई के दौरान कष्ट और वेदना झेलनी पड़ती है।

प्रायः यह देखने को मिलता है कि अपराध से

पीड़ित व्यक्ति जब पुलिस थाने पर रिपोर्ट लिखवाने जाता है तो पुलिस अधिकारी रिपोर्ट लिखने से इंकार कर देता है जबकि रिपोर्ट लिखना उसका दायित्व है। यदि अपराध पीड़ित महिला है तो और अधिक समस्या होती है। पुलिसवाले अपराध पीड़िता के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उसे अपमानित करते हैं तथा असम्मानजनक व्यवहार करते हैं जिससे महिला पीड़िता को मानसिक यंत्रणा पहुंचती है और उसे आत्मग्लानि होती है। एक तो महिला पहले से ही अपराध से पीड़ित है ऊपर से पुलिस अधिकारी की यंत्रणा का शिकार होना पड़ता है। यदि इसकी शिकायत ऊपर वाले अधिकारी से की जाती है तो भारसाधक अधिकारी अपनी शिकायत मानते हुए अन्वेषण को आरंभ से ही बिगाड़ने लग जाता है और पीड़िता की न्याय मिलने की उम्मीद क्षीण हो जाती है।

विष्णु उर्फ उंद्रया बनाम महाराष्ट्र राज्य (2006)1 एस. सी. सी. 203 के मामले मे उच्चतम न्यायालय ने मत व्यक्त किया है कि बलात्कार जैसे गंभीर मामले में यदि पुलिस अपराध को पंजीकृत नहीं करती है तो वह प्रघात वाला कृत्य है। इस मामले में पुलिस अधिकारी ने बलात्कार के मामले में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज नहीं की थी जबकि पुलिस अधिकारी को बलात्कार पीड़िता ने स्पष्ट शब्दों में बताया कि उसके साथ अभियुक्त ने बलपूर्वक मैथुन किया। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि पुलिस अधिकारी का यह कृत्य पुलिस प्रतिष्ठान से जनता के विश्वास को खोने वाला है। इसमें रिपोर्ट दर्ज नहीं करनेवाले पुलिस अधिकारी के विपरीत टिप्पणी की थी।

सामान्यता अन्वेषण की कार्रवाई प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (रपटे इब्तिदाई) के दर्ज होने पर होती है लेकिन यह जरुरी नहीं है कि उसके बिना अन्वेषण नहीं हो सकता पुलिस को अन्वेषण ईमानदारी और कर्तव्य परायण्ता के साथ करना चाहिए। यदि पुलिस अधिकारी को रिश्वत देने का प्रयत्न किया गया है और वह स्वयं उस मामले का अन्वेषण करता है तो उसके साक्ष्य की वास्तविकता पर संदेह उत्पन्न होना स्वभाविक है। (भगवान सिंह बनाम राजस्थान राज्य 1976 क्रिमिनल लॉ जर्नल 713) अन्वेषण निष्पक्ष व्यक्ति द्वारा किए जाने से जनता का विश्वास बना रहता है। यदि पुलिस के अन्वेषण से मजिस्ट्रेट संतुष्ट नही है तो पुनः अन्वेषण मजिस्ट्रेट दे सकता है।

पुलिस अधिकारी द्वारा अन्वेषण के दौरान साक्षियों की हाजिरी की अपेक्षा करने की शक्ति— पुलिस अधिकारी को अन्वेषण के दौरान यह शक्ति है वह किसी भी व्यक्ति को, जो मामले के तथ्यों से परिचित है और उसका बयान लेना आवश्यक है, अपने समक्ष उपस्थित होने का आदेश दे सकता है चाहे वह उसी थाने या निकटवर्ती थाने क्षेत्र में रहता हो। किंतु वह व्यक्ति 15 वर्ष से कम आयु का है या स्त्री है तो उसे केवल उसी स्थान पर बुला सकता है जहां वह निवास करता है (दंड प्रक्रिया संहिता 1973 धारा 160)।

प्रायः यह देखने को मिलता है कि पुलिस अधिकारी अपराध के तथ्यों से परिचित व्यक्तियों के बयान लेने के लिए बच्चों-स्त्रियों को थाने पर ही बुला लेते हैं जबकि इसकी कानून मनाही है। पुलिस की इस प्रवृत्ति को सुधारना होगा।

श्रीमती नंदिनी सत्पथी बनाम पी. एल. दानी (ए. आई. आर. 1978 एस. सी. 1025) के वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यदि किसी भी महिला को पुलिस थाने में हाजिर होने के लिए विवश किया जाता है तो इससे धारा 160 के उपबंधों का उल्लंघन होता है और यह एक दंडनीय कार्य होगा। यह भी कहा कि यदि ऐसे अभियुक्त का कथन स्वेच्छा से नहीं लिया गया है तो इस तरह संविधान में अनुच्छेद 20(3) का भी उल्लंघन हो सकता है।

साक्षियों की परीक्षा करने की पुलिस की शक्ति वह पुलिस अधिकारी जो किसी मामले का अन्वेषण कर रहा है प्रत्येक उस व्यक्ति से, जिसे उस

मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों की जानकारी है, पूछताछ कर सकता है (दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 धारा 161)। लेकिन वह व्यक्ति सबकुछ बताने को बाध्य है सिवाय इस बात के कि उसे ऐसी पूछताछ से किसी आपराधिक आरोप या शास्ति के डाले जाने की संभावना या आशंका न हो।

पुलिस द्वारा साक्षियों की परीक्षा के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को स्पष्ट करते हुए जहीरा हबीबुल्ला शेख बनाम गुजरात राज्य (2004 क्रि. लॉ. ज. (2050) (सु. को.) के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि पुलिस अधिकारी के लिए यह अनिवार्य नहीं है कि अपने समक्ष किए गए बयानों को वह अभिलिखित करे। यह भी आवश्यक नहीं है कि बयान उसी भाषा में लिखा जाए जिस भाषा में बयान देने वाला जानता हो या समझता हो। बयान देने वाले व्यक्ति को बयान पर हस्ताक्षर करने की भी आवश्यकता नहीं होती है।

अन्वेषण के दौरान किसी व्यक्ति द्वारा किए गए कथन को लिपिबद्ध किया जाता है तो उस पर उस व्यक्ति के हस्ताक्षर नहीं किए जाते। इसी कारण अन्वेषण के दौरान किए गए साक्षियो के कथनो का उपयोग सारभूत साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकेगा **(हजारी लाल बनाम दिल्ली प्रशासन ए. आई. आर. 1980 एस. सी. 873)।**

जिस व्यक्ति ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी है उसे सुनवाई का अवसर दिया जाना अपेक्षित है लेकिन पुलिस अधिकारी ऐसा नहीं करते हैं। जहां पुलिस रिपोर्ट के आधार पर मजिस्ट्रेट अपराध का संज्ञान करके कार्रवाई को बंद कर देना उचित समझता है वहां पर सूचनाकर्ता सहित उन सभी व्यक्तियों को भी सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए जो कथित अपराध से पीड़ित है या मारे गए व्यक्ति के परिवार के सदस्य हों।

पुलिस अधिकारी अन्वेषण के दौरान इत्तिलाकार से या घटना में संबंध में जानकारी रखने वाले व्यक्तियों की परीक्षा करते है और उन सबके बयान लेते हैं। साक्षियों के तथा पीड़िता के बयान लेते है उस वक्त पुलिस अधिकारी तमाम तरह के अनावश्यक प्रश्न पूछने हैं जो कि घटना से संबंधित नहीं होते हैं जिसको पीड़िता सही-सही नहीं बता पाती है। पीड़िता के बयान लेने या अन्य साक्षियों का बयान लेने के लि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा—162 में प्रावधान है कि यदि कोई कथन अन्वेषण के दौरान पुलिस अधिकारी के समय किया गया है तो उस कथन का प्रयोग विचारण के समय किया जा सकता है बशर्ते कि उस व्यक्ति को जिसने कथन किया है अभियोजन साक्षी के रूप में बुलाया गया है।

पुलिस अधिकारी को महिला के विरुद्ध हुए अपराध का अन्वेषण करते समय बुद्धिमानी, सावधानी और अपराध की शिकार स्त्री तथा पुरुष के प्रति सहानुभूति का बर्ताव करना चाहिए क्योकि स्त्री के प्रति अपराध में उसकी लज्जा, शील अंतर्ग्रस्त होती है। किसी महिला पीड़िता के विरुद्ध अपराध होने पर उसका अन्वेषण किसी स्त्री पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए जिससे अन्वेषण सही तरीके से हो सकेगा और महिला अपनी बात कहने में किसी प्रकार की शर्मिंदगी या संकोच नहीं करेगी।

पीड़ित महिला को कई बार पुलिस अधिकारी के समक्ष कुछ कहने में शर्म महसूस होती है और अपरिचित वातावरण में बार-बार प्रश्न पूछे जाने से भ्रमित होकर या घबराहट के कारण वह पुलिस या न्यायालय को कुछ बताने में मौन रह जाती है अथवा भ्रमित वाक्य या कथन देती है।

शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक या अर्थिक रूप से आहत होने पर तथा मूल अधिकारों का हनन होने पर आपराधिक न्याय प्रणाली में पीड़ित व्यक्ति की स्थिति साक्षी के रूप में होती है। पीड़ित से कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं पूछना चाहिए जो पीड़ित को अपमानित अथवा नीचा दिखाने वाला हो।

कानूनी प्रक्रिया का मूल उद्देश्य न्याय प्रशासन पर प्रजा या जनता का विश्वास बनाए रखना है अतः यह आवश्यक हो गया है कि पीड़ित व्यक्ति का मान सम्मान किया जाए और उसके अस्तित्व को स्वीकार किया जाए तथा पीड़ित की अनदेखी न की जाए और पीड़ित के हित को सुरक्षित रखा जाए।

अंतरर्राष्ट्रीय स्तर पर अपराध पीड़ित की सुरक्षा और उपचार या कष्ट का निवारण सामान्य अपराधों की तरह करने पर जोर दिया जा रहा है और सरकारो को अपराध पीड़िता के प्रति पूर्ण सहयोग एवं सहायता प्रदान करने को प्रोत्साहित किया जा रहा है। अपराध से पीड़ित व्यक्ति के अधिकार को लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ की सामान्य सभा में सन 1985 में अपराध और शक्ति के दुरुपयोग से पीड़िता के लिए न्याय के बुनियादी सिद्धांत की घोषण की और पीड़ित को परिभाषित किया है।

संयुक्त राष्ट्र संघ की अपराध से पीड़ित एवं शक्ति के दुरुपयोग के मूल सिद्धांत संबंधी घोषणा के अनुसार "पीड़ित से आशय ऐसे व्यक्ति से है जिसने वैयक्तिक रूप में या सामूहिक रूप से कष्ट सहन किए हैं जिसमें शामिल है कि शारीरिक अथवा मानसिक क्षति भावनात्मक दुःख, अर्थात क्षति अथवा तात्कालिक हानि जो उसके मानव अधिकारों से संबंधित है, जो किसी ऐसे कृत्य या लोप का परिणाम है जिससे दंडिक विधि का हनन सदस्य राष्ट्रों के मध्य क्रियान्वयन से होना है और उसमें सम्मिलित है ऐसा कानून जो दंडिक अधिकारों के दुरुपयोग को विहित करता है।"

अपराध घटित होने के बाद अपराध से पीड़ित व्यक्ति सबसे पहले न्याय प्राप्त करने के लिए पुलिस के संपर्क में आता है और यह सम्पर्क उसे न्यायिक प्रक्रिया में पूर्णता प्रदान करता है। पुलिस का अपराध पीड़ित के प्रति प्रतिक्रिया या व्यवहार आपराधिक न्याय प्रशासन या प्रणाली को निर्णायक प्रभाव छोडता है और अपराध पीड़ित के व्यावहार को प्रदर्शित करता है।

पुलिस की भूमिका आपराधिक प्रक्रिया के प्रारंभ में निर्णायक होती है। संयुक्त राष्ट्र संघ की मूल घोषणा के पैरा 4 के सिद्धांत पुलिस को अपराध से पीड़ित के प्रति व्यवहार को दिग्दर्शित करता है कि आहत या पीड़िता के साथ सहानुभूति एवं सम्मानजनक व्यवहार किया जाना चाहिए यह सिद्धांत पुलिस को सुनिश्चितता प्रदान करता है। मूल घोषणा के पैरा 16 के अनुसार पुलिस कर्मियों को पीड़ितों की जरुरतों के लिये जागरूक करने के लिए और उचित व शीघ्र सहायता सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षण और दिशा निर्देश दिया जाना चाहिए।

मूल घोषणा का पैरा 6 भी अपराध के पुलिस अन्वेषण को रेखांकित करता है जिसके अनुसार न्यायिक और प्रशासनिक अधिकारियों को पीड़ितों की आवश्यकता तथा मदद करने की जवाबादेही होनी चाहिए तथा पीड़ित व्यक्ति की आपराधिक कार्रवाई में भूमिका और उसकी सीमा समय और तंत्र की कार्रवाई की स्तर-दर-स्तर प्रगति की सूचना और मामलों के निर्णय की जानकारी दी जानी चाहिए विशेष रूप से जहां अपराध गंभीर प्रकृति का है और पीड़ित द्वारा जानकारी के लिए अनुरोध किया गया है। पुलिस अधिकारी तथा न्याय प्रशासन को ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे पीड़ित व्यक्ति को कम असुविधा हो और उसके परिवार के सदस्यों का निजी जीवन तथा एकांतता प्रभावित न हो। पुलिस की तरफ से साक्षीगण या पीड़ित को धमकाया या भयभीत नहीं किया जाना चाहिए तथा अपराधी द्वारा भी ऐसा करने की मनाही है।

कार्रवाई के सभी स्तरों पर पीड़ित को अपना पक्ष रखने और अपने विचारों को प्रस्तुत करने का अधिकार दिया जाना चाहिए। जहां उसका व्यक्तिगत हित प्रभावित होता है और जो अभियुक्त पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना तथा संबंधित राष्ट्रीय आपराधिक न्याय प्रणाली के अनुसार हो—कानूनी प्रक्रिया के दौरान पीड़िता को उचित सहायता प्रदान की जाएगी।

संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रतिपादित उपर्युक्त मूल घोषणा के अनुसार पीड़िता के प्रति पुलिस को सम्मानजनक तथा सहानुभूति के साथ व्यवहार करना चाहिए। उनको यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि पीड़िता के प्रति अपराध उसका व्यक्तिगत मामला है तथा सही मामला है। परिणामस्वरूप पीड़िता के मन में तनाव तथा बढ़ते हुए क्रोध, भय तथा असुरक्षा को पुलिस अधिकारी द्वारा अनसुना करना तथा उचित कार्रवाई न करने पर उत्पन्न होता है अतः पुलिस द्वारा मान सम्मान और उचित व्यवहार पीड़िता के साथ किया जाना पुलिस को उचित सम्मान दिलाता है। पुलिस को व्यक्तिगत रूप से पीड़िता को सूचित करना होगा कि वह कैसे सहायता और क्षति पूर्ति तथा अन्य प्रकार की सहायता प्राप्त कर सकती है। पुलिस न्यायिक प्रक्रिया में ट्रांसमीटर की भूमिका निभाती है। विभिन्न प्रकार की सूचना पीड़िता को देने में निरंतर सूचना का आदान-प्रदान पुलिस द्वारा पीड़िता की आवश्यकता और हित को मूलाधार प्रदान करता है जो पीड़िता के मन में उत्पन्न होता है।

अपराध से पीड़ित व्यक्ति को सुरक्षा के अंतर्गत अन्वेषण अधिकारी तथा पुलिस अधिकारी को पीड़ितों को राहत पहुंचाने के लिए पुलिस विभाग में पीड़ितो के लिए एक अपराध ब्यूरो का गठन किया जाना चाहिए जो यह सुनिश्चित कर सके कि पीड़ित व्यक्ति को प्राप्त अधिकार उन्हें प्राप्त हुए हैं अथवा नहीं।

पुलिस को अपराध से पीड़ित के प्रति मानवीय संवेदना से युक्त होकर अन्वेषण का कार्य करना चाहिए, जो कि उससे एक मित्र और सहयोगी के रूप में होने की अपेक्षा करता है। पुलिस को जनता का विश्वास प्राप्त करने के लिए उसका व्यवहार सहानुभूतिपूर्ण और मानवीय होना चाहिए तथा बदलती हुई परिस्थितियों में उसे अपनी भूमिका का संपूर्ण और स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए। पुलिस कर्मियों को यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि वह जनता की सेवा और सहयोग के रूप में कार्य करने के लिए है। अतः अपराध से पीड़ित जनता और पुलिस एक दूसरे के प्रति मान, सम्मान, विश्वास एवं सहयोग की भावना के साथ कार्य करे तो किसी पक्ष को कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा।

संदर्भ सूची—

1. रमेश प्रसाद दुबे, विकासशील समाज और पुलिस, सर्विसेज पब्लिशिंग हाउस, भोपाल, 1978।

2. महावीर प्रसाद, दंड प्रक्रिया संहिता विधि साहित्य प्रकाशन, नई दिल्ली, 2006।

3. ना. वि. परांजपे अपराध शास्त्र एवं दंड प्रशासन, सेंट्रल लॉ पब्लिकेशंस इलाहाबाद, 2003।

4. संयुक्त राष्ट्र की अपराध और शक्ति के दुरुपयोग से पीड़िता के लिए न्याय के बुनियादी सिद्धांत की घोषणा 1985।

आयु निर्धारण व अपराधी की पहचान में दांतों का महत्व

अरुण कुमार पाठक
द्वारा श्री चक्रपाणि मणियार
113/4, शिवकुटी
(अपट्रान टी. वी. फैक्ट्री के पीछे)
इलाहाबाद-211004 (उ.प्र.)

मानव शरीर के अनेक अंग उसकी आयु के निर्धारण और उसकी पहचान को सिद्ध करने में सहायक हैं। दांत भी उनमें से एक हैं। आगजनी, विमान दुर्घटना, विस्फोट, भूकंप, जल प्रलय (बाढ़) आदि सामूहिक मानव विनाश की घटनाओं में मृतकों की पहचान स्थापित कराना पुलिस बलों का एक महत्वपूर्ण कार्य है। सड़-गल गए शवों, आगजनी में झुलस गए शवों, अंग-भंग हो चुके शवों की पहचान भी कठिन कार्य है। दांत ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति की पहचान स्थापित करने में सहायक हो सकते हैं।

दांत चोरी और लैंगिक अपराधों में भी अपराधी की पहचान स्थापित करने में तब सहायक हो सकते हैं, जब अपराधी द्वारा घटना कारित करने के दौरान दांतों से काटकर कोई वस्तु उपयोग में लाई गई है और कटे हुए अंश घटनास्थल पर मौजूद हों।

अपराधों को नियंत्रित करने में दंत विज्ञान का प्रयोग (दांतों का अध्ययन) ओडांटोलॉजी (odontology) कहलाता है। मानव कंकाल से मिले दांतों एवं दांतों के निशान से कितने ही मामलों में अपराधी की पहचान सिद्ध की जा चुकी है। पहचान के साधन के तौर पर इसे वैज्ञानिक मान्यता भी प्राप्त हो चुकी है।

दांतों से आयु का अनुमान—

दांत दो प्रकार के होते हैं—

(i) अस्थायी (temporary) और (ii) स्थायी (permanent)।

अस्यायी दांतों को पतनशील दांत या दुग्ध दांत या दूध के दांत भी कहते हैं। अस्थायी दांत कुल मिलाकर 20 होते हैं। इसमें 04 कृंतक (incisors), 2 रदनक (canines), 4 चर्वणक (molars) होते हैं। प्रत्येक जबड़े में 10-10 दांत होते हैं।

स्थायी दांत कुल मिलाकर 32 होते हैं। इसमें 04 कृन्तक (incisors), 2 रदनक (canines), 4 अग्रचर्वणक (premolars) और 6 चर्वणक (molars) होते हैं। प्रत्येक जबड़े में 16-16 दांत होते हैं।

दांतों के विकास एवं वृद्धि से केवल 25 वर्ष तक की आयु का ठीक-ठीक निर्धारण किया जा सकता है। इसके पश्चात 25 वर्ष से 60 वर्ष तक की आयु का अनुमान दंतक्षय के आधार पर गस्टाफेन (gustafsen) की विधि से किया जाता है। इसमें सूक्ष्मदर्शी से दांत की अनुदैर्घ्य काट (लंबकाट) के उसके केंद्रीय भाग का निरीक्षण करके 25 से 60 वर्ष तक की आयु जानी जाती है लेकिन इस आयु निर्धारण में गलती की संभावना रहती है।

प्रथम स्थायी चर्वणक लगभग 06 वर्ष में अगते है और द्वितीय चर्वणक लगभग 12 वर्ष की आयु में। तृतीय चर्वणक (अकल के दांत) के उगने का कोई ठीक समय नहीं है। यदि चारों बुद्धि चर्वणक उग आए हों तो आयु 18 वर्ष के ऊपर होनी चाहिए किंतु उनकी अनुपस्थिति से आयु का कोई अनुमान नहीं होता।

एक्स-रे परीक्षण से दंतमूल का कैल्सिकरण देखा जाता है। यदि दंत मूल का कैल्सिकरण हुआ है तो आयु 25 वर्ष से कम होनी चाहिए। साधारण तौर पर दंतमूल का कैल्सीकरण दांत उगने के 3-4 वर्षों के भीतर ही हो चुकता है।

बॉयड ने दांतों के आधार पर आयु निर्धारण की जो पद्धति विकसित की है वह वृद्धि रेखाओं (incremental lines) के परीक्षण पर आधारित है। ये रेखाएं दांत की चमकीली परत (इनेमल) पर आड़ी स्थित होती हैं और प्रतिदिन की वृद्धि दर्शाती हैं। इन्हें केवल सूक्ष्म परीक्षा से ही पहचाना जा सकता है। जन्म के समय की ऐसी ही एक रेखा बहुत स्पष्ट होती है। इस रेखा के बाद की सभी रेखाओं को (मृत्यु के समय तक) गिना जाता है और ठीक तरह से आयु का पता लगाया जा सकता है।

अस्थायी और स्थायी दांतों में अंतर

क्र.सं.	दांतों की विशेषताएँ	अस्थायी दांत	स्थायी दांत
1.	आकार (size)	केवल चर्वणकों (molars) को छोड़कर शेष दांत छोटे, हल्के और संकरे होते हैं। चर्वणक सामान्य तौर पर स्थायी अग्र चर्वणकों से लंबे होते हैं।	केवल स्थायी अग्रचर्वणकों छोड़कर शेष दांत बड़े और अधिक मजबूत होते हैं। जो अस्थायी चवर्णकों का स्थान लेते हैं।
2.	दिशा	आगे के दांत सीधे (लंब रूप में) होते हैं।	आगे के दांत कुछ आगे की ओर झुके होते हैं।
3.	शिखर (crown)	दंत शिखरों का रंग चीनी मिट्टी के बर्तन या चाक की तरह श्वेत (सफेद) होता है।	दंत शिखरों का रंग हाथी के दांत की तरह सफेद होता है।
4.	ग्रीवा (neck)	दंत ग्रीवा अधिक संकरी होती है।	दंत ग्रीवा कम संकरी होती है।
5.	मूल (जड़, root)	चवर्णक अधिक बड़े होते हैं। उनके शिखर सपाट, दन्त मूल छोटे और फैले होते हैं।	अग्रचर्वणक, जो अस्थायी चर्वणक के स्थान पर उगते हैं। तुलनात्मक रूप से छोटे होते हैं। चर्वणकों के मूल बड़े एवं कम फैले होते हैं।
6.	कटक या उभार (ridge)	दंत शिखर के दंत मूल से मिलने के स्थान पर एक उभार होता है।	दंत शिखर के दंत मूल (fang) से मिलने के स्थान पर कोई उभार नहीं होता है।
7.	किनारे (edges)	दांतदार होते हैं।	दांतदार नहीं होते हैं।
8.	दांतों की संख्या	20 होती है।	32 होती है।

दांतों के निकलने का समय एवं दंत मूल के कैल्सिकरण का समय

क्र.सं. दांतों का नाम	दांतों की संख्या	अस्थायी दांत निकलने का समय	स्थायी दांत निकलने का समय	दंत मूल कैल्सिकरण (calcification) का समय
1. केंद्रीय कृंतक (central incisors) नीचे के (lower)	02	06-08 माह तक	07-08 वर्ष तक	डेढ़-दो वर्ष
2. केंद्रीय कृंतक उपर के (upper)	02	07-09 माह तक	07-08 वर्ष तक	डेढ़-दो वर्ष
3. पार्श्व बाजू के (lateral incisors) ऊपर के (upper)	02	07-09 माह तक	08-09 वर्ष तक	डेढ़-दो वर्ष
4. पार्श्व बाजू के कृंतक (lateral incisors) निचले (lower)	02	10-12 माह तक	08-09 वर्ष तक	डेढ़-दो वर्ष
5. प्रथम चर्वणक (first mloars)	04	12-14 माह तक	06-07 वर्ष तक	दो-ढाई वर्ष
6. रदनक (canines)	04	17-18 मास तक	11-12 वर्ष तक	ढाई-तीन वर्ष
7. द्वितीय चर्वणक	04	20-30 माह तक	12-14 वर्ष तक	तीन वर्ष
8. अगले अग्र चर्वणक (anterior premolars)	04	अनुपस्थित होते हैं	09-10 वर्ष तक	12-13 वर्ष
9. पिछले अग्र चर्वणक (posterior premolars)	04	अनुपस्थित होते हैं	10-12 वर्ष तक	13-14 वर्ष
10. तृतीय चर्वणक (third mloars) या अक्ल के दांत (wisdom teeth)	04	अनुपस्थित होते हैं	17-25 वर्ष तक	18-25 वर्ष

यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि जो बालक जन्मजात कमजोर होते हैं या अस्थियों के रोग से पीड़ित होते हैं उनके दांत देर से निकलते हैं। इसके विपरीत जो बालक वंशानुगत आतशक (congenttal syphilis) से ग्रसित होते हैं उनके दांत या तो समय से पहले ही निकलने लगते हैं या जन्म से पूर्व ही दांत निकल चुके होते हैं।

दांत निम्न मामलों में एक महत्वपूर्ण भौतिक प्रमाण हो सकते हैं—

(1) चोरी के अपराध के दौरान चोर कोई खाद्य पदार्थ चोरी वाले स्थान से खाकर वहीं घटनास्थल पर फेंक सकता है जिससे जाने-अनजाने में उसके दांतों के निशान वहां छूट सकते हैं। उसके सामने वाले दांतों के निशान वहां छूटे मिलेंगे। कास्टिंग, फोटोग्राफी द्वारा रिकार्ड किए दांतों के निशान का प्रमाण संदिग्ध अपराधी के दांतों के नमूने से कराने पर अपराधी का घटना से संबंध जोड़ने में सहायक सिद्ध हो सकता है।

(2) महिला से बलात्संग का अपराध कारित करने के दौरान उसके विरोध करने पर अपराधी उसे दांतों से काट सकता है या वह महिला अपराधी को दांतों से काट सकती है। इस प्रकार के निशानों का परीक्षण कराकर अपराधी की पहचान सिद्ध की जा सकती है।

(3) बलात्कार करने के प्रयास के दौरान अपराधी पीड़ित महिला के स्तनों, गालों, कंधों एवं पैरों पर दांतों से काट सकता है। दांतों के ये निशान उसे पकड़वाने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं।

(4) दुर्घटना में जल गए या विरूपित हो गए मृतकों की आयु तथा पहचान दांतों से निर्धारित हो जाती है। पहचान के लिए दांतों में की गई फिफिंग, दांतों में लगाए गए सोने के कवर, टूटे दांतों की स्थिति, दांतों के स्थानों पर नकली दांतों के प्रयोग के चिह्न मददगार हो सकते हैं।

(5) नकली दांतों की जांच से व्यक्ति का देश (मूल निवास स्थान) भी निर्धारित किया जा सकता है, क्योंकि नकली दांतों की व्यवस्था भिन्न-भिन्न पद्धतियों से की जाती है।

(6) विशेष प्रकार के व्यवसायों में दांतों का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों के दांतों के गुण-धर्म भी अलग-अलग होते हैं। जैसे—बिजली मिस्त्री अपने दांतों का बहुतायत रूप से प्रयोग तार को छीलने व काटने में करता है जिस कारण से उस तरफ वाले (प्रयोग वाले हिस्से में) दांतों का भाग घिसा हुआ होगा। उसी प्रकार गुटखा खाने वाले, तंबाकू खाने वाले व पान खाने वाले व्यक्ति के दांत खराब हुए मिलेंगे तथा उन पर रंग चढ़ा हुआ होगा।

यद्यपि दांतों के आधार पर अपराधी की शिनाख्त करने, घटनास्थल पर दांतों से संबंधित साक्ष्य एकत्र करने में पुलिस के अन्वेषक अज्ञानता के कारण रुचि प्रदर्शित नहीं करते हैं अन्यथा दांत एक महत्वपूर्ण साक्ष्य है, दंत चिह्न भी महत्वपूर्ण साक्ष्य है। आयु निर्धारण एवं अपराधी की पहचान में इनकी महती भूमिका हो सकती है।

विवेचना के प्रभावशाली पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी की भूमिका

हाकिम राय
पुलिस उपाधीक्षक, (से.नि.)
9-डी, एच.आई.जी., एम.डी.ए. कांठ रोड
मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश)

पर्यवेक्षण का अर्थ

√ किसी अधीनस्थ द्वारा किए जाने वाले कार्य को किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा गहराई से देखने को पर्यवेक्षण कहते हैं। इसमें किए जाने वाले कार्य के गुण-दोष का अवलोकन किया जाता है।

√ पर्यवेक्षण किसी ऐसे उच्चाधिकारी द्वारा किया जाता है जो ज्ञान या कार्य में श्रेष्ठ होता है।

√ पर्यवेक्षण का उद्देश्य अधीनस्थ के व्यक्तिगत या व्यावसायिक कार्यकुशलता को बढ़ाना होता है।

√ पर्यवेक्षण किसी अधीनस्थ की कार्यशैली में परिवर्तन ला सकता है।

√ पर्यवेक्षण से त्रुटियों का निवारण हो जाता है और पहले से अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं।

पर्यवेक्षक में क्या गुण होने चाहिए?

√ उसका अपना आचरण, कार्य व ज्ञान उच्च कोटि का होना चाहिए।

√ उसको पर्यवेक्षण संबंधी कार्य की जानकारी होनी चाहिए।

√ उसको अपने अधीनस्थों के किए जाने वाले कार्य को गौर से देखना चाहिए।

√ उसको एक प्रेरक, सहयोगी व आलोचक की भूमिका निभानी चाहिए।

पुलिस विभाग में पर्यवेक्षण करने का क्षेत्र व विषय

1. अपराध की रोकथाम :

√ अभियुक्तों की गिरफ्तारी में (लोगों को झूठा केस बनाकर बंद न करें।)

√ पुलिस मुठभेड़ में (फर्जी मुठभेड़ दिखा कर लोगों को न मारा जाए।)

√ निरोधात्मक कार्रवाई में (थाना क्षेत्र में अपराध में लिप्त लोगों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई न करना।)

2. अपराध की विवेचना :

√ विवेचना की कार्य योजना बनाने में।

√ घटना-स्थल का निरीक्षण करने में।

√ अभियुक्तों की गिरफ्तारी करने में।

√ अभियुक्तों से पूछताछ करने में।

√ भौतिक साक्ष्यों को परीक्षण हेतु विधिविज्ञान प्रयोगशाला भेजने में।

√ अभियुक्त की कार्रवाई शिनाख्त कराने में।

√ वादी व गवाहों के बयान लिखने में।

√ अभियुक्तों के बयान लिखने में।

√ घटना-स्थल के आस पास के लोगों के बयान लेने में।

√ आरोपपत्र देने में।

3. अपराध का अभियोजनक :

√ गवाहों को सुरक्षा देने में।

√ गवाहों को न्यायालय में पेश करने में।

√ गवाहों को अभियुक्तों के प्रभाव से दूर रखने में।

√ गिरफ्तार अभियुक्तों की जमानत का विरोध करने में।

4. पुलिसजनों का लोगों के साथ व्यवहार :

√ आम आदमी के साथ व्यवहार करने में।

√ अकारण बल प्रयोग करने में।

√ अपशब्द कहने में।

क्षेत्राधिकारी की पर्यवेक्षण के संबंध में भूमिका

1. अपने अधीनस्थों को अनुशासित रहने हेतु प्रेरित करना।

2. अपने अधीनस्थों को अपराध की रोकथाम हेतु प्रेरित करना :

√ गतिशील रहकर गश्त करने हेतु प्रेरित करना।

√ सतर्क रहकर पिकेट ड्यूटी देने हेतु प्रेरित करना।

√ बीट-सूचनाएं लाने हेतु प्रेरित करना।

√ निरोधात्मक कार्रवाई समय रहने हेतु प्रेरित करना।

3. विवेचना के कार्य में प्रेरित करना :

√ घटनास्थल का शीघ्र निरीक्षण करने हेतु।

√ अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी करने हेतु।

√ गिरफ्तारी में विधिसम्मत बल प्रयोग करने हेतु।

√ सही गिरफ्तारी व सही बरामदगी करने हेतु।

√ पक्षपात रहित कार्रवाई करने हेतु।

√ पुलिस अभिरक्षा में किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करने से बचने हेतु।

√ पूछताछ में वैज्ञानिक साधनों के प्रयोग हेतु।

√ अभियोगों के शीघ्र निस्तारण हेतु।

√ केस डायरी समय से लिखने हेतु।

अभियोजन के कार्य में प्रेरित करना

√ अभियुक्त की जमानत के प्रार्थना पत्र का विरोध करने में।

√ गवाहों को सुरक्षा प्रदान करने में।

√ गवाहों को न्यायालय में समय पर प्रस्तुत करने में।

क्षेत्राधिकारी पर्यवेक्षण का कार्य कैसे कर सकता है—पुलिस के जनपद में नियुक्त राजपत्रित अधिकारियों को एक मार्गदर्शक, सहयोगी व दक्ष आलोचक के रूप में अपने अधीनस्थों के पर्यवेक्षण का कार्य निम्न प्रकार से कर सकता है—

अपराध की रोकथाम में पर्यवेक्षण के तरीके

√ गश्त पिकेट ड्यूटी को चैक करके।

√ थाने के रजिस्टरों को चैक करके।

√ अपराध के पाक्षिक व मासिक विवरण चैक करके।

√ थाने की निरोधात्मक कार्रवाई का विवरण चैक करके।

√ थाने का आकस्मिक निरीक्षण करके।

विवेचना में पर्यवेक्षण के तरीके

1. घटनास्थल का निरीक्षण करके मार्गदर्शन देकर।

2. वादी व गवाहों से बातचीत करके सुझाव देकर।

3. विवेचकों की केस डायरी के अवलोकन के बाद निर्देश देकर।

4. विवेचकों की विवेचना के कार्य को अर्दली रूप में वेक करके निर्देश देकर।

5. अभियुक्तों की तलाशी व गिरफ्तारी में अतिरिक्त पुलिस बल द्वारा सहायता देकर।

6. थाने के पुलिस बल के साथ गिरफ्तारी या तलाशी में साथ जाकर।

7. अभियुक्तों व संदिग्ध लोगों से पूछताछ में सम्मिलित होकर।

थाने के अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ समय-समय पर गोष्ठी करके व उनके विवेचना के कार्यों में आने वाली कठिनाइयों की जानकारी व सहायता करके

√ पुलिस कस्टडी रिमांड दिलवाने में।

√ विधि विज्ञान प्रयोगशाला में परीक्षण में होने वाले विलम्ब से निपटने में पत्र भेजकर।

√ कार्रवाई शिनाख्त अभियुक्त व सम्पत्ति करवाने में कार्यपालक मजिस्ट्रेट से विचार-विमर्श करके तिथि

निश्चित कराकर।

√ सीमावर्ती थानों के थानाध्यक्षों के साथ मीटिंग करके केस को वर्क आउट करने में सहायता देकर।

निम्नलिखित कार्यों को न करने का निर्देश देकर

√ अभियुक्तों के विरुद्ध अभियान के दौरान फर्जी लोगों को बंद न करना।

√ थाने पर कार्रवाई शिनाख्त न कराना।

√ बिना परीक्षण रिर्पोट आए ही एन.डी.पी.एस. एक्ट के मामलों में आरोप पत्र न देना।

√ थाने पर लोगों को बिना गिरफ्तारी के लाकर बिठाए रखना व उसका थाने के किसी अभिलेख में उल्लेख न करना।

√ पुलिस के अच्छे कार्य के लिए पुरस्कार दिलवा कर।

√ अवैधानिक कार्यों के लिए दंड दिलवाकर।

विवेचकों द्वारा आमतौर से की जानेवाली त्रुटियां

1. विवेचना करने के संबंध में कोई कार्य योजना न बनाना।

2. घटना स्थल पर विलंब से जाना।

3. वादी व गवाहों से पूछताछ न करके उनके बयान स्वयं लिख लेना।

4. घटना स्थल के आस-पास रहनेवाले लोगों से पूछताछ न करना।

5. अभियुक्तों से पूछताछ के लिए कोई तैयारी न करना व उनके द्वारा जुर्म से इंकार की बात अपनी तरफ से लिख देना।

6. पूछताछ में बल प्रयोग करके अभिरक्षा में अभियुक्तों की मृत्यु कारित करना।

7. भौतिक पदार्थों को परीक्षण हेतु विधिविज्ञान प्रयोगशाला विलंब से भेजना।

8. अभियुक्त की कार्रवाई शिनाख्त थाने पर खुद करा लेना।

9. विवेचना में केवल चक्षुदर्शी गवाहों का साक्ष्य लिखना व परिस्थितिजन्य साक्ष्य व अभियुक्त के घटना से पहले व बाद के साक्ष्य को एकत्र न करना।

10. बिना विधिविज्ञान प्रयोगशाला के परीक्षण कराए आरोप पत्र देना।

11. अति उत्साह में गलत केस वर्क आउट करना।

12. विवेचना के प्रारंभ से ही वादी या अभियुक्त के पक्ष व विपक्ष में मत बना लेना।

13. केस डायरी समय से न लिखना व एकसाथ सभी केस डायरीज़ लिखना।

क्षेत्राधिकारी को जनपद में नवनियुक्ति पर क्या क्या करना आवश्यक है

प्रत्येक पुलिस उपाधीक्षक को किसी भी जनपद में क्षेत्राधिकारी के रूप में नियुक्त होने पर दो या तीन थानों के अपराध नियंत्रण व अपराधों की विवेचना के कार्य के पर्यवेक्षण का कार्य दिया जा सकता है। प्रत्येक क्षेत्राधिकारी को प्रारंभ में ही निम्नलिखित कार्य कर लेने चाहिए जिससे वह अपने क्षेत्र में अपराध के नियंत्रण व विवेचना के कार्य के पर्यवेक्षण को ठीक प्रकार से करने के लिए अग्रिम योजना बना सके।

1. अपने क्षेत्र की जानकारी प्राप्त करना

क. क्षेत्र में थाने व चौकियां कहां कहां पर स्थित हैं।

ख. थानों की सीमा किन किन थानों से मिलती हैं। यह भी जानकारी की जाए कि किस थाने की सीमा किस जनपद या अन्य राज्य से मिलती है।

ग. सीमा पर सीमा की समाप्ति या प्रारंभ होने का बोर्ड लगा है या नहीं।

घ. पुलिस प्रबंध की दृष्टि से किस थाने में निम्नलिखित स्थान स्थित हैं :

1. कालिज या विश्वविद्यालय,

2. बाजार।

3. सिनेमाघर,

4. शराब के ठेके,

5. औद्योगिक संस्थान,

6. न्यायालय परिसर,

7. बैंक,

8. महत्वपूर्ण धार्मिक और

9. किस थाना क्षेत्र में किस जाति के लोग अधिक हैं।

2. अपने क्षेत्र के प्रचलित विवादों की जानकारी प्राप्त करना

क. किस थाना क्षेत्र में कोई सांप्रदायिक/ जातिगत/ राजनैतिक विवाद विद्यमान है।

ख. किस थाना क्षेत्र में श्रमिक विवाद विद्यमान हैं।

ग. किस थाना क्षेत्र में छात्र विवाद विद्यमान है।

घ. किस थाना क्षेत्र में दो पक्षों में शत्रुता चल रही है।

3. अपने क्षेत्र के थानों के अधिकारियों व कर्मचारियों का सम्मेलन करके उनकी समस्याओं की जानकारी प्राप्त करना

क. किस थाने पर पुलिस बल नियतन से कम है।

ख. किस थाने पर आरक्षियों की बैरक की स्थिति खराब है।

ग. मैस व्यवस्था है या नहीं।

घ. कितने पुलिस कर्मी थाने से बाहर मकान लेकर रहते हैं।

4. अपने क्षेत्र के थानों अपराध की स्थिति की जानकारी प्राप्त करना

क. किस थाने का अपराध पिछले वर्ष के मुकाबले में बढ़ा है।

ख. थाने का कौन-सा क्षेत्र अपराध की दृष्टि से अधिक प्रभावित है।

ग. किस प्रकार का अपराध बढ़ा है।

घ. अपराध की घटनाओं का समय क्या है।

ङ. किस प्रकार के लोग अपराध में सम्मिलित पाए गए हैं।

च. अपराध के पीड़ित लोग किस वर्ग के हैं।

5. अपने क्षेत्र के थानों की अपराध की रोकथाम की कार्रवाई की जानकारी प्राप्त करना

क. गुंडा नियंत्रण अधिनियम की कार्रवाई।

ख. गैंगस्टर अधिनियम की कार्रवाई।

ग. राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाई।

घ. शस्त्र अधिनियम के अन्तर्गत कार्रवाई।

ङ. आबकारी व मादक पदार्थो की बरामदगी की कार्रवाई।

च. जुआ अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई।

6. अपने क्षेत्र के थानों के संभ्रांत व्यक्तियों की जानकारी करना व उनसे मिलना

क. सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों से।

ख. सेवानिवृत्त मिलिटरी के अधिकारियों से।

ग. स्वयं सेवी संस्थाओं के अध्यक्ष/ सेक्रेटरी से

घ. कालिज के प्रधानाचार्यों से।

ङ. विभिन्न धर्मों के प्रमुख लोगों से।

7. अपने क्षेत्र के जन प्रतिनिधियों की जानकारी करके उनसे मिलना

क. मंत्री, सांसद या विधायक से।

ख. प्रमुख राजनैतिक दलों के अध्यक्ष/सचिव से।

ग. नगर निगम या नगरपालिका के चेयरमैन से।

8. अपने क्षेत्र के थानों की विवेचनाओं की स्थिति की जानकारी प्राप्त करना

क. लंबित विवेचनाओं की स्थिति क्या है।

ख. आरोप पत्र व अंतिम रिपोर्ट का अनुपात क्या है।

ग. वांछित अपराधियों की संख्या कितनी है।

घ. संपत्ति की बरामदगी का अनुपात क्या है।

9. अपने कार्यालय में निम्नलिखित कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करना

क. स्पेशल रिपोर्ट अपराधों की स्थिति क्या है।

ख. प्रारंभिक जांचों की स्थिति क्या है।

ग. विभागीय कार्रवाई की स्थिति क्या है।

घ. थानों के निरीक्षण की स्थिति क्या है।

ड. क्षेत्राधिकारी के स्तर पर लंबित विवेचनाओं की स्थिति क्या है।

10. थानों की विवेचनाओं के अपने कार्यालय के अपराध रजिस्टर का अवलोकन करना

क. विवेचकों की केस डायरी का संक्षिप्त अपराध रजिस्टर में लिखने की स्थिति।

ख. आरोपपत्र व अंतिम रिपोर्ट न्यायालय भेजने की स्थिति।

ग. विवेचना पर की गई आपत्ति की पूर्ति की स्थिति।

घ. विवेचकों द्वारा केस डायरी समय से लिखने की स्थिति।

11. क्षेत्राधिकारी द्वारा अपने क्षेत्र की उक्त बिंदुओं पर जानकारी प्राप्त करके क्या क्या कार्य किए जा सकते हैं?

1. थाना व चौकी के नियतन की पूर्ति कराना थानों के नियतन की कमी की पूर्ति हेतु जनपद के पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर व व्यक्तिगत रूप से वार्ता करके उसे पूर्ण कराने का प्रयास किया जा सकता है जिससे पुलिस कर्मचारियों की कमी को पूर्ण कराया जा सके व अपराध नियंत्रण के कार्य को भली भांति किया जा सके।

2. अपराध की रोकथाम हेतु कार्रवाई कराना—यदि किसी थाना क्षेत्र में अपराध बढ़ गया है तो प्रभावित क्षेत्र में गश्त व नाकाबंदी की व्यवस्था करके अपराध को रोकने का प्रयास किया जा सकता है। गश्त द्वारा अपराध के अवसरों को रोकजा सकता है व अपराधियों को पकड़ा भी जा सकता है। क्षेत्राधिकारी को यह भी चैक करना होगा कि गश्त के लिए नियुक्त कर्मचारी गश्त के दौरान गतिशील रहकर गश्त करे अन्यथा अपराधी अपराध करने में सफल हो सकता है। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि कर्मचारी निश्चित समय तक गश्त करे, क्योंकि गश्त का समय अपराध की घटित घटनाओं को दृष्टि में रखकर निश्चित किया गया है। आवश्यकतानुसार क्षेत्राधिकारी गश्त के समय में आंशिक परिवर्तन भी कर सकते हैं। यदि किसी मोहल्ले या कालौनी में अपराध की घटनाएं अधिक हो रही हों तो उस मोहल्ले या कालोनी के अंदर जाने व बाहर निकलने वाले रास्तों पर नाकाबंदी कराकर प्रत्येक संदिग्ध व्यक्ति को चैक किया जाए जिसके परिणामस्वरूप या तो अपराधी पकड़े जाएंगे या अपराधी पुलिस की सतर्कता के कारण अपराध नहीं कर पाएंगे।

3. अपराध की घटनाओं की रोकथाम हेतु जन सहयोग प्राप्त करने का प्रयास किया जाए— प्रजातांत्रिक प्रणाली के शासन में जनसहयोग प्राप्त किए बिना पुलिस अपराध के नियंत्रण के कार्य में सफल नहीं हो सकती है, क्योंकि बिना सूचनाओं के अपराधियों के विरुद्ध समय रहते कार्रवाई नहीं हो सकती। अपराध व अपराधियों के बारे में जनता पुलिस को सूचना देने से डरती है और यह डर जब तक दूर नहीं किया जाएगा पुलिस अपराध के नियंत्रण में जनसहयोग प्राप्त नहीं कर पाएगी। यदि क्षेत्राधिकारी अपने कार्यक्षेत्र के पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को सामुदायिक पुलिस व्यवस्था के अन्तर्गत कार्य करने हेतु प्रोत्साहित करेंगे तो थाना पुलिस को जनसहयोग भी प्राप्त होने लगेगा व उनके कार्य में पारदर्शिता भी आ जाएगी। वर्तमान समय में पुलिस के समक्ष यह एक चुनौती है कि किस प्रकार से जन सहयोग प्राप्त किया जाए। इस कार्य के लिए पुलिस गांव में ग्राम सुरक्षा समितियों व नगर में शांति समितियों का गठन करके जनता को अपने कार्यों में भागीदार बनाकर उनका सक्रिय सहयोग प्राप्त कर सकती है।

4. अभ्यस्त अपराधियों के विरुद्ध रोकथाम कराना सुनिश्चित कराया जाए—यदि किसी थाने में रोकथाम की कार्रवाई कम होनी पाई जाए तो उस थाने के रिकार्ड का अध्ययन करके ऐसे अपराधियों की सूची तैयार करवानी चाहिए जो दो या अधिक बार अपराध की घटनाओं में प्रकाश में आए हों। क्षेत्राधिकारी द्वारा उस सूची का अध्ययन करके उन लोगों को चिह्नित करना चाहिए जो धारा 110 दंड प्रक्रिया संहिता या गुंडा नियंत्रण अधिनियम या गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई करने योग्य हैं व थाना प्रभारी को उनके विरुद्ध कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाना चाहिए। यह कार्य यद्यपि थाना प्रभारी का है परंतु एक पर्यवेक्षण अधिकारी के रूप में यह कार्रवाई अपने स्तर से कराना उपयोगी सिद्ध होगी।

5. महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों के संबंध में प्रभावी कार्रवाई कराना सुनिश्चित कराना—यदि किसी थाना क्षेत्र में महिलाओं के स्कूल या कालिज के आसपास गुंडागर्दी की शिकायत पाई जाए तो निम्नलिखित कार्रवाई करने का निर्देश क्षेत्राधिकारी अपने स्तर से संबंधित थाना प्रभारी को देकर प्रभावी कार्रवाई कराना सुनिश्चित करा सकता है :

क. महिलाओं के स्कूल या कालिज के प्रारंभ होने व बंद होने के समय स्कूल या कालिज के बाहर पिकेट व आने जाने के मार्गों पर पुलिस गश्त की व्यवस्था कराई जा सकती है जिससे कोई व्यक्ति महिलाओं के साथ कोई अप्रिय घटना न कर सके।

ख. महिलाओं को देखकर अश्लील हरकतें करने वाले व्यक्ति को धारा 294 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत गिरफ्तार करके उसके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति किसी महिला के साथ बल प्रयोग करके उसकी लज्जा को भंग करता है तो उसके विरुद्ध धारा 354 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत करके प्रभावी कार्रवाई की जा सकती है।

ग. यदि कोई व्यक्ति महिलाओं के साथ बार-बार अपराध कर रहा हो उसको उ.प्र. गुंडा नियंत्रण अधिनियम के अन्तर्गत जिलाधिकारी को आख्या प्रेषित करके उसे जनपद से निष्कासित कराने की कारवाई कराई जा सकती है।

घ. यदि लोगों द्वारा किसी महिला को निर्वस्त्र करके अपमानित किया गया हो और उसके परिणामस्वरूप अन्य लोगों ने उन अपराधियों से डरकर अपना गांव या मोहला छोड़कर पलायन किया हो तो ऐसे मामले में उन अपराधियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता के अभियोग के अतिरिक्त लोक व्यवस्था भंग होने के आधार पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के अंतर्गत की कार्रवाई पर भी विचार किया जा सकता है।

6. थाना क्षेत्र में प्रचलित विवादों के संबंध में सतर्क रहने व आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देश निर्गत किए जाएं—यदि किसी थाना क्षेत्र में किसी धार्मिक स्थल, भूमि-भवन, ताजिये निकालने के मार्ग या होली जलाने के स्थान के संबंध में या श्रमिकों व मिल मालिकों में या छात्रों व कालिज प्रशासन में कोई विवाद चल रहा हो तो उस पर निरंतर निगाह रखने हेतु संबंधित थाना प्रभारी को लिखित में निर्देशित किया जाना चाहिए जिससे किसी उपद्रव की संभावना की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल कार्रवाई की जा सके। इस प्रकार के प्रकरण कार्रवाई के अभाव में बड़ी घटनाओं का रूप ले सकते हैं।

7. थाना क्षेत्र में जुआ, सट्टा व मादक पदार्थो की बिक्री के कार्य को रोकने की प्रभावी कार्रवाई कराई जाए—जिन थाना क्षेत्रों में जुआ, सट्टा, नाजाएज शराब, मादक पदार्थों के अपराध के विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया जाए। इन अपराधों के होने से अन्य अपराधों की संख्या भी बढ़ने लगती है, क्योंकि जुआ व सट्टा खेलने में चोर व लुटेरे भी शामिल रहते हैं वह यह लोग मादक पदार्थो का भी

सेवन करते हैं। जुआ-सट्टा व मादक पदार्थों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने का सार्थक प्रभाव अन्य अपराधियों पर जाता है और वह पुलिस की सक्रियता के कारण अपराध करने से डरने लगते हैं।

8. बीट सूचनाओं के एकत्रीकरण व उन पर जांचोपरांत कार्रवाई पर बल दिया जाए—थाना क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपराधियों व समाज के विभिन्न वर्गों की गतिविधियों के बारे में सूचनाओं का प्राप्त होना व उन पर समय रहते कार्रवाई करना नितांत आवश्यक है। यदि किसी क्षेत्राधिकारी को अपने किसी थाने में बीट सूचना के एकत्रीकरण में कमी दिखाई दे तो उन्हें सभी कर्मचारियों को एकत्र करके बीट सूचनाओं के लाभ से अवगत कराकर उन्हें अपनी बीट से अपराधियों व समाज के उन विभिन्न वर्गों की गतिविधियों की सूचनाओं को एकत्र करके थाने पर देने हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए और लाभदायक सूचना लाने वाले पुलिसकर्मी को पुरस्कृत करने हेतु जनपद के पुलिस अधीक्षक को संस्तुति करनी चाहिए जिससे और कर्मचारी प्रोत्साहित हो सकें। उनकी दृष्टि में जो कर्मचारी इस कार्य में उपेक्षा कर रहे हों उन्हें चेतावनी दी जाए जिससे वह अपने कार्य में सुधार ला सकें।

9. विवेचना के कार्य के प्रगति लाने हेतु अर्दली रूम में विवेचना का कार्य चैक किया जाए—यदि किसी थाने के विवेचकों के विवेचना के कार्य में कोई ढ़िलाई दिखाई दे तो क्षेत्राधिकारी को प्रत्येक थाने पर जाकर प्रत्येक विवेचक के विवेचना कार्य को अर्दली रूम में चैक करना चाहिए जिससे सही स्थिति प्रकाश में आ सके व विवेचना में अनावश्यक विलंब को होने से रोका जा सके। प्रत्येक विवेचक से बातचीत करके उसकी कठिनाई को जानकर उसको उचित दिशा निर्देश दिए जाएं। यदि विवेचक को किसी सहायता की आवश्यकता हो तो क्षेत्राधिकारी को उसकी सहायता करनी चाहिए। उदाहरण के लिए यदि विधि विज्ञान प्रयोगशाला से मादक पदार्थ की परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त न होने के कारण विवेचना का कार्य विलंबित हो रहा हो तो क्षेत्राधिकारी को तत्काल एक अनुस्मारक पत्र विधि विज्ञान प्रयोगशाला के निदेशक को लिखकर वरीयता के आधार पर परीक्षण करने हेतु निवेदन करना चाहिए जिससे आरोप पत्र देने में विलंब के कारण अभियुक्त जमानत पर रिहा न होने पाए।

10. थानों के आकस्मिक निरीक्षण किए जाएं—थानों के कार्य को आकस्मिक रूप से चैक करने हेतु अलग-अलग समय पर जाकर आकस्मिक निरीक्षण करना आवश्यक है, जिससे थाने की कार्य शैली को जाना जा सके। थानों के मानसून व वार्षिक निरीक्षण भी समय से कर लिए जाएं जिससे थानों की अपराध व कृत कार्रवाई की स्थिति का पता चल सके। क्षेत्राधिकारी को यह बात विशेष रूप से देखनी चाहिए कि थाना प्रभारी द्वारा पूर्व में किए गए निरीक्षणों में दिए गए निर्देशों का अनुपालन किया गया है या नहीं। यदि इस संबंध में कोई उपेक्षा पाई जाए तो यह निर्देश दिया जाए कि एक निश्चित समय में अनुपालन करके आख्या दी जाए।

11. थानों के वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित कराई जाए—क्षेत्राधिकारी को प्रत्येक थाने की वांछित अपराधियों की सूची चैक करनी चाहिए व थानों के वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु प्रत्येक उपनिरीक्षक पुलिस को एक या दो वाछित अपराधी आवंटित कर देने चाहिए जिससे किसी एक अधिकारी पर काम का अधिक बोझ भी नहीं होगा व उत्तरदायित्व तय करने में भी आसानी होगी। यह कार्य इसलिए आवश्यक है, क्योंकि अधिकांश वांछित अपराधी घटना में लगे रहते हैं।

12. क्षेत्राधिकारी को अपने कार्यालय में विवेचको की विवेचना से संबंधित अपराध रजिस्टर पूर्ण रखने चाहिए—प्रत्येक क्षेत्राधिकारी को नवनियुक्ति पर अपने कार्यालय में विवेचना से संबंधित

अपराध रजिस्टर चैक करके यह देख लेना चाहिए कि थानों के विवेचकों द्वारा विवेचना की डायरी लिखकर समय से उनके कार्यालय में प्रेषित की जा रही है या नहीं। यदि किसी थाने के विवेचकों द्वारा केस डायरी समय पर लिखकर प्रेषित न की जा रही हो तो विवेचकों को बुलाकर यह बात उन्हें स्पष्ट कर देनी चाहिए कि विवेचना की प्रगति की दिन प्रतिदिन की केस डायरी समय से उनके कार्यालय में प्रेषित की जाए जिससे क्षेत्राधिकारी यह जान सके कि विवेचक किस प्रकार से विवेचना कर रहा है व उचित दिशा-निर्देश दे सके। यदि सभी केस डायरी एकसाथ प्राप्त होंगी तो उनमें कोई सुधार नहीं किया जा सकता, न कोई सुझाव ही दिया जा सकता है। केस डायरी विलंब से लिखने की विवेचकों की आदत होती है परंतु इससे कोई लाभ नहीं है अपितु विवेचना की गुणवत्ता व विश्वसनीयता दोनों ही समाप्त हो जाती हैं और विवेचना में अकारण विलंब भी होता है। यह विलम्ब क्षेत्राधिकारी द्वारा रोका जा सकता है।

13. थाना पुलिस द्वारा लोगों को फर्जी अभियोगों में बंद करने पर अंकुश लगाया जाए— क्षेत्राधिकारी को यह भी देखना चाहिए कि थाना पुलिस लोगों को फर्जी मुकदमों में बंद न करे व सही अभियुक्त ही गिरफ्तार होकर जेल जाने चाहिए अन्यथा अपराध की पुनरावृत्ति नहीं रुक पाएगी, क्योंकि वास्तविक अपराधी की जगह गलत व्यक्ति जेल जाने के बाद वास्तविक अपराधी अपराध करता रहेगा। इस प्रकार की फर्जी कार्रवाई करने से न तो पुलिस को कोई लाभ मिलेगा और न ही समाज का पुलिस कोई भला कर पाएगी। यदि योजनाबद्ध तरीके से विवेचना में प्रयास किए जाए तो सही अपराधियों को पकड़ा जा सकता है और सही अपराधी के जेल जाने के बाद अपराध की घटनाओं पर असर दिखाई देने लगेगा, क्योंकि नया अपराधी बनने में समय लगता है। किसी व्यक्ति को फर्जी जेल भेजना एक अपराध है और यह बात प्रत्येक पुलिस कर्मी को सदैव ध्यान में रखनी चाहिए।

14. थाने पर पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु के संबंध में कड़े निर्देश निर्गत किए जाएं—क्षेत्राधिकारी को यह भी देखना चाहिए कि थाने पर किसी अभियुक्त की पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु न होने पाए, क्योंकि इस प्रकार की घटना होने पर पुलिस के पास कोई उत्तर नहीं होता है व पुलिस के अच्छे कार्य भी इस प्रकार की घटना के कारण लोगों की दृष्टि से ओझल हो जाते हैं। क्षेत्राधिकारी को अपने थानों के थाना प्रभारी व उपनिरीक्षकों को यह बात स्पष्ट रूप से बता देनी चाहिए कि किसी भी हालत में पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु नहीं होनी चाहिए अन्यथा दोषी पुलिस अधिकारी के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अधिकांश अभिरक्षा में मृत्यु की घटनाएं पुलिस द्वारा गिरफ्तारी के बाद अभियुक्तों से पूछताछ में अवैधानिक रूप से बल प्रयोग करने के कारण घटित होती हैं। क्षेत्राधिकारी को थाना प्रभारियों को यह बात बताई जाए कि पूछताछ करने में बल प्रयोग न किया जाए व पूछताछ के लिए पूर्ण तैयारी करके अभियुक्त से पूछताछ की जाए और कभी कभी पूछताछ में स्वयं भी सम्मिलित होना चाहिए जिससे अभिरक्षा में मृत्यु जैसी घटना पर अंकुश लग सके।

14. स्पेशल रिपोर्ट अभियोगों की प्रगति पर विशेष ध्यान दिया जाए—स्पेशल रिपोर्ट पत्रावलियों को क्षेत्राधिकारी कार्यालय में गम्भीर अपराधों की घटना होने पर तैयार किया जाता है और इनकी प्रगति आक्ष्याओं को जनपद के पुलिस अधीक्षक के अनुमोदन के पश्चात अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को प्रेषित किया जाता है। प्रत्येक क्षेत्राधिकारी को अपने कार्यालय में लंबित सभी स्पेशल रिपोर्ट पत्रावलियों को ध्यान से देखकर यह चैक कर लेना चाहिए कि उनमें निश्चित तिथि पर प्रगति आख्या प्रेषित हो रही है या नहीं। पहली स्पेशल रिपोर्ट आख्या अभियोग पंजीकृत होने के 10

दिन के भीतर प्रेषित की जाती है व उसके एक महीने के बाद प्रगति आख्या निरंतर विवेचना पूर्ण होने तक प्रेषित की जाती रहती हैं। क्षेत्राधिकारी को भेजी जाने वाली प्रगति आख्या के लिए प्रत्येक विवेचक पहले से सचेत कर देना चाहिए जिससे विलंब न हो। क्षेत्राधिकारी को एक महीना विवेचक की आख्या की प्रतीक्षा न करके बीच बीच में विवेचक से जानकारी प्राप्त करके उसकी विवेचना की प्रगति को चैक करते रहना चाहिए।

16. क्षेत्राधिकारी के स्तर पर लंबित कार्यों को चैक करके उनका निस्तारण करना—नवनियुक्त क्षेत्राधिकारी को अपने कार्यालय में अपने द्वारा की जाने वाली विवेचनाओं, विभागीय कार्रवाई, थानों के मानसून/वार्षिक निरीक्षण व प्रारंभिक जांच के कार्यों को चैक करके उनके निस्तारण की योजना बनाकर यथाशीघ्र कार्रवाई करनी चाहिए। यदि क्षेत्राधिकारी के स्तर पर कार्य लंबित रहेगा तो इसका प्रभाव अधीनस्थों पर अच्छा नहीं जाएगा और कार्य का बोझ भी बढ़ता जाएगा। क्षेत्राधिकारी को अपने कार्य का एक सही उदाहरण अपने अधीनस्थों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए।

17. पुलिस का जनता के साथ व्यवहार के संबंध में भी थाना पुलिस को निर्देश देने चाहिए——यदि किसी थाने के पुलिस कर्मियों के दुर्व्यवहार की शिकायतें प्राप्त हो रही हों तो क्षेत्राधिकारी को थानों पर जाकर सम्मेलन करके अपने अधीनस्थों को यह बात स्पष्ट कर देनी चाहिए कि जनता के लोगों के साथ दुर्व्यवहार न किया जाए और यदि कोई शिकायत पाई गई तो दोषी कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाई करने में कोई संकोच न किया जाएगा। समस्त थाना प्रभारियों को समाज के लोगों से स्वस्थ संवाद बनाए रखने हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

आतंकवाद और पुलिस की रणनीति-आतंकवाद से निपटने के निरोधी उपाय

एस.पी. सिंह
सहायक निदेशक (से.नि.)
नियर डिप्टी साहब का अस्पताल
कटघर, मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश)

आतंकवाद एक वैश्विक समस्या है और आज अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। यह प्रजातंत्र के लिए, लोगों की स्वतंत्रता के लिए, कानून के शासन के लिए, संपूर्ण समाज के लिए, सभ्य संसार और उसके नगारिकों के लिए भी गंभीर खतरा है। यह पूर्व नियोजित, अच्छी तरह संचालित, ठीक तरह संगठित और लड़ाई का एक ऐसा हथियार है जो कभी समाप्त होने वाली नहीं है। यह राजनैतिक, धार्मिक, सामाजिक, प्रशासनिक व्यक्तियों और आर्थिक संसाधनों के खिलाफ स्वार्थी तत्वों के हाथ में एक हिंसक साधन है।

आतंकवादियों की एक अपराधी प्रवृत्ति होती है और इसीलिए वह लोगों की हत्या करते हैं, अति विशिष्ट/विशिष्ट व्यक्तियों को मारते हैं, सुरक्षा कर्मियों पर आक्रमण करते हैं, प्रभावशाली व्यक्तियों और हवाई जहाजों का अपहरण कर सरकार पर दबाव बनाकर अपने साथियों को जो जेल में बंद हैं उनकी रिहाई की मांग करते हैं। लोगों से जबरन वसूली करते हैं, बैंकों में डकैती डालते हैं, लोगों को जान माल का ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए स्वयं को विस्फोट कर उड़ा लेते हैं। संगठित अपराधियों और मादक पदार्थों के तश्करों से साठ-गांठ रखते हैं जो उनकी समय-समय पर पूरी मदद करते हैं। वह चोरी के वाहनों में इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस लगाकर, हैंड ग्रेनेड का इस्तेमाल कर ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारने और संपत्ति का नुकसान करने के लिए करते हैं। अपने काम को अंजाम देने के लिए आधुनिक तकनीकी सिस्टम और कम्युनिकेशन सिस्टम का प्रयोग करते हैं इसलिए भारत के प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह आतंकवाद को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत गंभीर खतरा मानते हैं। यह विचार उन्होंने चीफ मिनिस्टर्स की बैठक में जो 05 मई 2012 को दिल्ली में बुलाई थी उसमें व्यक्त किए। उस बैठक में भारत के भूतपूर्व गृहमंत्री पी. चिदंरम का कहना था कि आतंकवादी किसी देश या राज्य की सीमाओं को नहीं मानते हैं और आतंकवादी खतरा अब नई शक्ल के रूप में उभर रहा है। यह फीजिकल स्पेस के अलावा समुद्र, अंतरिक्ष, हवाई और साइबर जगत की गतिविधियों सुरक्षा एजेंसीज के लिए चुनौतियां भरकर उभरा है। 06 सितंबर 2012 से 08 सितंबर 2012 तक नई दिल्ली में डी. जी. पी. कांफ्रेस हुई उसमें प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह की आतंकवाद पर टिप्पणी बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि आतंकवादी पहले से ज्यादा तेज, चालाक और फुर्तीले हैं। वह पहले से ज्यादा खतरनाक हैं और उनके तार सीमा पार से जुडे हैं। जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों में कमी आई है लेकिन वहां सीमा पार से घुसपैठ के प्रयास जारी हैं। आतंकवादियों के प्रशिक्षण कैंप सीमा पार ज्यों के त्यों चल रहे हैं। आतंकवादी समुंद्री रास्ते से देश में घुसने की फिराक में हैं। घरेलू आतंकवाद अब कहीं अधिक गंभीर चुनौती बन गया है। इससे स्पष्ट है कि अंतरिक्ष सुरक्षा पर निश्चित नहीं हुआ जा सकता। आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे को मजबूत बनाने के लिए ऐसी कोई पहल नहीं हो रही है जैसी आवश्यक है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि देश पर आतंकवादी खतरा कितना गंभीर है।

युवाओं में बढ़ती कट्टरता देश के लिए नया

खतरा बन गई है। बंगलौर में पकड़े गए 11 युवा (अगस्त 2012 में) इसके उदाहरण हैं जिसमें डी.आर.डी.ओ. साइंटिस्ट (जूनियर रिसर्च ऑफिसर) और एक प्रेस रिपोर्टर भी शामिल हैं। यह नौजवान ऑन लाइन अलकाइदा मैग्जीन इम्पायर से प्रेरित हुए जो यमन से छपती है और जिसमें उत्तेजनात्मक भाषण इंटरनेट पर अपलोड की गयी। यह नौजवान लश्करे तईवा के स्लीपर सेल्स द्वारा लिखे गए लेखों से भी बहुत अधिक प्रभावित हुए। मैग्जीन ने नौजवानों से अपील की कि वह भारत, अमेरिका, इजराइल और यूरोपियन देशों के खिलाफ जिहाद में शामिल हों। मैग्जीन ने मुस्लिम नौजवानों से महत्वपूर्ण व्यक्तियों, संस्थानों पर दृष्टि रखने और उनके बारे में पूर्ण सूचना एकत्र करने तथा उन्हें लक्ष्य बनाकर आक्रमण करने के बारे में समझाया। किस तरीके से किचन बंब बनाया जाए और कैसे ए.के.47 को हैंडिल किया जाए इसके बारे में भी समझाया।

इस मॉडयूल में अब तक 17 आतंकवादी पकडे गए हैं जिनका लक्ष्य परमाणु संयत्र, हिंदू संगठन के नेताओं तथा कुछ पत्रकारों को निशाना बनाना था। एक आतंकवादी ने तो मुस्लिम समुदाय के लगभग 150 विद्यार्थियों को धार्मिक चर्चा में भाग लेने के लिए संपर्क किया ताकि उनको मॉटीवेट करके जिहाद में शामिल होने के लिए कहा जाए।

आतंकवादी अपनी रणनीति के अनुसार अपने स्थान बदलते रहते हैं एक समय था जब उनका अड्डा अमेरिका में था फिर वे यूरोप में आ गए। जब उन्हें भारत विरोध का खाद-पानी मिलने लगा तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान में आ धमके। लेकिन पिछले कुछ समय से उनका अड्डा सऊदी अरब बनता जा रहा है उन्हें यहां फंड के साथ-साथ मजहबी शरण भी मिल जाती है। वर्ष में एक बार हज यात्रा तो होती ही है। इसके अतिरिक्त वे उमरा के बहाने भी सऊदी अरब की यात्रा पर निकल पड़ते हैं। सऊदी अरब सरकार मजहबी मामलों में अत्यंत कट्टर है। मजहब के बहाने से आतंकवादी किसी भी क्षण घुसपैठ कर सकते हैं। भारत और सऊदी अरब के बीच प्रत्यर्पण संधि (एक्सट्रेडिशन ट्रीटी 2010) के बाद सऊदी अरब सरकार ने तीन महत्वपूर्ण आतंकवादियों को भारत सरकार को सौंप दिया। जून 2012 में एक महत्वपूर्ण आतंकवादी को भारत को सौंपा जो 26-11-2008 मुंबई आतंकी हमले में शामिल था। जुंदल सी.मी. का सदस्य था। सन 2002 में बीद (महाराष्ट्र) में सी.मी. का प्रोग्राम अटेंड किया और बाद में इंडियन मुजाहिदीन में शामिल हो गया। उसने 26/11 शामिल आतंकवादियों और अन्य आतंकवादियों को हिंदू नाम रखने और हाथ में सैफरन धागा बांधकर मुंबई में हमला करने का षडयंत्र रचा था ताकि आरोप हिंदू कट्टरवादियों पर लग सके और महाराष्ट्र तथा भारत सरकार गुमराह हो सके। उसने करांची स्थित कंट्रोल रूम और लश्करे तईवा के शरण स्थलों के बारे में भी बताया जहां से मुंबई में आतंकवादियों को दिशा निर्देश दिए। उसने अपने नाम से एक वेबसाइट खोली जिससे कि नए आतंकी भर्ती कर सके।

एक गिरफ्तार ने बताया कि लश्करे तईवा नेवल बेस का विस्तार कर रही है जिससे भारत में और आतंकी हमले किए जा सकें। वह अभी गिरफ्तार बड़े आतंकवादियों के भी संपर्क में रहा। उसे पाकिस्तान के आतंकवादी ने सऊदी अरब जाने को प्रेरित किया ताकि वहां पर जो भारतीय नौजवान हज करने आते हैं उनसे मिलने, उनका ब्रेनवाश करने तथा जिहाद में भाग लेने के लिए मनाया जाए। एक गिरफ्तार व्यक्ति ने बताया कि उसे बंगलौर में साइंटिस्ट पर हमले और रामपुर सी.आर.पी.एफ. सेंटर पर हमले की पूरी जानकारी थी। उसने यह भी बताया कि लश्करे तईवा और आई.एम. की योजना महाराष्ट्र पुलिस अकादमी पर आक्रमण किया था। उसी प्रकार जैसे कि लाहौर पुलिस अकादमी पर 30 मार्च, 2009 में किया था। सितंबर 2012 में रईस को भारत सरकार को सौंपा और

अक्टूबर 2012 में एक और आतंकवादी को सौपा जो पेशे से इंजीनियर है और उसका काम शिक्षित, प्रोफेशनल्स, डाक्टर्स, इंजीनियर्स को प्रेरित कर आई.एम. में सम्मिलित करना था जिससे कि आई.एम. बौद्धिक और आर्थिक रूप से मजबूत हो सके। वह आतंकवादी बंगलौर चैन्ना स्वामी बंब ब्लास्ट और दिल्ली में आतंकवादी घटनाओं में भी लिप्त था। उसने गुजरात दंगों की वीडियो क्लीपिंग देखकर और भारत में मुस्लिमों पर अत्याचारों, भेदभावों के बारे में पढ़कर आई.एम. में शामिल होने का निर्णय लिया।

एक समय था कि जिन्हें आतंकवादी बनाया जाता था वह अनपढ़ और अशिक्षित हुआ करते थे लेकिन अब समय के साथ-साथ यह प्रवाह बदल गया है। इन दिनों जो मुस्लिम आतंकवादी तैयार किए जाते हैं वह पढ़े लिखे होते हैं। उनमें कोई डाक्टर होता है तो कोई इंजीनियर और कोई वैज्ञानिक। वे देश विदेश के विश्वविद्यालयों से उच्च शिक्षित युवा होते हैं। इतना ही नहीं वे इस्लाम की पूर्ण शिक्षा प्राप्त करते हैं। आतंकवादी पैसे के लिए तो बनते ही हैं लेकिन साथ-साथ अपने मजहब और उसके दर्शन की सेवा करना भी उनका उद्देश्य होता है जहां उन्हें फंड और सुरक्षा प्राप्त होती है वहां वे अपने प्रशिक्षण के अड्डे बना लेते हैं। धन उनकी पहली आवश्यकता है। या तो उन्हें वहीं धन मिल जाता है या फिर उस स्थान पर हवाला सहित अन्य सुविधाओं के माध्यम से धन उपलब्ध हो जाता है।

पाकिस्तान पिछले दो-तीन दशक से जम्मू कश्मीर, पंजाब में न केवल आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है बल्कि आतंकवादियों को ट्रेनिंग भी दे रहा है, इक्यूपमेंट दे रहा है, उन्हें सलाह भी दे रहा है, गाइड भी कर रहा है उन्हें सुरक्षित शरण गृह प्रदान करवा रहा है। झूठे पासपोर्ट और पैसा भी दे रहा है। पाकिस्तान में आतंकवादी ढांचा पूरी तरह विकसित है और यह पाकिस्तान की विदेश नीति का एक हिस्सा है।

पाकिस्तान ने एक आंतकी योजना 'करांची प्रोजेक्ट' के नाम से बनाई है जिसके द्वारा इंडियन मुजाहिदीन के प्रशिक्षित नौजवानों को भारत में आंतकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह प्रोजेक्ट पाक आई. एस. आई. और लश्करे तईवा द्वारा चलाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट की देखभाल करने में आतंकवादी संगठनों के जाने माने नाम भी शामिल हैं। विदेश में बसा एक भारतीय आतंकवादी इस प्रोजेक्ट को पैसा भी देता है। इस प्रोजेक्ट का काम इंडियन मुजाहिदीन के रिक्रुरूट्स को हथियारों और विस्फोटक पदार्थो के इस्तेमाल की ट्रेनिंग के लिए भारत से वाया नेपाल, दुबई, बंगला देश से पाकिस्तान भेजा जाता है और ट्रेनिंग के बाद इन भारतीय नौजवानों को हिंदुस्तान में दिल्ली, मुंबई, बंगलौर इत्यादि शहरों में सीरियल ब्लास्ट करने के लिए भेजा जाता है।

आई.एम. और लश्करे तईवा के पदाधिकारी पाक आई.एस.आई. की मदद से सदस्यों को भारत और नेपाल में छुपने के लिए हवाला द्वारा पैसा भेजते हैं। पाकिस्तान ट्रेंड आतंकी सलमान जो फरवरी 2010 में सिद्धार्थ नगर यू.पी से पकड़ा गया उसने कई बार हवाला द्वारा पैसा प्राप्त किया। उसका काम नए रिक्रुरूट तैयार करना और उन्हें संगठित करना था। वह व्यक्ति यू.पी. में गोरखपुर तथा यू.पी. के अन्य शहरों और दिल्ली के धमाकों में शामिल था। उसने ही करांची प्रोजेक्ट का खुलासा किया था और यह भी बताया कि आतंकवादियों की नई फौज तैयार की जा रही है जिन्हें स्पाइज, शूटर्स और आत्मघाती दस्ता (सुसाइड बाम्वर) के रूप में इस्तेमाल करना है। बारह से अठारह साल के बच्चों को भर्ती करके उन्हें टाइम बांब के रूप में इस्तेमाल करना है।

पाकिस्तान कुछ जाने माने आतंकवादियों से भारत में आतंकवाद फैलाने में पूरा सहयोग ले रहा है। वह आतंकवादी हजारों सदस्यों का एक क्रिमिनल सिंडीकेट पाक आई.एस.आई. और लश्करे तईवा, अलकायदा की

मदद से चला रहा है जो भारत और साउथ ईस्ट एशिया के अन्य देशों के हितों के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है। उसके साथियों का काम जबरन पैसे वसूलना, तस्करी करना, मादक पदार्थों की तस्करी करना और पैसा लेकर लोगों की हत्या करना है। उसके साथी भारतीय फिल्म उद्योग में घुस चुके हैं और फिल्म निर्माताओं से जबरन वसूली करते हैं और फिल्म के डायरेक्टर्स की हत्या करते हैं। फिल्मों की चोरी कर उन्हें बांटते हैं। उसके साथी लश्करे तईवा की गतिविधियों के लिए पैसा देते हैं नए आंतकी रिक्रुरूटों को लश्करे तईवा के ट्रेनिंग कैंप में भेजते हैं तथा लश्करे तईवा और अलकायदा आतंकियों को अपने संपर्कों द्वारा पूरी सहायता प्रदान करते हैं।

भारत में आतंकवाद को फैलाने और बढ़ावा देने में पाक आई.एस.आई. की मुख्य भूमिका रहती है। भारत में अगर कहीं कोई आतंकवादी घटना होती है तो उसके पीछे आई.एस.आई. का हाथ होने की संभावना रहती है। पाक आई.एस.आई. आज दुनिया की शक्तिशाली एजेंसियों में से एक है। इसकी तुलना अब अमेरिका की सी.आई.ए. और रूस की के.जी.बी. के समतुल्य समझी जाती है। इस एजेंसी पर न तो पाकिस्तान सरकार का कंट्रोल है और न ही पाकिस्तानी आर्मी का जिसका कि यह एक अंग है। वह अपनी गतिविधियां चलाने के लिए सरकार पर या आर्मी पर निर्भर नहीं है। वह बड़े-बड़े मादक पदार्थों के तस्करों को सहयोग कर उनसे बडी मात्रा में पैसा वसूलती है। यही उसकी आय का स्रोत है।

भारत सरकार के विरोध के बावजूद अफगानिस्तान सरकार की आलोचना के बावजूद और अमेरिका के सख्त निर्देशों के बावजूद पाक आई.एस.आई. कश्मीर, पंजाब तथा भारत के अन्य हिस्सों में अपनी गतिविधियां जारी रखे हुए है। आतंकवादी ट्रेनिंग कैंप चलाए हुए है पाकिस्तान आई.एस.आई. का लक्ष्य कश्मीर को भारत से आजाद कराना है। पंजाब में आतंकवाद को फिर से जिंदा करना है। पाकिस्तान बार्डर से, नेपाल बार्डर से बंगला देश बार्डर से भारत में आतंकियों को भेजती है, उनके लिए हथियार, गोला बारूद भी इन्ही रास्तों से आता है। मादक पदार्थों की तश्करी भी कराती है और जाली मुद्रा भेजकर भारत की अर्थव्यवस्था को चोपट करना चाहती है। असम में उल्फा को सहयोग देती है। बांग्लादेश से नार्थ ईस्ट के उग्रवादी संगठनों की सहायता करती है । मुस्लिम नौजवानों को धार्मिक प्रशिक्षण देकर इस्लाम के नाम पर जिहाद के लिए उत्साहित करती है। उनमें विध्वंसात्मक कार्य करने तथा अलगाववादी भावनाएं पैदा करने का काम करती है। भातर के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कश्मीर समस्या को उठाने और मानवाधिकारों के मामले में बदनाम करती है। गुरिल्ला युद्ध को बढ़ावा देती है। कश्मीरी आतंकवादियों और आई.एम. आतंकवादियों, उग्रवादियों, उनके संगठनों को हवाला द्वारा पैसा भेजती है। कश्मीरी नौजवानों को मोबाइल टावर्स को ध्वस्त करने, झूठी पहचान पर सिम कार्ड प्राप्त करने तथा धार्मिक स्थलों, मस्जिदों को ध्वस्त करने को कहा जा रहा है जिससे कि बडा आंदोलन कश्मीर में खड़ा किया जा सके।

भारत सरकार पाक आई.एस.आई. गतिविधियों को 'प्राक्सीवार' की संज्ञा देती है जो पाकिस्तान में परोक्ष से हिंदुस्तान पर थोपा रखा है पंजाब में आंतकवाद को फिर से जिंदा करने के लिए पाकिस्तान तथा खालिस्तान तत्वों द्वारा जो अन्य यूरोपीय पश्चिमी देशों में रह रहे हैं, प्रयास जारी हैं। सिक्खों की धार्मिक भावनाओं को उभारा जा रहा है, सिक्ख नौजवान जो बेरोजगार हैं उनको प्रलोभन देकर उग्रवादी/ आतंकवादी गतिविधियों में शामिल किए जाने को प्रेरित किया जा रहा है। पाकिस्तान में जो सिक्ख आतंकवादी शरण लिए हुए हैं उन पर पंजाब में आतंकवाद पैदा करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। समय-समय पर हथियार, विस्फोटक पदार्थ, मादक

पदार्थ, जाली मुद्रा भेजकर आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। 6 जून, 2012 को श्री हरमिंदर साहब परिसर में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री बेअन्त सिंह के हत्यारे को 5 सिंह साहिबान ने 'जिंदा शहीद' के खिताब से नवाजा और बहन को चांदी की तश्तरी, दोशाल और सरोपा भेंट किया। आपरेशन ब्लू स्टार की 28वीं वर्षी पर सिंह साहिवान ने गोल्डन टेंपल अमृतसर में मृतकों की यादगार के लिए मेमोरियल बनवाया। इस मौके पर उनके साथियों ने खालिस्तान के समर्थन में नारे लगाये। 01 नवम्बर 2012 को शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने बंअंत सिंह भूतपूर्व मुख्यमंत्री के हत्यारे की वर्षी हरमिंदर साहब ने अखंड पाठ और भोग का आयोजन करके मनाई। इस कार्यक्रम में हरमिंदर साहब के प्रबंधक, ज्ञानी खेल सिंह मुख्यमंत्री अकाल तख्त और अपराधी के भाई भी भोग के समय उपस्थित थे। लेफ्टिनेंट जनरल के.एस. बरार जो कि आपरेशन ब्लू स्टार में शामिल थे उन पर खालिस्तानी आतंकवादियों द्वारा लंदन में आक्रमण किया वह घायल हुए और उनके चोटें आईं। 28 जुलाई 2010 को पंजाब पुलिस ने 5 बब्बर खालसा इंटरनेशनल के मिलीटेंट को जलंधर जिले से गिरफ्तार किया। उनमें से एक जो कि एक धार्मिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहा था।

वह फ्रांस का नागरिक था जिसका मुख्य उद्देश्य गुरुवाणी के पाठ द्वारा सिक्ख नौजवानों का ब्रेन वाश करके अपने धर्म और कौम की रक्षा के लिए हथियार उठाने के लिए प्रेरित करना था। वह बेरोजगार नौजवानों को आतंकवादी स्लीपर सेल के लिए भर्ती करता था। उसका कार्य क्षेत्र देहात का इलाका था जिससे वह पुलिस की निगरानी से बच सके। सिक्ख धार्मिक नेताओं पर आक्रमण किए जा रहे हैं, उनकी हत्याएं की जा रही हैं। फरवरी 2008 में डेरा सच्चा सौदा के हैड गुरुमीत राम रहीम सिंह की के दस्ते पर आई.ई.डी आक्रमण किया गया जिससे कि बड़े पैमाने पर पंजाब में हिस्सा फैल सके और इसमें आंशिक सफलता भी मिली, क्योंकि गुरमीत राम रहीम सिंह (प्रमुख डेरा सच्चा सौदा) का पंजाब और आस पास के राज्यों में अच्छा प्रभाव हैं और उसके समर्थक लाखों की संख्या में हैं। जुलाई 2009 में रूल्दा सिंह अध्यक्ष राष्ट्रीय सिक्ख संगत की हत्या की गई। मई 2010 में माईदास निर्मली डेरा के प्रधान संत प्रधान सिंह की खालिस्तानी आतंकवादी द्वारा हत्या की गई। 'दल खालसा' अमृतसर के अध्यक्ष जिनका उद्देश्य शांति पूर्ण तरीके से संप्रभुता संपन्न खालिस्तान राज्य की स्थापना करना है उनका कहना है कि यद्यपि हथियार सिक्ख नौजवानों से पकड़े जा रहे है, 1995 से पंजाब में बंदूक खामोश है लेकिन पंजाब की समस्या फिर से उभरेगी जब तक पंजाब को न्याय नहीं मिलता, 1984 के दंगाइयों को सजा नहीं मिलती और पीड़ित लोगों को न्याय नहीं मिलता। कट्टरवादी सिक्ख जो कि विदेशों में रह रहे हैं वह पाकिस्तान आई.एस.आई और बब्बर खालसा इंटरनेशनल के आतंकी सिक्ख जो पाकिस्तान में हैं उनके संपर्क में है और ग्रामीण नौजवानों को सिक्ख कौम की आवाज की बुलंदी के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इन नौजवानों को उनकी और उनके परिवारों की पूर्ण सुरक्षा का आश्वासन दिया जा रहा है, उनको आर्थिक मदद और दूसरी सुविधाएं देने के लिए भी आश्वस्त किया जा रहा है।

यदि वह जो कार्य सौंपा जाए उसको सफलतापूर्वक संपन्न करते हैं तो उनको विदेशों में बसने के लिए भी प्रलोभन दिया जा रहा है। पंजाब के नौजवान विदेशों में बसने के लिए आतुर हैं। वह बेरोजगारी और मादक पदार्थों के सेवन में लिप्त होने की वजह से आसानी से विदेशी ताकतों द्वारा, अलगाववादियों द्वारा, जिहादियों द्वारा, पाक आई.एस.आई. द्वारा आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रेरित किए जा रहे हैं। 23 अक्टूबर, 2010 को एक व्यक्ति जो बब्बर खालसा

इंटरनेशनल का सक्रिय सदस्य है और एक खतरनाक सिक्ख आतंकवादी जो पाकिस्तान में है उसका सहयोगी है, यू.पी. ए.टी.एस. द्वारा सिद्धार्थ नगर यू.पी. से पकड़ा गया। जून 2010 बब्बर खालसा इंटरनेशनल का आतंकवादी मुंबई से पकड़ा गया उससे एके-47 राइफल, 183 कारतूस और 4 अन्य छोटे हथियार बरामद हुए। उसको मुंबई में लश्करे तईवा की मदद से आक्रमण कर हत्याएं करनी थीं। 20 मई, 2012 को 2 खालिस्तान जिंदावाद फोर्स के आंतकी फगवाड़ा जिले में गिरफ्तार किए गए। उनके पास 2.7 आर.डी.एक्स. 3 इंडीजीनस बांब, 2 पिस्टल, डेटोनेटर, 3 मैग्जीन, 11 कारतूस बरामद हुए। इससे स्पष्ट है कि पंजाब में आतंकवाद को जीवित करने के प्रयास हो रहे हैं।

अफगानिस्तान से अमेरिकन फोर्सिज की वापसी के बाद वहां पर इस्लामिक आतंकवादियों और उन पर उपलब्ध आधुनिक हथियारों में वृद्धि की काफी संभावना है। पाकिस्तान आई.एस.आई. उन इस्लामिक आतंक-वादियों को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने का प्रयास कर सकती है। खालिस्तानी आतंकवादियों को भी इन इस्लामी आतंकवादियों के साथ मिलकर भारत में आतंकी गतिविधियां चलाने को प्रेरित कर सकती है।

02 नवंबर 2012 को मुम्बई हमले में लिप्त आरोपी पाकिस्तानी आतंकी को पुणे की यर्वदा जेल में फांसी दे दी गयी। उसकी फांसी के बाद आतंकवादी संगठन अपने लिए समर्थन जुटाने की कोशिश कर सकते हैं। अन्य युवाओं को आतंकी संगठनों में शामिल होने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। लश्करे तईवा जैसे मोहम्मद और अन्य आतंकी संगठन और लश्करे तईवा किसी भी समय आतंकी घटना कर सकते है। 26/11 मे लिप्त आतंकवादी की फांसी के खिलाफ लश्करे तईवा ने वैष्णो देवी मंदिर पर आक्रमण करने की धमकी दी है। पुणे में आंतकी संगठन काफी सक्रिय हैं। वह भी किसी घटना को अंजाम दे सकते हैं। अफगानिस्तान और इस्लामाबाद में उच्चायोग पर हमला कर सकते हैं। पाकिस्तानी तालीवान ने तो उस आतंकी को फांसी चढ़ाने का बदला लेने के लिए भारतीय शहरों पर हमला करने की धमकी दी है। उसने उस आतंकी का शव भी लौटाने की मांग की है। अगर भारत कसाब का शव नहीं लौटाता या उसके परिवार को नहीं सौंपता तो वह भी भारतीयों को मारकर उनके शव वापस नहीं करेगा।

आतंकी को फांसी मिलने के बाद कश्मीर में डाउन टाउन के कुछ इलाकों में हिंसक प्रदर्शन कारियों ने सड़कों पर टायर जलाए और पथराव किया। विरोध में दुकानें भी बंद रखीं। एक कश्मीरी अलगाववादी संगठन ने कहा कि भारत सरकार ने उस आतंकी को फांसी दे दी लेकिन उन सैन्य अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं की जो कश्मीर में मानवाधिकारों के हनन में लिप्त हैं।

इंटेलीजेन्स ब्यूरो ने स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस को अलर्ट किया है कि तीन स्टूडेंटस इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इण्डिया से संबंधित आतंकी दिल्ली में बंब ब्लास्ट करने के उद्देश्य से प्रवेश कर चुके हैं। इससे स्पष्ट है कि भारत में आतंकवादी सक्रिय हैं और उनकी गतिविधियां जारी हैं।

बालशोषण और पुलिस की भूमिका

प्रो. मृत्युंजय उपाध्याय, डी.लिट.
1/21, वृंदावन, मनोरम नगर
एल.सी.डी. रोड, धनबाद-826001 (झारखंड)

प्रसिद्ध राजनितिक चिंतक मैजिनी का मानना है कि बच्चा नागरिकता का सर्वोत्तम सबक माता के चुंबन और पिता के प्यार के मध्य सीखता है। बच्चों के लिए परिवार सामाजिक जीवन की शाश्वत पाठशाला है।

परंतु परिवार में ही नाना प्रकार का वितंडावाद, कलह, संघर्ष तथा वैमनस्य है। गरीबी सबसे बड़ा अभिशाप है, गरीबी अनेक बुराइयों, कुरीतियों, दुर्व्यसनों का कारण है।

गरीबी कहीं भी हो, सर्वत्र प्रगति की बाधिका है। परिवार में कलह और बच्चों पर प्रभाव दिनभर (खटकर, पिसकर आया है घर का मुखिया कच्ची शराब पीकर। मुंह से दुर्गंध का भमका फूटता है, बात-बात में कलह। बच्चों, पत्नी से मारपीट, गाली-गलौज। बच्चा फिर क्या सीखेगा, पढ़ेगा, ऊंचे संस्कार पाएगा? उसे तो कली में ही मसल दिया जाता है। प्रथम ग्रासे मक्षिका प्रातः—प्रारंभ में ही विघ्न-बाधा, नशाखोरी बढ़ेगी, तो कर्ज होगा। सूद बढ़ता जाएगा। फलताः अप्रत्याशित धन की आशा में जुआखोरी, मटका, सट्टाबाजी आदि की लत लगेगी, जिसमें पाना कुछ नहीं। खोना ही खोना है। आर्थिक दुरावस्था का सीधा प्रभाव पड़ेगा बच्चों पर। पहला प्रभाव होगा स्कूल जाने से मन उचाट होना। पारिवारिक कारण भी है।छोटी-छोटी प्राप्ति के लिए बच्चों से काम लेना। मसलन उससे बच्चे खेलावाना, बकरी चरवाना, मवेशी हंकवाना, खेती में मदद लेना। ऐसे बच्चे एक दिन बैठ जाएंगे। धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का।

आर्थिक लोभ और भूख भला कौन पाप नहीं कराए। पैसे के लालच में बच्चों को काम पर भेजना यानी बालश्रम बेचने की व्यवस्था। फलतः बच्चे इन कामों में लगा दिए जाते हैं। बिना यह सोचे कि इससे उसके शिक्षण, संस्कार भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या ऐसे बच्चे सच्चे नागरिक बन पाएंगे और देश प्रेम की उतकटता उनमें होगी? ऐसे काम इस प्रकार हैं:-

(1) होटल में जूठा बर्तन धोना, टेबिल पोंछना। सब्जी कटना, आटा मलना। बड़े होकर खाना बनाना।

(2) अमीर, जमींदार, सेठ, अधिकारी के यहां नौकर बनना और शक्तिभर श्रम बेचना। बदले में रूखा-सूखा, बासी, जूठा भोजन पाना और रात देर तक जागकर काम निपटाना।

(3) उनकी सेवा बेशर्त होती है, काम के घंटे कभी निर्धारित नहीं होते। 'अहर्निश सेवामहे' डाक-तार विभाग के उद्देश्य की तरह रात-दिन काम।

(4) अभिभावक उसके वेतन की पेशगी लेकर परिवार चलाते हैं। अतः वह वहां से काम छोड़कर बेहतर जगह जा नहीं पाता। खटने, पिसने और शोषित होने के लिए विवश हो जाता है।

(5) कुछ अधिक पैसे के लालच में उसे बीड़ी उद्योग, कालीन उद्योग, रंगाई, कल-कारखाने में छोटे-मोटे कामों में लगाया जाता है।

(6) कुसंगति में पड़कर बच्चे चोरी, गिरहकटी आदि में फंस जाते हैं। पकड़े जाने पर भेजे जाते हैं बाल सुधार गृह। पर वहां भी छंटे हुए शातिर बच्चों की कुसंगति में पड़कर सुधरने के बजाए नामी चोर, गिरहकट बनकर बाहर निकलते हैं। मानो यह उनके अपराधी बनने की प्रयोगशाला है।

(7) बच्चे मजदूरी करने लगते हैं। खेतों की निरौनी (घास, पतवार अवांछित पौधों को उखाड़ना) करना, रसायन का छिड़काव करना, मशीन से सिंचाई करना और जानवरों, पक्षियों आदि से फसल को बचाना।

(8) सर्कस में बंदर, भालू, सांड़, बैल आदि के खेल दिखानेवाले भी इससे अजीबोगरीब करतब करवाते हैं। तनी रस्सी पर चलना बिना डगमगाए, गिरे यह भी इनका काम है।

गरीबी उसे मजदूर बनाती है। गृह निर्माण में आधी मजदूरी पर रखा जाता है उसे और भरपूर शोषण किया जाता है। फलतः पहले वह रोगग्रस्त होता है। फिर मृत्यु को प्राप्त होता है।

तत्वतः घर-परिवार से उसके शोषण का चक्र चलता है और उसे विकलांग रोगी और मृत्यु का ग्राम बनाकर दम लेता है। कहना नहीं होगा कि देश की 60-65 प्रतिशत आबादी इसी गिरफ्त में है। यों सरकार ने इसकी सुरक्षा हेतु कानून बनाए हैं। यहां यह भी विचारणीय है कि देश की कल्याणकारी योजनाएं बाल विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। सर्वशिक्षा अभियान, दोपहर भोजन का प्रावधान, लाड़ली योजना, लक्ष्मी योजना, निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था आदि इस दिशा में सकारात्मक कदम हैं। परंतु घर, परिवार में जो गरीबी की सुरसा मुंह फाड़े खड़ी रहती है, वह इन योजनाओं को धंधा बना देती है। नतीजा यह है कि बच्चे भेजन के लोभ में विद्यालय जाते हैं। हाजिरी दिखाते हैं। फिर वहां से भागकर घर के काम काज में लग जाते हैं या फिर कहीं गुल्ली-डंडा आदि खेलने में लग गए। प्रारंभ में ही कली को कुचल दिया जाए तो फिर उससे फूल और फल की क्या आशा की जाए?

बाल-विकास में पुलिस की भूमिका का सवाल

एक मुहावरा है prevention is better than care. इलाज से बेहतर परहेज होता है। सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं बाल विकास के लिए, उसके क्रियान्वयन का दायित्व जनता पर है, पुलिस पर है। कारण, पुलिस हमारी व्यवस्था की रीढ़ है। उसके पास शक्ति है, अधिकार है, कानूनी प्रावधान है। वह चाहे तो कली को कुचलने से बचा सकती है। उसे पुष्पित-फलित होने का अवसर और आकाश दे सकती है। अभिभावकों को विश्वास में लेकर यह अभियान सफल हो सकता है।

पुलिस की सक्रियता ही बाल-विकास की बुनियाद

मैथिलीशरण गुप्त ने लिखा है कि मनुष्य को जो अधिकार मिला है उसका उसे भरपूर उपयोग करना चाहिए। यह उसका कर्तव्य है तो अधिकार का उपयोग भी है जो जनहित, लोकहित में होता है। अधिकार रहते उसका उपयोग न करना या फिर दुरुपयोग करना— दोनों वर्जित और संज्ञेय अपराध हैं। अपने अधिकार-सीमा में न्याय की रक्षा के लिए अपने भाई को भी दंड दिया जाए तो यह न्याय और आचार संभव है।

इस अधिकार के उपयोग दुरुपयोग पर डा. एकटन (राजनीतिक चिंतक) का मानना हैं कि अधिकार भ्रष्टाचार करना है और निरंकुश अधिकार निरंकुशता के साथ अत्याचार में संलग्न होता है। अतः इसमें विवेक, धैर्य और हिम्मत की महती आवश्यकता है, जिसका पुलिस में कोई अभाव नहीं है। अधिकार मद कई अनर्थ कराता है। परंतु पुलिस को विवेकी होना होगा। कुछ उदाहरणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि बालविकास में पुलिस क्या-क्या चमत्कार और प्रभाव उत्पन्न कर पाती है।

(क) एकदम घोर देहात में गश्ती के समय वह देख सकती है कि विद्यालय के समय में कौन बच्चा घर में है, काम में है! उसका नामांकन विद्यालय में हुआ है या नहीं। नहीं तो कारण क्या है। फिर अभिभावक, मुखिया, ग्रामसेवक, स्थानीय विद्यालय के आचार्य से संपर्क किया जा सकता है। उस पर बालशोषण का अपराध मढ़ा जा सकता है। उसे सजा का भय दिखाया जा सकता है। अचानक निरीक्षण से यह संभव है। इतना ही नहीं, पुलिस स्थानीय समाचार पत्रों को यह रिपोर्ट दे सकती है कि अमुक गांव के इतने प्रतिशत बच्चे स्कूल नहीं जाते।

इसका व्यापक प्रभाव पड़ेगा। जन जागरण का यह प्रभाव है।

(ख) गश्ती में पुलिस देख सकती है कि सड़क किनारे के ढाबों, होटलों, बारों में बच्चे किस प्रकार प्रताड़ना और शोषण के शिकार हो रहे हैं। वह मामलें का संज्ञान ले सकती है। स्थानीय पुलिस महकमे को इससे अवगत करा सकती है। होटल मालिक पर जुर्माना और सजा का प्रावधान कर सकती है।

(ग) बाल श्रमिक होना, बाल शोषण करना कानूनी संज्ञेय अपराध है और मजेदार सवाल यह है कि पुलिस की नाक के सामने बिल्डर्स भवन बना रहे हैं। उसमें बालश्रमिक पसीने लथपथ काम कर रहे हैं। उनका पग-पग पर शोषण हो रहा है। परंतु उसका ध्यान इस ओर नहीं है—'दिया तले अंधेरा'।

(घ) ब्यूटी पार्लरों, सैलूनों, दूकानों में इन दिनों लड़कियों को रखने का रिवाज़ चल पड़ा है। इनसे ये सारे काम करवाते हैं। ये प्रशिक्षित काम करते हैं और मजदूरी आधी देते हैं। पुलिस इन्हें रोक सकती है। कानूनी कार्रवाई कर सकती है। दूकान का लाइसेंस निरस्त कर सकती है। दंड-भय से आतंक फैल जाएगा। फिर सुधार होगा।

पुलिस को असीमित अधिकार हैं कि वह ऐसे अपराधों पर नियंत्रण कर पाए। उसे अविलंब रोक पाए।

तिगरा गांव (हरियाणा) की एक सब्जी दूकान में दो बच्चे (उम्र 11 और 13) नौकर का काम करते थे। सब्जी धोना, रंगना, साफ करना, पानी का उस पर छींटा मारना। आसपास से सब्जी माथे पर ढोकर लाना। पुलिस निरीक्षक आशुतोष दयाल का ध्यान उस दूकान से सब्जी लेते हुए उन बच्चों पर गया। तत्काल वह हरकत में आ गए। कड़ी पूछताछ से सच्चाई का पता चला। फिर क्या था! उन्होंने त्वरित कार्रवाई की। बच्चों के माता-पिता को फटकार लगाई। उनके विद्यालय में प्रवेश की व्यवस्था हुई और दोनों बच्चे नारकीय जीवन से निकलकर शिक्षा मंदिर में प्रविष्ट हुए।

भागलपुर जिले का एक गांव है कुमैठा। ब्राह्मण बहुल आबादी वाला गांव है। अन्य जातियां भी हैं वहां। मसलन, ग्वाला, चमार, दुसाध, पासी, कुम्हार आदि। अब जमाने ने बदली करवट। आज वहां छोटी कामगार जातियों के बच्चे-बच्चियां शिक्षा में अव्वल स्थान पा रहे हैं। कारण अन्य बच्चों की देखादेखी। वहीं ब्राह्मण कुल के बच्चे घर-परिवार में ही घूम घामकर खेलकूद कर अपना भविष्य स्वाहा कर देते हैं। कुसंगति में पड़कर बर्बाद हो जाते हैं।

उन दिनों अवधेश कुमार झा वहां डी.एस.पी बनकर आए थे। उस गांव में उनका रिश्ता भी था। बीच-बीच में जांच-पड़ताल के लिए वहां आना पड़ता था। अभिभावकों, स्थानीय शिक्षकों और मुखिया को बैठाकर उन्होंने ऐसा वातावरण बनाया कि हर बच्चा-बच्ची आत्मविकास की ओर अग्रसर हुआ। यह उनके प्रयास का प्रमाण है। बाल विकास, अधिकार संरक्षण उनके शोषण-दोहन निवारण संबंधी नियम, परिनियम, कानून और अधिनियम के क्रियान्वयन का प्रयास बड़ी और महत्वपूर्ण बात है कि सरकार श्रम संगठनों और समाज सेवी संस्थाओं ने वे बालशोषण के निवारण और उनके सर्वांगीण विकास के लिए जितने नियम परिनियम बनाए हैं, उनके क्रियान्वयन पर बल दिया जाए। दोषी दंडित हों और सहयोगी पुरस्कृत। बहुत बार पुलिस कार्यालय के सामने ही बाल मजदूरों के साथ पशुवत व्यवहार किया जाता है पर उस ओर पुलिस का ध्यान तक नहीं जाता है। पुलिस की जागरूकता, त्वरित कार्रवाई और जनता के साथ उनका समन्वय इस समस्या का सहज समाधान है। देश का भविष्य जिनकी ओर एकटक निहार रहा है उनकी रक्षा, उनके समग्र विकास का पुनीत कार्य पुलिस ही कर सकती है। उनके पास अधिकार, दूरदर्शिता, कानूनी शक्ति आदि सब हैं और बच्चों के प्रति सहृदयता भी। फिर उनसे सकारात्मक पहल की आशा वांछनीय है।

ग्रामीण महिलाओं का शोषण और पुलिस का दायित्व

डा. विमला उपाध्याय डी.लिट.
प्रो. एवं विभागाध्यक्ष (अर्थशास्त्र)
संपर्क–वृंदावन, एल.सी. रोड,
धनबाद-826001 (झारखंड)

भारत गांवों का देश है। यहां की सत्तर प्रतिशत जनता गांवों में निवास करती है। देशभर के लोगों के भोजन की व्यवस्था इन्हीं के जिम्मे है। यह 55 प्रतिशत आबादी महिलाओं की है, जिसमें सद्यःजात बालिका से लेकर वृद्ध महिलाएं हैं। गांवों में शिक्षा के मामले में वैसे ही पिछड़ापन है, अंधेरा है और महिलाओं में साक्षरता मुश्किल से पांच प्रतिशत है। ऐसी अवस्था में उनका पिछड़ापन, दकियानूसी, परंपरावादिता, रूढ़िवादिता आदि चिंता और समस्या की बात है। गांधी जी बराबर कहा करते थे कि यदि हम देश के समग्र विकास की कल्पना करते हैं तो गांवों की ओर लौटना होगा। मुल्क की बुनियाद को मजबूत करना होगा।

सच पूछिए तो महिलाओं की सृजनशीलता, कार्य क्षमता, कुशलता पुरुषों से बढ़कर है। परंतु अशिक्षा, पिछड़ेपन, रूढिग्रस्तता, दकियानूसी आदि के कारण वे सदा न केवल पिछड़ी रहती हैं बल्कि शोषित, प्रताड़ित, पीड़ित होने के लिए विवश हैं। मुझे बाड़मेर (राजस्थान का एक जिला) की एक महिला का उद्‌गार याद है, जो उसने साक्षरता पाने के बाद पहली बार पति से फोन पर बात कर व्यक्त किया थाः

"वह मेरी आवाज सुनकर चौंक गए। 'सुम्मी तुम?' उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि मैं फोनबूथ से नंबर मिलाकर उनसे बात कर सकती हूं।"

इसीलिए महादेवी वर्मा ने 'शृंखला की कड़ियां' में लिखा है कि नारी जब तक अपना कोई उद्‌देश्य निश्चित कर उस दिशा में पहल नहीं करती वह पिछड़ी, उपेक्षित और शोषित रहती है। यही कारण है कि ग्रामीण महिलाएं निरक्षरता और पिछड़ेपन के कारण पग-पग पर शोषित और उपेक्षित होती हैं। कर्मी (12 वर्ष), सुगिया (11वर्ष), बोढनी (13 वर्ष) आदि लड़कियां बकरी, मवेशी चराती हैं। उन्होंने नहीं देखा विद्यालय का रास्ता। घर में धान फटकना, चावल बीनना, बच्चे खेलाना सफाई करना, सब्जी काटना आदि उनके काम हैं।

बड़ी उम्र की महिलाएं घर, परिवार के काम में लगी रहती हैं या फिर गपशप, वाद-विवाद आदि में। उनमें भी आत्मविकास का कोई स्वप्न, जज्बा नहीं है। फलतः पिछड़ापन है, जिसके नतीजे हैं प्राचीन रूढ़ियों, अंधविश्वासों (डायन जोगिन, भूत, पिशाच, ओम्ना, गुनी) पर न केवल विश्वास बल्कि तदनुसार आचरण।

डायन होने का आरोप और अपमान का हलाहल–गोड्डा (पहले संथाल परगना का एक सब डिविजन संप्रति एक जिला, प्रांत झारखंड) के अंतर्गत पड़ता है एक गांव वनरचुहा। वहां अभी तक तीन महिलाएं डायन करार देकर ग्रामीणों द्वारा पीटकर मार दी गईं। कोई कार्रवाई नहीं हुई।

वैसे भी जिस महिला को डायन करार कर दिया गया, उससे दूरी बनाए रखना, उससे बच्चों को दूर रखना, उससे घृणा करना आम बात है। कभी वह किसी के घर आ ही गई तो चटपट बच्चों को ओट में छिपा लेना। 'सूई लाओ' 'सूई लाओ' कहना। ऐसी मान्यता है कि सूई का नाम सुनकर डायन अपना मारक मंत्र भूल जाती है। फिर वह विवश हो जाती है।

उसके मारक प्रहार से क्षण के लिए ओझा, गुनी को बुलाना और उसे नंगा कर नचाना कितना अपमानजनक और लज्जास्पद है। यह उसके पिछड़ेपन का सबूत है।

स्त्रियों को दोयम मानना और अपमानजनक व्यवहार—प्रसूता को पुत्र हुआ तो थाली बजने लगी। उत्सव होने लगा। कीर्तन का समा बंध गया।

कन्या हुई तो मुंह लटक गया। कारण बड़ी होने पर दहेजरूपी सुरसा का सामना कौन करे? दहेज के अभाव में वह कुमारी रहे या फिर किसी बूढ़े, दुहेजू (दूसरी बार विवाह करनेवाला) से विवाह कर दुःख की ज्वाला में जलाती रहे। फिर नतीजा हेज के अभाव में लड़की का आत्मघात करना। विवाहोपरांत दहेजलोभी द्वारा मार दिया जाना या फिर आत्महत्या के लिए विवश कर देना। यही क्रूर नियति उसे नचाती है। दुःख के सागर में डुबाती-उभारती है, वह निरूपाय इत्य प्रेम है।

बेमेल विवाह का प्रभाव—एक विवाहिता लड़की अपनी उम्र से आधी उम्र के लड़के से विवाह कर पश्चात्ताप की दारुण ज्वाला में जल रही है।

लड़की 24 साल की और दूल्हा 12 साल का। इसका कारण है दहेज का अभाव। कम दहेज में वही लड़का मिल पाया। विवाह की रस्म तो पूरी हो गई। पिता बच गए अपमान से। परंतु बेटी आजीवन दुःख भोगती रही। 'The second sex' (स्त्री उपेक्षिता : सिमॉन द बउआर) में लेखिका ने विश्वभर की कुछ महिलाओं का सर्वेक्षण किया। उनमें सभी पेशे, स्तर, जाति और व्यवसाय की स्त्रियां हैं। उसने पाया है कि सर्वत्र सभी स्तर पर प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से नारी का शोषण बदस्तूर जारी है। नारी-प्रताड़ना और शोषण का अजीबोगरीब वाकया मिलता है बेबलीन थर्सटीन (Weblin Thirstin) की किताब 'फुर्सत वर्ग के लोग' (The People of the leisure class) में। वहां एक व्यक्ति विशेष प्रकार का सिगार बनाता है, जिसकी मांग विश्वभर में है। कोई नहीं जानता उसके व्यापार के रहस्य को। यह लंदन के किसी इलाके का वाकया है। वह व्यक्ति काफी अमीर हो गया है। जाड़ा कड़ाके का पड़ रहा है। वह व्यक्ति अपने ही आंगन में एक भट्ठी जलाए बैठा है। उसकी खूबसूरत पत्नी उसकी गोद में बैठी है। भट्ठी को वह शनैः शनैः सुलगा रहा है जिसकी लपटों में उसकी पत्नी का चेहरा कौंध-कौंध जाता है और बड़ा आकर्षक लगता है। उसका मान-मनहार भी बढ़ता जाता है और अचानक वह उसे उसी भट्ठी में ढकेल देता है और चिरायंध की गंह्य आने लगती है। उसकी पत्नी अंतिम क्षण जान पाती है उसके सिगार की प्रसिद्धि का रहस्य तात्पर्य यह कि वैसे विकसित देश में नारी की दुर्गति का यह आलम है, तो पिछड़े गांवों की महिलाओं का क्या कहना!

नारी शोषण की कारुणिक दास्तान और पुलिस का दायित्व कहा जाता है कि पुलिस व्यवस्था की नाड़ी है। पुलिस है तो अमन चैन है। सुव्यवस्था है। उसमें यह जोड़ना सर्वथा न्यायसंगत है कि उसकी देख-रेख में ग्रामीण महिलाओं की दुर्दशा और प्रताड़ना संभव नहीं है। उनके करने के लिए बहुत कुछ है। पहले जनता को विश्वास में लेना कि वह उसकी सब विधि रक्षा कर सकती है, फिर नारियों का भरोसा अर्जित करना कि वह चाहे तो हर प्रकार से उसकी रक्षिका हो सकती है। मुद्दे इस प्रकार हो सकते हैं :

(1) जन्म काल से ही पुलिस द्वारा ऐसे वातावरण का निर्माण, जहां लड़का-लड़की में अंतर नहीं।

(2) स्कूल जाने योग्य होने पर उसके विद्यालय में प्रवेश पर ध्यान। बीच-बीच में औचक (अचानक) निरीक्षण कि कौन लड़की स्कूल जाने के बजाए बकरी चरा रही है, गोबर पाथ रही है या छोटे भाई-बहन को ढोए चक्कर लगा रही है। वे स्कूल न जाएं, तो अभिभावक पर सख्ती। मुखिया, विद्यालय के प्रधान को इसमें संलग्न करना, ऐसे वातावरण का निर्माण करना कि उनमें पढ़ने, सीखने, समय के उपयोग करने की प्रवृत्ति जाग्रत हो।

(3) विधवा-विवाह, पुनर्विवाह, अंतर्जातीय विवाह को मुखिया, गांव के गण्यमान्य व्यक्तियों के परामर्श और सहयोग से मान्यता दिलाना। इसके लिए

सभा, कार्यशाला, सम्मेलन आयोजित हों जिनमें पत्रकारों, समाजसेवी संस्थाओं को शामिल किया जाए। गांवों की ऐसी समस्याओं के प्रति पुलिस का रुख सकारात्मक, सर्जनात्मक और सहयोगात्मक हो। जहां तक कानूनी प्रावधान, संरक्षण का प्रश्न है, पुलिस को असीम शक्ति है। हां, कभी-कभी वह महाभारत का सहदेव बन जाती है, जो बिना पूछे, टोके कुछ नहीं बताती है। पर उसे सदैव जागरूक रहना होगा।

(4) दहेज प्रथा उन्मूलन और पुलिस की भूमिका-— दहेज प्रथा के खिलाफ कई कानून हैं। दहेज प्रथा उन्मूलन अधिनियम, महिला संरक्षण अधिनियम आदि। समय-समय पर देश, काल, पात्र, परिस्थिति के कारण इसमें परिवर्तन, संशोधन भी हो रहा है। पुलिस को इसकी पूरी जानकारी है। उसके पास दहेज लोभियों से लड़ने की अद्‌भुत क्षमता है। वह समाज में समाकर ऐसे वातावरण का निर्माण करे जिसमें दहेज पर न केवल अंकुश लगे वरन दहेज लोभियों को हवालात में सड़ना भी पड़े। दहेज-दानवों को सबक मिले।

(5) महिला पुनर्स्थापन और पुलिस—कोई महिला अपनी सुविधानुसार फिर से जीवन की शुरुआत करना चाहती है। मसलन विवाह, स्वेच्छा से रोजगार का चयन आदि तो उसे पूरी आजादी मिलनी चाहिए। महिला पुनर्वास, पुनर्स्थापन आदि के अंतर्गत जिस सुविधा का प्रावधान है, उसे मिले। साथ ही कानूनी संरक्षण भी।

इसके लिए ग्राम संगठन, स्वैच्छिक समाज सेवी संस्थाओं का सहयोग लेना चाहिए। 'भय बिनु होई न प्रीति'— बिना भय के प्रेम भी नहीं होता। पुलिस के पास असीम कानूनी शक्ति है, जिनका वह विवेकपूर्वक समय पर उपयोग कर वांछित सुधार, परिवर्तन, क्रांति ला सकती है। भागलपुर जिले का एक गांव पुलिस सहयोग से आदर्श और उदाहरणीय बन गया है।

(6) महाजनी सभ्यता से महिलाओं की मुक्ति का प्रश्न—प्रेमचंद महाजनी सभ्यता के खिलाफ आजीवन संघर्ष करते रहे। गांव के महाजन, सेठ, साहूकार धनी वर्ग महिलाओं का प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष शोषण करते हैं। घर, आंगन, द्वार, मवेशी बच्चों की देखरेख के लिए उसे अल्प वेतन पर बहाल करना। दिन-रात खटवाना। भरपेट भोजन न देना और बीच-बीच में अपनी हवस का शिकार बनाना। उनकी आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय हो जाती है कि आए दिन उन्हें मवेशी के गोबर को धोकर उससे अनाज निकालना पड़ता है। इसके कारण उनसे अधिक बेगार भी खटवाया जाता है। पुलिस ऐसे मामले का संज्ञान ले सकती है। उन्हे शोषण, दोहन, यातना के इस दुश्चक्र से बचा सकती है। दोषियों को दंड भी दिला सकती है। बस, पुलिस में उत्तरदायित्व का बोध हो।

(7) सतत जागरूकता वांछनीय है : माओत्से तुंग ने लिखा है—'Eternal vigilence is the price of liberty' अर्थात सतत जागरूकता ही आजादी की कीमत है। विषमता-विपरीतता के मध्य डटे रहना, कानूनी संरक्षण महिला को देते रहना पुलिस का कर्तव्य है।

(8) मरी नहीं जीवित है मिट्‌टी से डरने वालों से

पुलिस के पास अनंत शक्ति है। कानून का बल, अनुभव का बल, अपने संस्कार, प्रशिक्षण का बल जिसके बूते पर ग्रामीण महिलाओं को दोयम होने और शोषण के दुश्चक्र से बचाया जा सकता है। किसी ग्राम को चुनकर महिला-विकास की एक दीर्घकालीन व्यापक योजना भी बनाई जा सकती है, जिसे अंजाम देने के लिए जनता—पुलिस सरकार के समन्वय की नितात आवश्यकता है। जो कायर, पलायनवादी और कामचोर हैं, उनके पास काम नहीं करने के हजार बहाने हैं पर वीर कर्मठ। दिनकर के शब्दों में मिट्‌टी जलाकर रसायन बनाते हैं।

लेखकों से निवेदन

यदि पुलिस विज्ञान में प्रकाशन के लिए आपके पास पुलिस, शांति-व्यवस्था, अपराध न्याय-व्यवस्था आदि पर कोई लेख है या आप लेख लिखने में सक्षम हैं तथा रुचि रखते हों तो अपने लेख यथा शीघ्र भेजें। अच्छे लेखों को प्रकाशित करने का हमारा पूरा प्रयास रहेगा। लेख टाइप किया होना चाहिए तथा इसके संबंध में फोटो, चार्ट आदि हों तो उन्हें भी साथ भेजना चाहिए। प्रकाशित होने वाले लेखों पर समुचित पारिश्रमिक की व्यवस्था है।

यदि आपने पुलिस विज्ञान से संबंधित किसी विषय पर उपयोगी पुस्तक लिखी है और आप पुलिस विज्ञान में उसे कड़ी के रूप में प्रकाशित करवाना चाहते हैं तो हमें पांडुलिपि भेजें।

यदि आप कर्मियों के कार्य को लेकर कहानी या अन्य किसी विधा में लिखने में रुचि रखते हों तो हम ऐसे साहित्य का भी स्वागत करेंगे।

यदि पुलिस विज्ञान से संबंधित किसी हिन्दीतर भाषा के उच्चस्तरीय लेख का अनुवाद किया हो और आपके पास अनुवाद प्रकाशन का कापीराइट हो अथवा उनके कापीराइट की आवश्यकता न हो तो ऐसे लेख/सामग्री भी प्रकाशनार्थ आमंत्रित हैं। प्रकाशित लेखों पर समुचित मानदेय देने की व्यवस्था है। लेख भेजते समय यह प्रमाणित करें कि लेख मौलिक/अनूदित व अप्रकाशित है तथा इस पर कोई मानदेय नहीं लिया गया है। अनूदित लेख के कापीराइट के संबंध में भी सूचित करें।

विषय आदि के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए पुलिस विज्ञान की नमूने की प्रति मंगाने के लिए संपर्क करें :—

संपादक
पुलिस विज्ञान
पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो
ब्लाक-11, चौथी मंजिल
सी.जी.ओ. कम्पलैक्स, लोदी रोड
नई दिल्ली-110003
फोन : 24360371 एक्स. 115

वैब साइट — डब्लू.डब्लू.डब्लू. बीपीआरडी.एनआईसी.इन

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो

गृह मंत्रालय

पं. गोविन्द वल्लभ पंत पुरस्कार योजना

पुलिस, कारागार एवं न्यायालयिक विज्ञान से संबंधित विषयों पर हिन्दी में पुस्तक लेखन के लिए रचनाएं आमंत्रित की जाती हैं। मूल प्रकाशित पुस्तकों पर 5 पुरस्कार 30,000/- रु. प्रति पुरस्कार (एक पुरस्कार महिलाओं के लिए आरक्षित है), दो पुरस्कार अनूदित मुद्रित पुस्तकों के लिए 14,000/- रु. प्रति पुरस्कार (एक पुरस्कार महिलाओं के लिए आरक्षित है)। योजना के भाग दो में 40,000/- रु. के दो पुरस्कार हैं। जिसके लिए निर्धारित विषयों पर रूपरेखाएं आमंत्रित की जाती हैं। जिसमें सामान्य वर्ग के लिए **दिए गए विषय पर आवेदक उस विषय पर लिखने वाली पुस्तक में क्या-क्या सामग्री व अध्यायों आदि का उल्लेख करते हुए 5-6 पृष्ठ की एक रूपरेखा को प्रस्तुत करना होगा** तथा महिलाओं के लिए आरक्षित विषय में भी उपरोक्त प्रक्रिया अपनाई जाएगी। रचनाएं/रूपरेखाएं भेजने की अंतिम तिथि सामान्यतः 30 सितंबर होती है। विस्तृत जानकारी के लिए कृपया संपादक (हिंदी), पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (गृह मंत्रालय), ब्लाक सं. 11, 3/4 मंजिल, सी.जी.ओ. कंप्लैक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003 से संपर्क करें।

(दूरभाष : 011-24362418, 24360371 एक्स-253 तथा फैक्स : 011-24362425)

अपराध विज्ञान तथा पुलिस विज्ञान में डाक्टरेट कार्य हेतु अध्येतावृति योजना

पुलिस विज्ञान तथा अपराध विज्ञान में डाक्टरेट कार्य हेतु ब्यूरो द्वारा 6 अध्येतावृतियों के लिए भारतीय नागरिकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। इस योजना के तहत विज्ञापन प्रति वर्ष माह में भारत के सभी प्रमुख समाचार पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित किया जाता है। इसके लिए अंतिम तिथि 30 जून होती है। इसमें अभ्यर्थी को पी.एच.डी. के लिए विश्वविद्यालय से पंजीकृत होना आवश्यक है। इसमें अभ्यर्थी को पहले 2 वर्ष 8000/- रु. तथा तीसरे वर्ष 9000/- रु. तथा इसके साथ फुटकर खर्च के लिए 10000/- रु. तथा जिस संस्था से वह पंजीकृत होगा उसे 3000/- रु. प्रदान किए जाएंगे। विस्तृत जानकारी के लिए अनुसंधान एकक, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, ब्लाक सं. 11, 3/4 मंजिल, सीजीओ कंप्लैक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003 से संपर्क किया जा सकता है। पूर्ण जानकारी कार्यालय की वेब साइट www.bprd.gov.in में भी देखी जा सकती है। (संपर्क के लिए फोन नं. 01124360371243)

पुलिस एवं कारागार संबंधी विषयों पर अनुसंधान परियोजनाएं आमंत्रित

पु.अनु.वि. ब्यूरो (गृह मंत्रालय) **पुलिस एवं कारागार** से संबंधित विभिन्न विषयों पर अनुसंधान परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए गैर सरकारी संगठनों, विश्वविद्यालयों व व्यक्तिगत शोधकर्ताओं को उनके संबंधित विश्वविद्यालयों के माध्यम से आवेदन आमंत्रित कर रहा है। आवेदन भेजने की अंतिम तिथि 30 सितंबर होती है। विस्तृत जानकारी के लिए उपनिदेशक (अनु.) एवं सहायक निदेशक (सी.सी.), ब्लाक सं. 11, 3/4 मंजिल, सीजीओ कंप्लैक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003 (फोन नं. 01124362418 एवं 01124263872) पर संपर्क कर सकते हैं। तथा ब्यूरो की www.bprd.gov.in वेब साइट से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

पं. गोविन्द वल्लभ पंत पुरस्कार योजना के अंतर्गत ब्यूरो द्वारा प्रकाशित पुस्तकें

क्र. सं.	*पुस्तक का नाम*	*लेखक का नाम*	*मूल्य*
1.	**भारतीय पुलिस का इतिहास** (अतीतकाल से मुगलकाल तक)	डा. शैलेन्द्र चतुर्वेदी	54/-
2.	**भारत में केन्द्रीय पुलिस संगठन**	श्री एच. भीष्मपाल	65/-
3.	**ग्रामीण पुलिस : समस्याएं एवं समाधान**	श्री रामलाल विवेक	65/-
4.	**ग्रामीण पुलिस : समस्याएं एवं समाधान**	श्री शंकर सरौलिया	70/-
5.	**विकासशील समाज में समसामयिक पुलिस की भूमिका**	श्री आर.एस. श्रीवास्तव	105/-
6.	**स्वातंत्र्योत्तर भारत में पुलिस की भूमिका एवं जनता का दायित्व**	डा. कृष्णमोहन माथुर	210/-
7.	**मादक पदार्थ एवं पुलिस की भूमिका**	श्री हरीश नवल	—
8.	**सामाजिक चेतना के परिप्रेक्ष्य में पुलिस की भूमिका का उद्‌भव**	प्रो. मीनाक्षी स्वामी	—
9.	**समग्र न्याय-व्यवस्था में पुलिस का स्थान एवं भूमिका**	श्री ललितेश्वर	600/-
10.	**पुलिस दायित्व एवं नागरिक जागरूकता**	डा. सी. अशोकवर्धन	568/-
11.	**महिला और पुलिस**	श्रीमती अमिता जोशी	100/-
12.	**मानवाधिकार और पुलिस**	डा. जी.एस. वाजपेयी	346/-
13.	**नई आर्थिक नीति एवं अपराध**	डा. अर्चना त्रिपाठी	183/-
14.	**बाल अपराध**	डा. गिरिश्वर मिश्र	225/-
15.	**न्यायालयिक विज्ञान की नई चुनौतियां**	डा. शरद सिंह	200/-
16.	**मानवाधिकार संरक्षण एवं पुलिस**	श्री रामकृष्ण दत्त शर्मा एवं डा. सविता शर्मा	510/-
17.	**सामुदायिक पुलिस व्यवस्था**	डा. तपन चक्रवर्ती, डा. रवि अम्बष्ट	205/-
18.	**संगठित अपराध**	श्री महेन्द्र सिंह आदिल	313/-
19.	**पुलिस कार्यों का निजीकरण**	डा. शंकर सरौलिया	330/-
20.	**साइबर क्राइम**	डा. अनुपम शर्मा	450/-
21.	**अपराधों की रोकथाम और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल**	डा. निशांत सिंह	545/-
22.	**अपराध पीड़ित महिलाओं की समस्याएं**	डा. ऋता तिवारी डा. उपनीत लाली	775/-
23.	**वैध समस्याओं के निदान हेतु बढ़ती हिंसा प्रवृत्ति**	श्री राकेश प्रकाश	
24.	**आतंकवाद एवं जन साझेदारी**	श्री विश्वेश शर्मा	665/-
25.	**व्यावसायिक यौनकर्मियों का सुधार एवं पुनर्वास**	श्रीमती नीना लांबा	665/-
26.	**बंदियों का सुधार एवं पुनर्वास**	प्रो. दीप्ति श्रीवास्तव	665/-

ब्यूरो द्वारा प्रकाशित उपरोक्त सभी पुस्तकें, नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, सिविल लाइंस, दिल्ली-110054 से प्राप्त की जा सकती हैं।